SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे
2024-25

बिहार सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2024-25 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
विनियोग लेखे का सारांश		iv-xvi
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट		xvii-xix
क्रमांक तथा अनुदान/विनियोग का नाम		
1.	कृषि विभाग	01-41
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	42-64
3.	भवन निर्माण विभाग	65-109
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	110-118
5.	राज्यपाल सचिवालय	119-122
6.	निर्वाचन विभाग	123-128
7.	निगरानी विभाग	129-130
8.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	131-136
9.	सहकारिता विभाग	137-148
10.	ऊर्जा विभाग	149-152
11.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	153-157
12.	वित्त विभाग	158-168
13.	सूद भुगतान	169-175
14.	ऋण अदायगियाँ	176-180
15.	पेंशन	181-188
16.	पंचायती राज विभाग	189-203
17.	वाणिज्य-कर विभाग	204-206
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	207-217
19.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	218-229
20.	स्वास्थ्य विभाग	230-282
21.	शिक्षा विभाग	283-336
22.	गृह विभाग	337-361
23.	उद्योग विभाग	362-370
24.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	371-374
25.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	375-378
26.	श्रम संसाधन विभाग	379-392
27.	विधि विभाग	393-399
28.	उच्च न्यायालय	400-401
29.	खान एवं भूतत्व विभाग	402-403

		पृष्ठ
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	404-410
31.	संसदीय कार्य विभाग	411-413
32.	विधानमंडल	414-418
33.	सामान्य प्रशासन विभाग	419-424
34.	बिहार लोक सेवा आयोग	425-426
35.	योजना एवं विकास विभाग	427-434
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	435-445
37.	ग्रामीण कार्य विभाग	446-449
38.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	450-453
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	454-474
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	475-481
41.	पथ निर्माण विभाग	482-493
42.	ग्रामीण विकास विभाग	494-507
43.	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	508-515
44.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	516-529
45.	गन्ना उद्योग विभाग	530-535
46.	पर्यटन विभाग	536-539
47.	परिवहन विभाग	540-546
48.	नगर विकास एवं आवास विभाग	547-572
49.	जल संसाधन विभाग	573-585
50.	लघु जल संसाधन विभाग	586-595
51.	समाज कल्याण विभाग	596-620
52.	खेल विभाग	621-623
परिशिष्ट: **I**	आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए व्यय का अनुदानवार विवरण, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी	624
परिशिष्ट: **II**	वर्ष 2024-25 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण	625-630

प्रस्तावना

वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

टिप्पणी

इन लेखाओं में :

''मूल''	मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
''अनुपूरक''	अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
''पुनर्वि०''	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु वही मानदण्ड अपनायी गयी है, जो अविभाजित बिहार राज्य हेतु महालेखाकार (ले० एवं हक०)-I, बिहार एवं झारखण्ड द्वारा विनियोग लेखे के तैयारी करने हेतु अपनायी जाती थी।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु मानदण्ड समान्यतया उपबंध के 10 प्रतिशत अथवा नीचे दिये गये तालिका में दर्शायी गयी राशि जो भी अधिक हो बिहार राज्य के विनियोग लेखे के टिप्पणी हेतु अपनायी गयी है-

क्रम सं०	बजट प्रावधान	बचत/अधिक व्यय
1.	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख
2.	₹ 5.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख
3.	₹ 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख
4.	₹ 100.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख
5.	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
1. कृषि विभाग				
दत्तमत	39,07,50,15	2,40,00,00	21,63,55,47	1,47,34,46
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग				
दत्तमत	19,42,05,00	2,04,89,00	12,39,88,65	1,97,89,00
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	29,02,02,42	60,85,00,35	14,30,32,19	47,65,49,10
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग				
दत्तमत	3,80,64,46	1,79,75,01	2,46,01,95	76,92,91
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	*51,81,86*	*0*	*45,05,00*	*0*
6. निर्वाचन विभाग				
दत्तमत	10,58,67,52	0	9,62,99,15	0
7. निगरानी विभाग				
दत्तमत	48,23,21	0	43,65,52	0
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग				
दत्तमत	2,72,44,18	5,00,00	1,48,38,50	5,00,00
9. सहकारिता विभाग				
दत्तमत	13,42,79,75	28,17,09	10,95,70,05	26,42,68
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	1,62,46,29,90	52,94,12,20	1,62,16,12,78	46,77,92,56

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
17,43,94,68	92,65,54	0	0
7,02,16,35	7,00,00	0	0
14,71,70,23	13,19,51,25	0	0
1,34,62,51	1,02,82,10	0	0
6,76,86	*0*	*0*	*0*
95,68,37	0	*0*	0
4,57,69	0	0	0
1,24,05,68	0	0	0
2,47,09,70	1,74,41	0	0
30,17,12	6,16,19,64	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग				
दत्तमत	17,84,73,52	22,40,00	15,82,84,58	4,82
12. वित्त विभाग				
दत्तमत	4,43,73,34	16,68,20,01	3,54,96,37	16,08,26,44
प्रभारित	*16,45,96,09*	*0*	*16,45,86,00*	*0*
13. सूद भुगतान				
प्रभारित	*2,05,26,18,66*	*0*	*1,96,78,13,86*	*0*
14. ऋण अदायगियाँ				
प्रभारित	*0*	*2,23,92,71,73*	*0*	*2,19,43,66,84*
15. पेंशन				
दत्तमत	3,17,77,04,89	0	2,61,59,52,31	0
प्रभारित	*19,08,06*	*0*	*10,44,48*	*0*
16. पंचायती राज विभाग				
दत्तमत	1,16,07,95,31	6,36,00,01	91,82,02,76	*85,05,83*
17. वाणिज्य-कर विभाग				
दत्तमत	2,38,22,74	0	1,79,25,09	0
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
दत्तमत	20,23,60,72	1,33,00,02	17,52,87,68	25,64,66
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	10,80,56,34	42,52,53	8,57,21,51	32,92,04
20. स्वास्थ्य विभाग				
दत्तमत	1,92,31,60,47	35,87,88,84	1,24,91,29,07	31,56,78,36
21. शिक्षा विभाग				
दत्तमत	7,57,76,40,33	27,88,42,00	5,43,73,41,05	23,27,23,35

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
2,01,88,94	22,35,18	0	0
88,76,97	59,93,57	0	0
10,09	*0*	*0*	*0*
8,48,04,80	*0*	*0*	*0*
0	*4,49,04,89*	*0*	*0*
56,17,52,58	0	0	0
8,63,58	*0*	*0*	*0*
24,25,92,55	5,50,94,18	0	0
58,97,65	0	0	0
2,70,73,04	1,07,35,36	0	0
2,23,34,83	9,60,49	0	0
67,40,31,40	4,31,10,48	0	0
2,14,02,99,28	4,61,18,65	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
22. गृह विभाग				
दत्तमत	1,62,38,45,16	10,78,95,07	1,31,89,56,63	8,57,76,33
23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	21,56,44,05	11,58,24,20	17,86,03,56	6,69,60,25
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग				
दत्तमत	3,24,66,47	0	2,69,52,84	0
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग				
दत्तमत	2,26,92,81	1,90,00,01	1,54,47,23	1,17,27,18
26. श्रम संसाधन विभाग				
दत्तमत	11,44,02,01	2,43,00,00	9,68,29,37	2,43,00,00
27. विधि विभाग				
दत्तमत	18,40,18,44	0	16,47,47,70	0
28. उच्च न्यायालय				
प्रभारित	*3,24,34,94*	*0*	*3,01,55,28*	*0*
29. खान एवं भूतत्व विभाग				
दत्तमत	1,26,16,43	0	45,35,90	0
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग				
दत्तमत	3,49,98,32	4,28,25,00	2,78,54,66	2,85,34,16
31. संसदीय कार्य विभाग				
दत्तमत	10,55,61	0	3,00,82	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
30,48,88,53	2,21,18,74	0	0
3,70,40,49	4,88,63,95	0	0
55,13,63	0	0	0
72,45,58	72,72,83	0	0
1,75,72,64	0	0	0
1,92,70,74	0	0	0
22,79,66	*0*	*0*	*0*
80,80,53	0	0	0
71,43,66	1,42,90,84	0	0
7,54,79	0	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
32. विधान मंडल				
दत्तमत	3,19,87,62	0	2,75,64,44	0
प्रभारित	*1,96,20*	*0*	*2,39,49*	*0*
33. सामान्य प्रशासन विभाग				
दत्तमत	11,16,03,90	0	8,31,18,74	0
प्रभारित	*7,70,07*	*0*	*6,08,34*	*0*
34. बिहार लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	*1,61,24,82*	*0*	*1,56,16,94*	*0*
35. योजना एवं विकास विभाग				
दत्तमत	7,93,66,54	16,15,48,13	4,43,47,17	13,86,45,87
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग				
दत्तमत	12,05,67,20	10,81,95,41	11,47,08,93	9,38,53,29
37. ग्रामीण कार्य विभाग				
दत्तमत	34,48,92,38	79,87,13,00	34,83,25,92	68,64,54,17
38. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग				
दत्तमत	6,78,84,74	8,00,00	4,78,03,58	2,23,84
39. आपदा प्रबंधन विभाग				
दत्तमत	95,48,31,49	1,00,00,00	40,85,20,04	55,07,27
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग				
दत्तमत	27,41,47,62	21,00,02	18,32,70,78	0
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	24,08,74,56	73,25,28,57	23,56,73,00	72,79,73,28
42. ग्रामीण विकास विभाग				
दत्तमत	1,84,08,59,76	50,00,00	1,13,41,59,65	20,46,73

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
44,23,18	0	0	0
0	*0*	*43,29* (₹43,29,084)	*0*
2,84,85,16	0	0	0
1,61,73	*0*	*0*	*0*
5,07,88	*0*	*0*	*0*
3,50,19,37	2,29,02,26	0	0
58,58,27	1,43,42,12	0	0
0	11,22,58,83	34,33,54 (₹ 34,33,53,904)	0
2,00,81,16	5,76,16	0	0
54,63,11,45	44,92,73	0	0
9,08,76,84	21,00,02	0	0
52,01,56	45,55,29	0	0
70,67,00,11	29,53,27	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
43. विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग				
दत्तमत	7,81,91,84	3,87,29,00	6,57,17,89	3,41,79,79
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग				
दत्तमत	19,67,22,94	9,00,00	16,02,26,83	1,00,00
45. गन्ना उद्योग विभाग				
दत्तमत	1,47,74,84	0	94,71,63	0
46. पर्यटन विभाग				
दत्तमत	2,27,10,62	8,02,00,00	1,43,22,93	6,73,10,66
47. परिवहन विभाग				
दत्तमत	6,09,09,28	34,50,00	2,37,19,26	6,28,22
48. नगर विकास एवं आवास विभाग				
दत्तमत	1,51,08,86,79	8,64,50,00	93,85,81,71	6,18,62,00
49. जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	14,17,27,71	42,00,30,98	13,46,79,11	41,18,63,73
50. लघु जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	3,41,63,13	10,34,60,00	3,05,53,98	8,77,52,02
51. समाज कल्याण विभाग				
दत्तमत	1,35,75,54,98	3,11,67,09	1,17,83,24,09	98,65,73
52. खेल विभाग				
दत्तमत	2,12,80,00	0	1,47,29,25	0
कुल दत्तमत :	26,95,41,31,49	4,98,46,53,54	20,08,00,52,32	4,25,88,60,73
कुल प्रभारित :	*2,27,38,30,70*	*2,23,92,71,73*	*2,18,45,69,39*	*2,19,43,66,84*
कुल जोड़ :	**29,22,79,62,19**	**7,22,39,25,27**	**22,26,46,21,71**	**6,45,32,27,57**

नोट: (i) कुल व्यय में पिछले वर्षों के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधित राशि ₹37,05,29,36 हजार शामिल है। मानदंड राशि से कम की बचत और बिना किसी बजट प्रावधान के पिछले वर्षों के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अधिकाई व्यय के उप-शीर्षों को नोट्स और टिप्पणियों में शामिल नहीं किया गया है।

(ii) बजट के ऑकड़े, सकल आधार पर लिये गए है, सिवाय अनुदान 41 के जिसे विनियोग अधिनियम 2024-25 के अनुसार निवल आधार पर लिया गया है।

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
1,24,73,95	45,49,21	0	0
3,64,96,11	8,00,00	0	0
53,03,21	0	0	0
83,87,69	1,28,89,34	0	0
3,71,90,02	28,21,78	0	0
57,23,05,08	2,45,88,00	0	0
70,48,60	81,67,25	0	0
36,09,15	1,57,07,98	0	0
17,92,30,89	2,13,01,36	0	0
65,50,75	0	0	0
6,87,75,12,71	72,57,92,81	34,33,54	0
8,93,04,60	*4,49,04,89*	*43,29*	*0*
6,96,68,17,31	**77,06,97,70**	**34,76,83**	0

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम	अनुभाग
शून्य	शून्य

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

अनुदान /विनियोग संख्या	लेखा का मुख्य शीर्ष वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2024-25 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

(₹ हजार में)

शून्य

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	20,08,00,52,32	4,25,88,60,73	*2,18,45,69,39*	*2,19,43,66,84*
घटायें- कुल वसूलियाँ	25,43,22,69	13,53,02,06	*41,09*	*0*
कैम्पा निधि का समायोजन	29,59,64	0	*0*	*0*
राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन के कारण होने वाला व्यय तथा आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं में अंतरण	10,57,77,00	0	*0*	*0*
केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	0	2,55,17,00	*0*	*0*
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे खण्ड-I के विवरण 11 में दिखाया गया है ।	19,71,69,92,99	4,09,80,41,67	*2,18,45,28,30*	*2,19,43,66,84*

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

बिहार सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान की गई लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही बिहार सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे बिहार सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए बिहार के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे सम्बंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखे वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और बिहार सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किए गए हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 01 जनवरी 2026
स्थान : नई दिल्ली

अनुदान संख्या- 1- कृषि विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2402 मृदा तथा जल संरक्षण

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

2435 अन्य कृषि कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**33,70,92,08**	**39,07,50,15**	**21,63,55,47**	**(-)17,43,94,68**
अनुपूरक	**5,36,58,07**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**5,46,57,99**
24 जूलाई 2024	3,03,45,45			
26 नवम्बर 2024	2,24,59,82			
11 मार्च 2025	18,52,72			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**2,30,00,00**	**2,40,00,00**	**1,47,34,46**	**(-)92,65,54**
अनुपूरक	**10,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,74,394.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹30,345.45 लाख), नवम्बर 2024 (₹21,459.82 लाख) तथा मार्च 2025 (₹1,852.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹53,658.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹1,74,394.68 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधिते ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹1,882.74 लाख से कम है। अत: यह ₹1,76,277.42 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹54,657.99 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹1,76,277.42 लाख) से ₹ 1,21,619.43 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,847.69	1,850.69	1,279.29	(-)571.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹571.40 लाख का अंतिम बचत, ₹ 85.13 लाख से कम है। ₹ 656.53 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.00				
2401-00-001-0011 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	49,007.25	48,892.25	33,931.79	(-)14,960.46	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹59.85 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 210.15 लाख का प्रत्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	155.00				
	पुनर्वि०	(-)270.00				
2401-00-001-0013 कृषि विपणन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.08	12.28	0.00	(-)12.28	प्रावधान में ₹ 12.20 लाख की हुई वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, कार्यालय व्यय तथा दूरभाष मद के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	12.20				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-001-0214 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	471.43	1,256.31	628.30	(-)628.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	784.88				
2401-00-001-0314 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	110.44	838.48	418.87	(-)419.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	728.04				
2401-00-102-0201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,886.21	7,062.20	5,805.50	(-)1,256.70	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,256.70 लाख का अंतिम बचत, ₹41.53 लाख से कम है। ₹1,298.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,175.99				
2401-00-102-0301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	893.27	4,726.15	3,813.02	(-)913.13	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹913.13 लाख का अंतिम बचत, ₹3.96 लाख से कम है। ₹ 917.09 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,832.88				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-103-0001 बीज सवंर्धन फार्म (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,039.20	3,039.20	2,403.20	(-)636.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹636.00 लाख का अंतिम बचत, ₹ 27.59 लाख से कम है। ₹ 663.59 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-103-0109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	15,240.98	18,384.98	13,568.89	(-)4,816.09	₹621.06 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,816.09 लाख का अंतिम बचत, ₹ 13.25 लाख से कम है। ₹4,829.34 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,765.06				
	पुनर्वि०	(-)621.06				
2401-00-103-0218 सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	687.84	666.74	434.90	(-)231.84	₹21.10 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)21.10				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-103-0318 सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	160.09	458.77	289.94	(-)168.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	298.68				
2401-00-104-0106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	9,034.40	5,104.40	2,326.96	(-)2,777.44	₹3,930.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,930.00				
2401-00-104-0205 परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	982.24	1,178.74	460.00	(-)718.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	196.50				
2401-00-104-0305 परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	228.23	785.90	306.67	(-)479.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	557.67				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-105-0001 कम्पोस्ट खाद योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	439.67	442.82	278.98	(-)163.84	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹163.84 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.12 लाख से अधिक है। ₹ 163.72 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.15				
2401-00-105-0106 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	5,499.20	5,499.20	1,724.10	(-)3,775.10	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,775.10 लाख का अंतिम बचत, ₹ 130.56 लाख से कम है। ₹3,905.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-105-0207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	295.01	540.64	0.00	(-)540.64	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	245.63				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-105-0307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	68.53	360.28	14.29	(-)345.99	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹345.99 लाख का अंतिम बचत, ₹14.29 लाख से कम है। अतः यह ₹ 360.28 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	291.75				
2401-00-108-0001 पाट विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	296.88	296.88	102.74	(-)194.14	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹194.14 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.10 लाख से अधिक है। ₹ 194.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-108-0220 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन (खाद्य तेल - तेलहन) (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	594.34	594.34	260.50	(-)333.84	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹333.84 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.89 लाख से कम है। ₹ 334.73 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-108-0320 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन (खाद्य तेल - तेलहन) (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	396.23	396.23	173.67	(-)222.56	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹222.56 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.14 लाख से कम है। ₹ 222.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-109-0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	14,140.80	14,140.80	4,937.72	(-)9,203.08	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,203.08 लाख का अंतिम बचत, ₹124.27 लाख से कम है। ₹9,327.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-109-0106 इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	38,942.20	27,889.24	19,292.75	(-)8,596.49	₹11,052.96 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,596.49 लाख का अंतिम बचत, ₹ 122.02 लाख से कम है। ₹8,718.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)11,052.96				
2401-00-109-0122 सिंचाई - सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,356.80	2,356.80	1,996.13	(-)360.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-109-0216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,025.93	10,146.34	8,971.75	(-)1,174.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,120.41				
2401-00-109-0217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,268.64	4,910.64	3,618.80	(-)1,291.84	₹2,358.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,358.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-109-0218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,653.43	2,122.88	2,122.74	(-)0.14	₹530.55 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)530.55				
2401-00-109-0316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,532.64	6,614.80	5,981.15	(-)633.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,082.16				
2401-00-109-0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,691.94	3,277.29	2,341.99	(-)935.30	₹1,572.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,157.35				
	पुनर्वि०	(-)1,572.00				
2401-00-109-0318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	616.44	1,414.74	1,414.74	0.00	₹353.70 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	अनु०	1,152.00				
	पुनर्वि०	(-)353.70				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-113-0105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंकानाइजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	10,212.80	7,225.56	5,681.88	(-)1,543.68	₹2,987.24 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,543.68 लाख का अंतिम बचत, ₹ 51.58 लाख से अधिक है। ₹1,492.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,987.24				
2401-00-113-0217 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,002.60	5,788.60	3,678.88	(-)2,109.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	786.00				
2401-00-113-0317 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,170.58	3,867.97	2,421.44	(-)1,446.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,697.39				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-119-0001 उद्यान विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,855.54	2,871.13	2,234.24	(-)636.89	₹12.41 लाख के प्रत्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹636.89 लाख का अंतिम बचत, ₹ 13.79 लाख से कम है। ₹ 650.68 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	28.00				
	पुनर्वि०	(-)12.41				
2401-00-119-0101 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	23,568.00	21,210.00	13,883.15	(-)7,326.85	₹2,358.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,326.85 लाख का अंतिम बचत, ₹ 30.50 लाख से कम है। ₹7,357.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,358.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-119-0124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,571.20	1,170.63	0.00	(-)1,170.63	₹400.57 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)400.57				
2401-00-119-0224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,979.63	3,066.09	2,544.45	(-)521.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	86.46				
2401-00-119-0324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	691.99	2,043.74	1,686.55	(-)357.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,351.75				
2401-00-789-0106 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	9,845.00	7,098.10	4,109.76	(-)2,988.34	₹2,746.90 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,988.34 लाख का अंतिम बचत, ₹ 52.05 लाख से कम है। ₹3,040.39 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,746.90				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	3,879.00	4,679.00	3,224.19	(-)1,454.81	₹109.01 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,454.81 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.37 लाख से कम है। ₹1,455.18 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	909.01				
	पुनर्वि०	(-)109.01				
2401-00-789-0120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	2,600.00	1,877.52	977.67	(-)899.85	₹722.48 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)722.48				
2401-00-789-0125 बाढ़ सुखाड़ की आपतकालीन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	3,600.00	1,260.04	(-)2,339.96	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,339.96 लाख का अंतिम बचत, ₹ 35.04 लाख से कम है। ₹2,375.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0126 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	1,400.00	353.89	(-)1,046.11	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,046.11 लाख का अंतिम बचत, ₹ 6.55 लाख से कम है। ₹ 1,052.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-789-0130 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	5,400.00	2,661.27	(-)2,738.73	₹600.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,738.73 लाख का अंतिम बचत, ₹ 102.27 लाख से कम है। ₹2,841.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
2401-00-789-0147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	2,300.00	1,300.00	592.10	(-)707.90	₹1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0152 सिंचाई - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	355.20	(-)244.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-789-0153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	306.12	0.00	(-)306.12	₹93.88 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)93.88				
2401-00-789-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,686.43	2,480.43	1,866.83	(-)613.60	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹613.60 लाख का अंतिम बचत, ₹ 158.21 लाख से कम है। ₹ 771.81 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	794.00				
2401-00-789-0234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य-तेल-तिलहन) (कृषोन्नति योजना)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	151.23	151.23	56.38	(-)94.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	753.71	775.71	597.00	(-)178.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	22.00				
2401-00-789-0236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,849.08	1,249.08	630.93	(-)618.15	₹600.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹618.15 लाख का अंतिम बचत, ₹ 10.04 लाख से कम है। ₹ 628.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
2401-00-789-0237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,071.26	1,879.40	1,360.46	(-)518.94	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹518.94 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.50 लाख से कम है। ₹ 521.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	808.14				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	74.63	137.13	0.00	(-)137.13	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	62.50				
2401-00-789-0239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	673.31	538.31	431.00	(-)107.31	₹135.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)135.00				
2401-00-789-0240 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान- कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	120.00	319.71	127.37	(-)192.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	199.71				
2401-00-789-0241 परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	249.88	299.88	89.00	(-)210.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50.00				
2401-00-789-0245 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,272.61	1,472.61	657.92	(-)814.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0249 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	174.65	169.28	83.85	(-)85.43	₹5.37 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5.37				
2401-00-789-0303 राष्ट्रीय कषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	491.57	1,784.74	1,139.08	(-)645.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,293.17				
2401-00-789-0323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	259.74	1,235.02	984.06	(-)250.96	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹250.96 लाख का अंतिम बचत, ₹ 21.65 लाख से कम है। ₹ 272.61 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	975.28				
2401-00-789-0334 राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल - तेलहन) (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	100.81	100.81	37.99	(-)62.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹62.82 लाख का अंतिम बचत, ₹0.41 लाख से कम है। ₹63.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	426.92	830.32	487.03	(-)343.29	₹400.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹343.29 लाख का अंतिम बचत, ₹ 70.90 लाख से कम है। ₹ 414.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	803.40				
	पुनर्वि०	(-)400.00				
2401-00-789-0338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	17.37	91.61	0.44	(-)91.17	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹91.17 लाख का अंतिम बचत, ₹0.44 लाख से कम है। ₹91.61 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	74.24				
2401-00-789-0339 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	156.69	359.82	287.33	(-)72.49	₹90.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	293.13				
	पुनर्वि०	(-)90.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0340 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	27.00	212.25	84.91	(-)127.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	185.25				
2401-00-789-0341 परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	58.12	200.02	59.33	(-)140.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	141.90				
2401-00-789-0345 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	287.39	973.76	431.79	(-)541.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	686.37				
2401-00-789-0349 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.35	116.35	55.90	(-)60.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	76.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0134 इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	712.80	512.66	184.35	(-)328.31	₹207.14 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹328.31 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.73 लाख से कम है। ₹ 329.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7.00				
	पुनर्वि०	(-)207.14				
2401-00-796-0140 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	279.35	335.35	10.23	(-)325.12	₹9.38 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹325.12 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.03 लाख से कम है। ₹ 325.15 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	65.38				
	पुनर्वि०	(-)9.38				
2401-00-796-0143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	187.20	134.53	35.52	(-)99.01	₹52.67 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)52.67				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0147 बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजन (राज्य स्कीम)	मूल	259.20	259.20	86.60	(-)172.60	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹172.60 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.05 लाख से कम है। ₹ 172.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-796-0148 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	100.80	100.80	24.73	(-)76.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-796-0152 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	432.00	390.00	220.39	(-)169.61	₹42.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹169.61 लाख का अंतिम बचत, ₹ 33.00 लाख से कम है। ₹ 202.61 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)42.00				
2401-00-796-0169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	165.60	95.60	41.46	(-)54.14	₹70.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)70.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0174 सिंचाई - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	43.20	43.20	30.64	(-)12.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-796-0175 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	28.80	23.25	0.00	(-)23.25	₹5.55 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5.55				
2401-00-796-0231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	126.39	181.97	138.99	(-)42.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	55.58				
2401-00-796-0256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल - तेलहन) (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	10.58	10.58	4.04	(-)6.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-796-0257 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	54.16	55.70	42.90	(-)12.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.54				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5.36	9.73	0.73	(-)9.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9.00 लाख का अंतिम बचत, ₹0.73 लाख से कम है। अतः यह ₹ 9.73 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4.37				
2401-00-796-0259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	71.92	128.49	96.31	(-)32.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹32.18 लाख का अंतिम बचत, ₹1.66 लाख से कम है। ₹33.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	56.57				
2401-00-796-0260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	132.28	90.28	78.48	(-)11.80	₹42.00 लाख के प्रत्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11.80 लाख का अंतिम बचत, ₹27.72 लाख से कम है। ₹39.52 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)42.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	48.26	38.81	34.00	(-)4.81	₹9.45 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9.45				
2401-00-796-0262 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8.57	22.55	9.93	(-)12.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	13.98				
2401-00-796-0263 परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	17.88	21.38	5.85	(-)15.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.50				
2401-00-796-0267 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	91.04	105.04	48.60	(-)56.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14.00				
2401-00-796-0271 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12.51	12.14	6.25	(-)5.89	₹0.37 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)0.37				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0356 राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल - तेलहन) (कृषोन्नति योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	7.06	7.06	2.69	(-)4.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-796-0357 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12.94	37.01	30.33	(-)6.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	24.07				
2401-00-796-0358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.25	6.45	0.00	(-)6.45	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5.20				
2401-00-796-0359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन) (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16.72	84.99	66.14	(-)18.85	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹18.85 लाख का अंतिम बचत, ₹0.26 लाख से कम है। ₹19.11 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	68.27				
2401-00-796-0360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30.84	59.07	33.83	(-)25.24	₹28.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	56.23				
	पुनर्वि०	(-)28.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11.22	25.44	22.67	(-)2.77	₹6.30 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	20.52				
	पुनर्वि०	(-)6.30				
2401-00-796-0362 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2.00	14.97	6.62	(-)8.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	12.97				
2401-00-796-0363 परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4.15	14.08	3.90	(-)10.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9.93				
2401-00-796-0367 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	21.15	69.19	33.56	(-)35.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	48.04				
2401-00-796-0371 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (कृषोन्नती योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2.91	8.23	4.16	(-)4.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5.32				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2402-00-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	395.19	397.19	295.54	(-)101.65	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹101.65 लाख का अंतिम बचत, ₹4.05 लाख से कम है। ₹ 105.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2.00				
2402-00-102-0004 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,103.41	1,105.41	762.42	(-)342.99	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹342.99 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.57 लाख से कम है। ₹ 343.56 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2.00				
2402-00-102-0112 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	4,713.60	4,166.40	2,743.93	(-)1,422.47	₹547.20 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,422.47 लाख का अंतिम बचत, ₹ 32.88 लाख से कम है। ₹1,455.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)547.20				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2402-00-102-0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटर डेवलपमेंट) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,806.76	3,580.93	3,488.00	(-)92.93	₹6,225.83 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)6,225.83				
2402-00-102-0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटर डेवलपमेंट) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,278.30	2,931.02	2,439.33	(-)491.69	₹3,440.15 लाख के प्रत्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹491.69 लाख का अंतिम बचत, ₹ 114.00 लाख से कम है। ₹ 605.69 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,092.87				
	पुनर्वि०	(-)3,440.15				
2402-00-789-0101 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,060.76	715.17	(-)345.59	₹139.24 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹345.59 लाख का अंतिम बचत, ₹ 24.98 लाख से कम है। ₹ 370.57 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)139.24				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2402-00-789-0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटर डेवलपमेंट) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,482.24	898.05	660.00	(-)238.05	₹1,584.19 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,584.19				
2402-00-789-0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटर डेवलपमेंट) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	577.76	743.85	440.00	(-)303.85	₹875.36 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,041.45				
	पुनर्वि०	(-)875.36				
2402-00-796-0108 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	86.40	76.66	49.69	(-)26.97	₹9.74 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9.74				
2402-00-796-0209 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटर डेवलपमेंट) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	178.28	67.39	0.00	(-)67.39	₹110.89 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)110.89				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2402-00-796-0309 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटर डेवलपमेंट) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	41.44	53.07	0.00	(-)53.07	₹61.27 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	72.90				
	पुनर्वि०	(-)61.27				
2415-01-004-0006 मिट्टी जॉच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	938.65	944.65	624.97	(-)319.68	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹319.68 लाख का अंतिम बचत, ₹ 18.48 लाख से कम है। ₹ 338.16 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6.00				
2415-01-004-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,178.40	1,178.40	750.23	(-)428.17	₹16.82 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	16.82				
	पुनर्वि०	(-)16.82				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-01-277-0005 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.01	5,342.12	5,230.70	(-)111.42	प्रावधान में ₹230.70 लाख की हुई वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	111.41				
	पुनर्वि०	230.70				
2415-01-277-0006 सेवा काल में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	332.24	340.65	182.26	(-)158.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹158.39 लाख का अंतिम बचत, ₹ 5.07 लाख से कम है। ₹ 163.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8.41				
2415-01-277-0008 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,650.00	13,307.89	0.00	(-)13,307.89	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹230.70 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 6,111.41 लाख का प्रत्यर्पण माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में RAU के कर्मियों को पेंशन एरियर भुगतान एवं पेंशन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,000.00				
	पुनर्वि०	(-)6,342.11				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-01-277-0101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	235.71	235.71	186.12	(-)49.59	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹49.59 लाख का अंतिम बचत, ₹70.00 लाख से कम है। ₹ 119.59 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2415-01-277-0108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	18,245.53	16,673.53	10,779.29	(-)5,894.24	₹1,572.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,572.00				
2415-01-789-0103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	4,645.00	4,245.00	3,193.99	(-)1,051.01	₹400.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)400.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-01-789-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	155.95	(-)144.05	₹3.57 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹144.05 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.04 लाख से कम है। ₹ 146.09 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.57				
	पुनर्वि०	(-)3.57				
2415-01-796-0104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	334.47	306.47	234.85	(-)71.62	₹28.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)28.00				
2415-01-796-0105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला (राज्य स्कीम)	मूल	21.60	21.60	5.05	(-)16.55	₹0.20 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.20				
	पुनर्वि०	(-)0.20				
2415-02-004-0201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,063.07	1,217.98	1,017.60	(-)200.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	154.91				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-02-004-0301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	246.91	811.85	678.88	(-)132.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	564.94				
2415-02-789-0201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	270.09	298.06	192.56	(-)105.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	27.97				
2415-02-789-0301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	62.91	199.03	131.22	(-)67.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	136.12				
2415-02-796-0201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	19.34	21.30	14.46	(-)6.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.96				
2415-02-796-0301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4.50	14.02	9.64	(-)4.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9.52				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2435-01-102-0003 बीज परीक्षण प्रयोगशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	606.44	606.44	230.32	(-)376.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹376.12 लाख का अंतिम बचत, ₹ 6.01 लाख से कम है। ₹ 382.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2435-60-101-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,435.36	2,435.36	785.60	(-)1,649.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2435-60-789-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	620.00	620.00	200.00	(-)420.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2435-60-796-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	44.64	44.64	14.40	(-)30.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3475-00-106-0001 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,387.46	1,402.46	1,142.63	(-)259.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹259.83 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.08 लाख से कम है। ₹ 260.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3475-00-106-0101 माप एवं तौल के मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	361.35	361.35	241.27	(-)120.08	₹116.22 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	116.22				
	पुनर्वि०	(-)116.22				
3475-00-789-0103 माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	92.00	92.00	47.79	(-)44.21	₹30.61 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	30.61				
	पुनर्वि०	(-)30.61				
3475-00-796-0103 माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	6.65	6.65	2.03	(-)4.62	₹2.05 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2.05				
	पुनर्वि०	(-)2.05				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

2401-00-796-0331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)(एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	29.41	119.94	231.81	(+)111.87	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹111.87 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 139.14 लाख से अधिक है। अतः यह ₹27.27 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹27.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	90.53				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-01-789-0105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	94.53	(+)34.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹34.53 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 65.23 लाख से अधिक है। अतः यह ₹30.70 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹30.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2415-01-796-0108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4.29	4.29	6.19	(+)1.90	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1.90 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹4.09 लाख से अधिक है। अतः यह ₹2.19 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 2.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹9,265.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 में प्राप्त किया गया ₹1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹ 9,265.54 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 73.16 लाख से कम है। अतः यह ₹9,338.70 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) वास्तविक अंतिम बचत (₹9,338.70 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4401-00-051-0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,356.80	3,142.80	1,517.26	(-)1,625.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	786.00				
4401-00-051-0103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	15,712.00	15,712.00	10,000.69	(-)5,711.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4401-00-789-0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	800.00	386.26	(-)413.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				
4401-00-789-0105 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	4,000.00	2,546.00	(-)1,454.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4401-00-796-0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	43.20	57.20	27.78	(-)29.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14.00				
4401-00-796-0103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	288.00	288.00	183.31	(-)104.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा			
मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2403 पशु-पालन

2404 डेरी विकास

2405 मछली-पालन

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**16,31,34,61**	**19,42,05,00**	**12,39,88,65**	**(-)7,02,16,35**
अनुपूरक	**3,10,70,39**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**33,09,16**
24 जूलाई 2024	10,09,92			
9 दिसम्बर 2024	6,64,02			
30 दिसम्बर 2024	15,28,38			
12 मार्च 2025	1,06,84			

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**0**	**2,04,89,00**	**1,97,89,00**	**(-)7,00,00**
अनुपूरक	**2,04,89,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹70,216.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹11,263.49 लाख), नवम्बर 2024 (₹2,858.21 लाख) तथा मार्च 2025 (₹16,948.69 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 31,070.39 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹70,216.35 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹145.06 लाख से कम है। अत: यह ₹ 70,361.41लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,309.16 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹70,361.41 लाख) से ₹67,052.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	854.08	1,274.15	950.54	(-)323.61	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹420.07 लाख की वृद्धि वेतन, यात्रा व्यय, ईंधन एवं वाहन के रख-रखाव, भाड़े की वाहन के भुंगतान तथा कार्यालय व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	420.07				
2403-00-001-0003 अधीक्षण-क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,817.38	4,883.44	4,352.50	(-)530.94	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹64.81 लाख की वृद्धि विद्युत-प्रभार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विज्ञापन एवं प्रकाशन तथा वेतन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 530.94 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.24 लाख से अधिक है। ₹530.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.25				
	पुनर्वि०	64.81				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-101-0003 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26,065.87	24,960.75	21,248.06	(-)3,712.69	प्रावधान में ₹ 1,105.12 लाख की हुई कमी, ₹ 79.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,184.12 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विद्युत-प्रभार हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,712.69 लाख का अंतिम बचत, ₹ 21.75 लाख से कम है। ₹3,734.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,105.12				
2403-00-101-0004 पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	232.41	241.79	202.36	(-)39.43	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹9.38 लाख की वृद्धि वेतन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹39.43 लाख का अंतिम बचत, ₹0.06 लाख से अधिक है। ₹39.37 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	9.38				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-101-0101 अस्पताल, औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	12,243.07	10,538.69	7,410.64	(-)3,128.05	प्रावधान में ₹1,704.38 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,897.81 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,100.31 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,501.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रकाशन एवं मुद्रण, वर्क-शॉप कांफ्रेस, सेमिनार विज्ञापन एवं प्रकाशन तथा मशीन एवं उपस्कर के कारण था। पुनर्विनियोग एवं प्रत्यर्पण द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,128.05 लाख का अंतिम बचत, ₹1.77 लाख से कम है। ₹3,129.82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,704.38				
2403-00-101-0108 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	11,250.00	11,959.88	9,751.00	(-)2,208.88	प्रावधान में ₹202.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹1,288.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,085.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	507.38				
	पुनर्वि०	202.50				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-101-0109 पशु संसाधनों का विकास (नाबार्ड सम्पोषित योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	211.00	211.00	0.00	(-)211.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-101-0201 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,510.74	8,440.74	498.02	(-)7,942.72	₹70.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)70.00				
2403-00-101-0203 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,668.61	2,668.61	580.83	(-)2,087.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-101-0301 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,600.00	1,570.00	354.83	(-)1,215.17	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				
2403-00-101-0303 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,779.07	1,779.07	389.46	(-)1,389.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-102-0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	118.30	131.86	130.80	(-)1.06	प्रावधान में ₹13.56 लाख की वृद्धि वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 1.06 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.13 लाख से कम है। ₹ 2.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	13.56				
2403-00-102-0006 पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,455.76	4,775.76	4,179.94	(-)595.82	प्रावधान में ₹320.00 लाख की वृद्धि जीवन-निर्वाह भत्ता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 595.82 लाख का अंतिम बचत, ₹ 7.06 लाख से कम है। ₹ 602.88 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	320.00				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-102-0007 मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु-कल्याण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	187.01	225.76	214.81	(-)10.95	प्रावधान में ₹38.75 लाख की वृद्धि प्रकाशन एवं मुद्रण एवं वेतन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹10.95 लाख का अंतिम बचत, ₹0.88 लाख से कम है। ₹11.83 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	38.75				
2403-00-102-0110 गोशाला के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	180.00	(-)20.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-103-0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	737.38	745.38	622.91	(-)122.47	प्रावधान में ₹8.00 लाख की वृद्धि विद्युत-प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	8.00				
2403-00-103-0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	950.00	950.00	889.35	(-)60.65	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹60.65 लाख का अंतिम बचत, ₹0.22 लाख से कम है। ₹60.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-105-0102 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-106-0212 राष्ट्रीय मवेशी प्रबंधन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-106-0214 एकीकृत न्यायदर्श सर्वेक्षण परियोजना (वेतन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-106-0215 एकीकृत न्यायदर्श सर्वेक्षण परियोजना (अन्य अवयव) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	240.00	240.00	0.00	(-)240.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-106-0312 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-106-0314 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (वेतन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-106-0315 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना अन्य अवयव (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-113-0001 राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,212.85	1,400.72	1,360.03	(-)40.69	प्रावधान में ₹ 187.87 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 198.59 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वेतन, विद्युत-प्रभार एवं किराया शुल्क और कर में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹40.69 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.66 लाख से अधिक है। ₹40.03 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	187.87				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-113-0002 पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाईयाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32.60	54.59	38.95	(-)15.64	प्रावधान में ₹21.99 लाख की वृद्धि वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹15.64 लाख का अंतिम बचत, ₹0.35 लाख से कम है। ₹15.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	21.99				
2403-00-789-0109 पशुधन विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,100.00	348.21	348.01	(-)0.20	प्रावधान में ₹751.79 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹161.39 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹590.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी तथा प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)751.79				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-789-0110 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	336.00	336.00	312.54	(-)23.46	प्रावधान में ₹5.40 लाख की हुई कमी, ₹3.40 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.40 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹5.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विज्ञापन एवं प्रकाशन के कारण था। पुर्नविनियोग द्वारा कमी सहायक-अनुदान-गैर-वेतन में संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5.40				
	पुनर्वि०	(-)5.40				
2403-00-789-0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,101.30	1,398.59	1,016.48	(-)382.11	प्रावधान में ₹ 107.39 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 242.11 लाख की वृद्धि तथा ₹134.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण एवं विज्ञापन एवं प्रकाशन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	189.90				
	पुनर्वि०	107.39				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-789-0112 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,054.00	2,600.62	(-)453.38	प्रावधान में ₹54.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 261.74 लाख की वृद्धि तथा ₹207.74 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	54.00				
2403-00-789-0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,177.31	2,177.31	88.28	(-)2,089.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-789-0207 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-789-0209 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	514.43	514.43	168.46	(-)345.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-789-0306 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	440.00	440.00	37.33	(-)402.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-789-0307 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	160.00	160.00	0.00	(-)160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-789-0310 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	342.96	342.96	107.32	(-)235.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-796-0129 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	180.04	(-)19.96	₹1.90 लाख का प्रत्यर्पण सहायक अनुदान-गैर-वेतन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.90				
	पुनर्वि०	(-)1.90				
2403-00-796-0130 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	161.17	171.09	103.98	(-)67.11	₹19.62 लाख का प्रत्यर्पण सामग्री एवं आपूर्ति तथा संविदा सेवाएं के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	29.54				
	पुनर्वि०	(-)19.62				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-796-0131 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	689.88	674.91	(-)14.97	प्रावधान में ₹60.12 लाख की हुई कमी, ₹20.26 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.76 लाख की कमी तथा ₹73.62 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक-अनुदान परिसम्पतियों का निर्माण के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण सहायक अनुदान-गैर-वेतन में बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)60.12				
2403-00-796-0132 पशुधन विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	150.08	59.75	(-)90.33	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹13.50 लाख की कमी सहायक-अनुदान परिसम्पतियों का निर्माण में बचत के कारण था। ₹46.34 लाख का प्रत्यर्पण सहायक-अनुदान परिसम्पतियों का निर्माण एवं सहायक अनुदान-गैर-वेतन में बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9.92				
	पुनर्वि०	(-)59.84				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-796-0228 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	539.95	438.87	24.47	(-)414.40	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹101.08 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹414.40 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.56 लाख से कम है। ₹ 414.96 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)101.08				
2403-00-796-0230 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2403-00-796-0232 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	32.15	133.23	133.23	0.00	प्रावधान में ₹ 101.08 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।
	पुनर्वि०	101.08				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-796-0328 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	110.00	82.50	22.95	(-)59.55	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹27.50 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹59.55 लाख का अंतिम बचत, ₹0.80 लाख से कम है। ₹60.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)27.50				
2403-00-796-0330 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	30.00	0.00	(-)30.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2403-00-796-0332 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	21.43	88.93	88.82	(-)0.11	प्रावधान में ₹67.50 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	67.50				
2404-00-102-0010 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,164.54	1,162.14	1,056.90	(-)105.24	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.40 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2.40				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2404-00-102-0115 गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	8,460.00	14,792.46	8,624.75	(-)6,167.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,332.46				
2404-00-102-0116 आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनायें - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	3,741.00	3,741.00	3,440.62	(-)300.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2404-00-102-0117 डेयरी संयंत्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (एससीडीएफ-सिडबी) (राज्य स्कीम)	अनु०	4,695.00	4,695.00	0.00	(-)4,695.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2405-00-001-0001 मत्स्य विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,794.69	4,813.76	3,886.23	(-)927.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹927.53 लाख का अंतिम बचत, ₹ 5.21 लाख से कम है। ₹ 932.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	19.07				
2405-00-001-0003 बिहार राज्य मछुआरा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-001-0101 मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन (राज्य स्कीम)	मूल	823.85	823.85	481.04	(-)342.81	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹342.81 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.52 लाख से कम है। ₹ 344.33 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2405-00-101-0001 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,627.64	1,612.64	1,275.01	(-)337.63	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 337.63 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.49 लाख से कम है। ₹ 339.12 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)15.00				
2405-00-101-0102 मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	25.52	25.52	0.00	(-)25.52	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2405-00-101-0104 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	7,242.19	8,970.69	7,387.42	(-)1,583.27	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹106.50 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,835.00				
	पुनर्वि०	(-)106.50				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-101-0117 मत्स्य सम्पदा - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	7,494.00	8,500.50	6,510.76	(-)1,989.74	प्रावधान में ₹ 106.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 166.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लघु कार्य में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	900.00				
	पुनर्वि०	106.50				
2405-00-101-0219 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,636.24	7,119.13	550.22	(-)6,568.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,482.89				
2405-00-101-0319 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन नीली क्रांति- समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,408.87	4,943.96	996.31	(-)3,947.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,535.09				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-109-0102 मत्स्य प्रसार (राज्य स्कीम)	मूल	1,434.54	1,434.54	921.33	(-)513.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2405-00-789-0102 मत्स्य सम्पदा - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,146.00	2,036.10	(-)109.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	146.00				
2405-00-789-0201 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,504.20	1,504.20	139.65	(-)1,364.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2405-00-789-0301 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	376.00	525.53	75.69	(-)449.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	149.53				
2405-00-796-0201 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	380.56	380.56	44.35	(-)336.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-796-0301 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	95.13	184.60	15.36	(-)169.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	89.47				
2415-03-277-0001 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,542.80	6,542.80	2,430.90	(-)4,111.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2415-03-277-0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,992.00	4,416.07	3,439.19	(-)976.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,424.07				
2415-03-789-0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,800.00	3,179.75	2,919.25	(-)260.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	379.75				
2415-03-796-0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	708.00	802.93	737.81	(-)65.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	94.93				
3451-00-090-0008 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	493.34	546.84	402.85	(-)143.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	53.50				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3454-01-001-0003 पशु गणना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	39.21	41.71	16.27	(-)25.44	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.50 लाख की वृद्धि वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	2.50				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2404-00-789-0101 ग्रामीण डेयरी रोजगार योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	2,400.00	2,400.00	2,452.42	(+)52.42	₹1,000.00 लाख का प्रत्यर्पण प्रथम अनुपूरक आगणन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹52.42 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 53.46 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 1.04 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹1.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹700.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹19,789.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹700.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹20,489.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 2- क्रमांत

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4403-00-051-0103 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	अनु०	525.00	525.00	0.00	(-)525.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4403-00-789-0101 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	अनु०	140.00	140.00	0.00	(-)140.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4403-00-796-0101 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	अनु०	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 3- भवन निर्माण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2059 लोक निर्माण कार्य

2205 कला एवं संस्कृति

2216 आवास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3053 नागर विमानन

3055 सड़क परिवहन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**10,14,99,62**	**29,02,02,42**	**14,30,32,19**	**(-)14,71,70,23**
अनुपूरक	**18,87,02,80**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

4408 खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**39,97,65,86**	**60,85,00,35**	**47,65,49,10**	**(-)13,19,51,25**
अनुपूरक	**20,87,34,49**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**60,82,60**
13 मार्च 2025	82,60			
28 मार्च 2025	60,00,00			

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,47,170.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,87,886.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹605.42 लाख) तथा मार्च 2025 (₹211.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,88,702.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹1,47,170.23 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,579.34 लाख से कम है। अतः यह ₹1,52,749.57 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹1,52,749.57 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0020 भवन निर्माण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	405.06	518.26	432.76	(-)85.50	प्रावधान में ₹113.20 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	113.20				
2059-01-053-0011 पशुपालन विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0017 विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	84.67	(-)15.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0023 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	41.76	(-)58.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0025 वर्तमान न्यायालय का पुनर्रूपांकण (वित्त आयोग की अनुशंसा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.01	40.01	8.60	(-)31.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹31.41 लाख का अंतिम बचत, ₹8.60 लाख से कम है। ₹40.01 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2059-01-053-0026 कोर्ट भवन, जिला कोर्ट आदि का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,900.00	1,900.00	1,742.86	(-)157.14	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹157.14 लाख का अंतिम बचत, ₹285.70 लाख से कम है। ₹442.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0027 खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	152.01	0.00	(-)152.01	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹152.00 लाख की वृद्धि रख-रखाव एवं मरम्मत में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	152.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0031 पर्यटन विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	14.53	(-)85.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0032 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	6.37	(-)93.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0033 ग्रामीण विकास विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	175.00	136.79	(-)38.21	प्रावधान में ₹75.00 लाख की वृद्धि रख-रखाव एवं मरम्मत में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	75.00				
2059-01-053-0102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	127.07	(-)72.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0103 गृह विभाग (कारा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	43.60	(-)56.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0104 गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	14.40	(-)85.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0105 गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0118 वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	306.10	(-)693.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0122 लघु जल संसाधन विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	अनु०	209.47	209.47	170.71	(-)38.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0128 अभियोजन निदेशालय के कार्यालय कक्ष के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	76.69	23.76	(-)52.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	76.68				
2059-01-053-0130 सहकारिता विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	520.00	467.73	(-)52.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	20.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-60-053-0001 शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	10.00	(-)90.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹90.00 लाख का अंतिम बचत, ₹10.00 लाख से कम है। अतः यह ₹100.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-60-053-0002 शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	15.81	(-)9.19	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9.19 लाख का अंतिम बचत, ₹15.81 लाख से कम है। अतः यह ₹25.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-60-053-0013 कारा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	1,500.00	785.60	(-)714.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹714.40 लाख का अंतिम बचत, ₹ 72.60 लाख से कम है। ₹ 787.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
2059-60-053-0014 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	500.01	4.67	(-)495.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
2059-60-053-0016 उपभोक्ता फोरमों के भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	0.96	(-)24.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-60-053-0017 कर-भवन, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	250.00	250.00	0.00	(-)250.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-001-0004 निष्पादन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	24,969.22	24,999.22	16,253.19	(-)8,746.03	प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की वृद्धि संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,746.03 लाख का अंतिम बचत, ₹5.49 लाख से अधिक है। ₹ 8,740.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	30.00				
2059-80-001-0011 उद्यान स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	921.19	921.19	681.93	(-)239.26	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹239.26 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.23 लाख से अधिक है। ₹ 239.03 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-80-051-0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	336.90	(-)63.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-052-0001 नई पूर्ति एवं मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	216.83	(-)33.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-80-053-0002 कार्यभारित स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-80-053-0004 विद्युत कार्य के लिए (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,000.00	7,100.00	6,922.69	(-)177.31	प्रावधान में ₹100.00 लाख की वृद्धि मरम्मत एवं रख-रखाव में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹177.31 लाख का अंतिम बचत, ₹ 162.93 लाख से कम है। ₹ 340.24 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	100.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-053-0006 नगर निगम एवं नगरपालिका कर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	2,020.00	2,011.42	(-)8.58	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,920.00 लाख की वृद्धि मरम्मत एवं रख-रखाव में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	1,920.00				
2059-80-053-0010 राज भवन का मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	300.00	242.72	(-)57.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-80-053-0015 गाँधी मैदान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-80-053-0018 इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,000.00	5,456.14	3,482.55	(-)1,973.59	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹543.86 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)543.86				
2059-80-053-0019 दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-053-0101 पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	398.10	204.49	(-)193.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	198.10				
2059-80-103-0004 निरीक्षण भवनों का साज-सज्जा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	31.25	31.25	0.00	(-)31.25	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-80-103-0005 राज भवन का साज-सज्जा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	73.52	(-)26.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-107-0002 बापू टॉवर समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.02	147.32	147.30	(-)0.02	प्रावधान में ₹147.30 लाख की वृद्धि सहायक-अनुदान-गैर-वेतन तथा वेतन इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	147.30				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-07-052-0001 विधायकों, राज्य मंत्रियों, मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज-सामान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	295.50	(-)204.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2216-07-053-0001 अन्य रख-रखाव व्यय - प्रखंड के भवनों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	225.00	1.94	(-)223.06	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹75.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)75.00				
2216-07-053-0003 निबंधन विभाग के आवासीय भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	250.00	200.57	(-)49.43	प्रावधान में ₹150.00 लाख की वृद्धि रख-रखाव एवं मरम्मत में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 49.43 लाख का अंतिम बचत, ₹ 8.09 लाख से कम है। ₹ 57.52 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	150.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-07-053-0005 न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.00	1,720.00	1,167.33	(-)552.67	प्रावधान में ₹220.00 लाख की वृद्धि मरम्मत एवं रख-रखाव में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹552.67 लाख का अंतिम बचत, ₹ 95.89 लाख से कम है। ₹ 648.56 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	220.00				
2235-02-101-0125 मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना - चमन गृह (दिव्यांगजनों के लिए) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	30.39	(-)69.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-101-0224 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.24	(-)199.76	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹199.76 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.24 लाख से कम है। ₹ 200.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-101-0324 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-101-0008 पंचायत सरकार भवन (राज्य वित्त आयोग-पंचायती राज विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,85,536.00	1,85,536.00	53,197.59	(-)1,32,338.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3053-02-102-0001 हवाई अड्डे (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-053-0001 अनुरक्षण और मरम्मत मतदेय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	42,500.00	39,805.47	42,003.92	(+)2,198.45	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,694.53 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,198.45 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹4,436.91 लाख से अधिक है। ₹2,238.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,694.53				
2059-80-053-0013 आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानों/पार्कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	1,041.25	(+)41.25	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹41.25 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 75.76 लाख से अधिक है। ₹34.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-053-0017 माननीय उच्च न्यायालय पटना के आवासीय एवं गैर-आवासीय उद्यानों/ पार्कों का रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	143.96	(+)43.96	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹43.96 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 47.40 लाख से अधिक है। ₹3.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3055-00-190-0103 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	928.94	(+)128.94	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 128.94 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹1,31,951.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹96,861.97 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,02,282.92 लाख) तथा मार्च 2025 (₹9,589.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,08,734.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹1,31,951.25 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹48,757.23 लाख से कम है। अतः यह ₹1,80,708.48 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,082.60 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹1,80,708.48 लाख) से ₹1,74,625.88 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4047-00-051-0101 वाणिज्यकर विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,600.00	416.08	(-)1,183.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,183.92 लाख का अंतिम बचत, ₹ 35.32 लाख से कम है। ₹1,219.24 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4047-00-051-0105 कोषागार कार्यालय में अतिरिक्त संसाधन का अधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	अनु०	0.01	23.01	21.05	(-)1.96	प्रावधान में ₹23.00 लाख की वृद्धि कोषागार कार्यालयों हेतु मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	23.00				
4055-00-051-0103 नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण .गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	25.41	(-)174.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4055-00-051-0105 पुलिस तथा अन्य भवनों का निर्माण-गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	6,000.00	219.38	(-)5,780.62	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,780.62 लाख का अंतिम बचत, ₹ 219.30 लाख से कम है। ₹5,999.92 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0101 भवन (राज्य स्कीम)	मूल	17,950.00	16,500.00	14,259.07	(-)2,240.93	₹1,450.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,240.93 लाख का अंतिम बचत, ₹ 300.92 लाख से कम है। ₹ 2,541.85 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,450.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0104 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,300.25	18,126.65	17,861.41	(-)265.24	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹265.24 लाख का अंतिम बचत, ₹ 840.65 लाख से कम है। ₹ 1,105.89 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14,826.40				
4059-01-051-0106 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ-सह-कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,965.00	2,965.00	273.53	(-)2,691.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0110 निबंधन विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	1,455.00	1,035.96	(-)419.04	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹419.04 लाख का अंतिम बचत, ₹ 118.60 लाख से कम है। ₹ 537.64 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	955.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0111 उत्पाद विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	1,248.40	813.84	(-)434.56	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹434.56 लाख का अंतिम बचत, ₹ 92.94 लाख से कम है। ₹ 527.50 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	748.40				
4059-01-051-0113 सहकारिता विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	486.11	(-)1,013.89	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,013.89 लाख का अंतिम बचत, ₹ 40.93 लाख से कम है। ₹1,054.82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0116 संयुक्त श्रम भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.00	876.19	(-)2,123.81	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,123.81 लाख का अंतिम बचत, ₹ 150.94 लाख से कम है। ₹2,274.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0118 पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण (पंचायती राज विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	41.25	(-)158.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0122 अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	26.57	(-)173.43	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹173.43 लाख का अंतिम बचत, ₹ 10.62 लाख से कम है। ₹ 184.05 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0124 बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	26.00	26.00	0.00	(-)26.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0133 बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद (राज्य स्कीम)	अनु०	750.00	750.00	0.00	(-)750.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-789-0101 अनुसूचित जातियों के लिए भवनें (राज्य स्कीम)	मूल	34,149.00	60,149.00	52,130.38	(-)8,018.62	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,018.62 लाख का अंतिम बचत, ₹ 141.89 लाख से कम है। ₹8,160.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	26,000.00				
4059-01-789-0104 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों के निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	440.00	440.00	312.48	(-)127.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-796-0106 संयुक्त श्रम भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	68.85	(-)131.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-796-0107 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों के निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	139.50	139.50	110.51	(-)28.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0015 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इ०वी०एम०) गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	252.05	(-)747.95	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹747.95 लाख का अंतिम बचत, ₹ 150.59 लाख से कम है। ₹ 898.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0017 वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए०डी०आर० केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	0.00	(-)250.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0101 सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	1,027.00	0.00	(-)1,027.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹23.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	550.00				
	पुनर्वि०	(-)23.00				
4059-60-051-0104 परिसदन का निर्माण एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.25	1,200.25	795.84	(-)404.41	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹404.41 लाख का अंतिम बचत, ₹ 75.20 लाख से कम है। ₹479.61 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0105 केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	16,000.00	8,955.41	(-)7,044.59	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,044.59 लाख का अंतिम बचत, ₹ 306.77 लाख से कम है। ₹7,351.36 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,000.00				
4059-60-051-0106 स्टेडियम एवं खेल संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	33,000.00	38,200.00	24,904.18	(-)13,295.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹13,295.82 लाख का अंतिम बचत, ₹ 83.85 लाख से कम है। ₹13,379.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,200.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0107 सांस्कृतिक संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	13,800.00	23,300.00	19,596.60	(-)3,703.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,703.40 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1,904.98 लाख से कम है। ₹5,608.38 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,500.00				
4059-60-051-0109 सूचना भवन (राज्य स्कीम)	अनु०	278.14	278.14	21.14	(-)257.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0114 डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	9.05	(-)190.95	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹190.95 लाख का अंतिम बचत, ₹ 9.05 लाख से कम है। ₹ 200.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0116 जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	181.61	(-)68.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹68.39 लाख का अंतिम बचत, ₹ 52.27 लाख से कम है। ₹ 120.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0120 व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 न्यायालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0121 पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	3,000.00	2,083.77	(-)916.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
4059-60-051-0123 मुख्यमंत्री निश्यच स्वयं सहायता योजना भवन (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	29.06	(-)220.94	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹220.94 लाख का अंतिम बचत, ₹ 19.42 लाख से कम है। ₹ 240.36 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0124 बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.25	7,500.25	6,126.69	(-)1,373.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,000.00				
4059-60-051-0126 विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	10,000.00	8,748.00	(-)1,252.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,000.00				
4059-60-051-0144 बिहार भवन, नई दिल्ली (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	0.00	(-)2,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0145 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0218 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0222 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	300.00	88.18	(-)211.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0318 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0420 उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	229.90	229.90	0.00	(-)229.90	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0425 स्वचछता मिशन ऍक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरम(केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	15.75	15.75	0.75	(-)15.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0004 सरकारी भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्त्तन संबंधी मुख्य निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0105 न्यायिक भवन (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	7,150.00	6,737.98	(-)412.02	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹412.02 लाख का अंतिम बचत, ₹ 266.04 लाख से कम है। ₹ 678.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,650.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0109 बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रावास निर्माण (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	4,100.00	1,086.52	(-)3,013.48	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,013.48 लाख का अंतिम बचत, ₹ 38.23 लाख से कम है। ₹3,051.71 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,700.00				
4059-80-051-0110 न्यायिक भवनें (भवन निर्माण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
4059-80-051-0122 आई०टी० भवन (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	63.32	(-)236.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0123 डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	17,200.00	7,558.27	(-)9,641.73	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,641.73 लाख का अंतिम बचत, ₹ 109.15 लाख से कम है। ₹9,750.88 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,700.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0220 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	36,000.00	36,000.00	6,181.59	(-)29,818.41	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹29,818.41 लाख का अंतिम बचत, ₹ 130.57 लाख से कम है। ₹29,948.98 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0221 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,400.00	4,400.00	184.00	(-)4,216.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,216.00 लाख का अंतिम बचत, ₹ 184.00 लाख से कम है। ₹4,400.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0320 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,400.00	6,000.00	3,971.94	(-)2,028.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,600.00				
4059-80-051-0321 अल्पसंख्यकों के लिए बहुद्देशीय विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	52.90	(-)447.10	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 447.10 लाख का अंतिम बचत, ₹ 52.90 लाख से कम है। ₹ 500.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0324 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम- विशेष राज्यांश (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-104-0108 पोलिटेकनिक भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	9,541.00	9,541.00	3,763.57	(-)5,777.43	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,777.43 लाख का अंतिम बचत, ₹ 3,307.65 लाख से कम है। ₹9,085.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-02-104-0111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन -सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	9,035.02	15,695.02	11,525.13	(-)4,169.89	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,169.89 लाख का अंतिम बचत, ₹ 431.96 लाख से कम है। ₹4,601.85 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,660.00				
4202-02-789-0102 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन -सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	3,920.00	5,240.00	4,252.13	(-)987.87	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹987.87 लाख का अंतिम बचत, ₹ 210.87 लाख से कम है। ₹1,198.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,320.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-796-0102 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन -सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	245.00	423.72	245.64	(-)178.08	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹178.08 लाख का अंतिम बचत, ₹ 18.15 लाख से कम है। ₹ 196.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	178.72				
4216-01-700-0003 लोक निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	700.00	700.00	610.22	(-)89.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4216-01-700-0101 अन्य आवास (राज्य स्कीम)	मूल	43,000.00	38,500.00	37,271.94	(-)1,228.06	₹4,500.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,500.00				
4216-01-700-0102 न्यायिक आवासीय भवनें (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)25.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4216-01-700-0105 न्यायाधीशों के लिए आवास (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	714.00	24,114.00	18,955.93	(-)5,158.07	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,158.07 लाख का अंतिम बचत, ₹ 105.80 लाख से कम है। ₹5,263.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	23,400.00				
4216-01-700-0206 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	24,200.00	24,200.00	4,536.92	(-)19,663.08	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹19,663.08 लाख का अंतिम बचत, ₹ 258.24 लाख से कम है। ₹19,921.32 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4216-01-700-0306 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,842.00	4,542.00	2,753.12	(-)1,788.88	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,788.88 लाख का अंतिम बचत, ₹ 13.71 लाख से कम है। ₹1,802.59 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,700.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4216-80-051-0103 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	147.39	(-)52.61	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹52.61 लाख का अंतिम बचत, ₹ 40.49 लाख से कम है। ₹ 93.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4225-04-051-0103 अल्पसंख्यक आवसीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	9,625.00	9,625.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹875.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था।
	अनु०	7,000.00				
	पुनर्वि०	(-)875.00				
4225-04-051-0104 बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	175.70	(-)324.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹324.30 लाख का अंतिम बचत, ₹ 45.78 लाख से कम है। ₹ 370.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-80-051-0103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	2,075.00	1,580.35	(-)494.65	प्रावधान में ₹875.00 लाख की वृद्धि छात्रावास निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹494.65 लाख का अंतिम बचत, ₹ 386.10 लाख से कम है। ₹ 880.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	875.00				
4225-80-051-0104 अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	9.53	(-)190.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4235-02-051-0104 समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,961.00	4,311.00	3,232.59	(-)1,078.41	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,078.41 लाख का अंतिम बचत, ₹ 111.31 लाख से कम है। ₹1,189.72 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	350.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4408-02-101-0101 लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	182.60	0.00	(-)182.60	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	82.60				
4408-02-101-0102 खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5452-01-101-0103 पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	अनु०	1,644.89	1,644.89	1,132.84	(-)512.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0117 प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	4,850.00	4,850.00	5,977.68	(+)1,127.68	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,127.68 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹1,293.33 लाख से अधिक है। अतः यह ₹165.65 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 165.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0127 प्रखंड सूचना प्रौधोगिकी केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	2,260.21	(+)1,360.21	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,360.21 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹1,797.85 लाख से अधिक है। अतः यह ₹437.64 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹437.64 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-60-051-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	4,211.31	6,456.31	12,001.13	(+)5,544.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,544.82 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹5,648.88 लाख से अधिक है। अतः यह ₹104.06 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹104.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,245.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-789-0106 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	811.82	1,525.24	2,807.35	(+)1,282.11	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,282.11 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹1,304.42 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 22.31 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 22.31 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	713.42				
4059-60-796-0103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.74	95.33	142.55	(+)47.22	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹47.22 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹63.91 लाख से अधिक है। अतः यह ₹16.69 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹16.69 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	44.59				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0117 इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	17,400.00	17,400.00	18,112.10	(+)712.10	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹712.10 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 4,703.21 लाख से अधिक है।अतः यह ₹3,991.11 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹3,991.11 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	58,700.00	58,973.09	(+)273.09	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	28,700.00				
4202-02-051-0101 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना (राज्य स्कीम)	मूल	7,500.00	23,500.00	25,980.25	(+)2,480.25	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	16,000.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-105-0105 अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	16,000.00	16,300.00	28,419.21	(+)12,119.21	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹12,119.21 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹19,272.85 लाख से अधिक है। अतः यह ₹7,153.64 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹7,153.64 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	300.00				
4210-01-110-0116 शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	360.01	667.92	(+)307.91	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹307.91 लाख का अंतिम अधिक व्यय ₹ 307.92 लाख से अधिक है। अतः यह ₹0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.01 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	360.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-02-104-0101 वृद्धाश्रम (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	127.71	(+)27.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹27.71 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 127.71 लाख से अधिक है। अतः यह ₹100.00 लाख वास्तविक अंतिम बचत है । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4250-00-051-0106 राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	14,000.00	17,341.80	(+)3,341.80	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,341.80 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹3,341.91 लाख से अधिक है। अतः यह ₹0.11 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.11 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	13,000.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4408-02-051-0101 जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	267.40	302.24	(+)34.84	₹82.60 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 34.84 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹40.56 लाख से अधिक है। अतः यह ₹5.72 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 5.72 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)82.60				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

(ix)(क) **उचन्त लेन-देन :-** इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं । लघु शीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचन्त।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है।

(ii) **क्रय** - जब माह के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट ''कार्य'' शीर्ष में या ''स्टॉक'' उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर ''क्रय'' में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को ''क्रय'' शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के ऋण अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है । वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष ''8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उचन्त लेखा'' के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम**- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) **कार्यशाला उचन्त**- लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2024-25 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2025 को अंतशेष
		(₹ लाख में)			
लोक निर्माण कार्य एवं आवास					
क्रय	(-)2,777.22	0.00	0.00	0.00	(-)2,777.22
स्टॉक	1,349.82	0.00	0.00	0.00	1,349.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	19,503.64	0.00	0.00	0.00	19,503.64
कुल	**18,076.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,076.24**

अनुदान संख्या- 3- क्रमांत

(x) **भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा**- लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2022-23 से 2024-25 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षो के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
			(₹ लाख में)		
2022-23	2,60,070.78	64,539.76	24.82	124.45	0.05
2023-24	2,97,960.39	79,538.62	26.69	739.54	0.25
2024-25	4,25,816.71	84,033.29	19.73	512.33	0.12

अनुदान संख्या- 4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2013 मंत्रिपरिषद

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

3053 नागर विमानन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,18,49,73**	**3,80,64,46**	**2,46,01,95**	**(-)1,34,62,51**
अनुपूरक	**62,14,73**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,90,00**
1 नवम्बर 2024	90,00			
26 नवम्बर 2024	2,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,48,75,00**	**1,79,75,01**	**76,92,91**	**(-)1,02,82,10**
अनुपूरक	**31,00,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹13,462.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹4,144.96 लाख), नवम्बर 2024 (₹645.02 लाख) तथा मार्च 2025 (₹1,424.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,214.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹13,462.51 लाख की अंतिम बचत, ₹87.56 लाख से कम है। अत: यह ₹13,550.07 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹290.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹13,550.07 लाख) से ₹13,260.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2013-00-101-0001 मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,570.89	3,560.39	3,029.66	(-)530.73	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹17.50 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कम विपत्र प्राप्त होने के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹530.73 लाख का अंतिम बचत, ₹2.27 लाख से कम है। ₹533.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7.00				
	पुनर्वि०	(-)17.50				
2013-00-101-0002 राज्य मंत्रीगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.07	0.07	0.00	(-)0.07	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2013-00-104-0001 आतिथ्य व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	17.34	(-)82.66	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹82.66 लाख का अंतिम बचत, ₹7.00 लाख से कम है। ₹89.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2013-00-105-0003 राज्य मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2013-00-108-0003 (1) राज्य मंत्रीगण का यात्रा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2013-00-108-0004 (2) निजि स्टाफ का यात्रा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2013-00-800-0001 मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	300.00	186.05	(-)113.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50.00				
2013-00-800-0002 राज्य मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.04	0.04	0.00	(-)0.04	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0001 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मुख्य मंत्री सचिवालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,478.10	1,702.60	1,617.42	(-)85.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	224.50				
2052-00-090-0016 राजभाषा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	476.14	476.14	358.84	(-)117.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0024 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,365.81	1,631.31	1,535.08	(-)96.23	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹96.23 लाख का अंतिम बचत, ₹6.50 लाख से कम है। ₹102.73 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	265.50				
2052-00-090-0065 ''जनता के दरबार में मुख्यमंत्री'' कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	190.00	190.00	18.44	(-)171.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0101 राजभाषा (राज्य स्कीम)	मूल	280.00	280.00	54.90	(-)225.10	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹225.10 लाख का अंतिम बचत, ₹0.79 लाख से कम है। ₹225.89 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0147 सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	6.30	(-)43.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-092-0023 उर्दू निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	249.93	333.39	249.14	(-)84.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	83.46				

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-092-0103 20 सूत्री कार्यक्रम-कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (राज्य स्कीम)	मूल अनु० पुनर्वि०	100.00 2,790.00 (-)290.00	2,600.00	454.47	(-)2,145.53	₹90.00 लाख का प्रत्यर्पण वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹200.00 लाख का प्रत्यर्पण भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में आंतरिक सामंजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,145.53 लाख का अंतिम बचत, ₹2.89 लाख से कम है। ₹2,148.42 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-092-0123 उर्दू निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	76.90	(-)173.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2053-00-093-0106 20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यालय हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.21	(-)199.79	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹199.79 लाख का अंतिम बचत, ₹0.21 लाख से कम है। ₹200.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2053-00-094-0011 द्वितीय राजभाषा (उर्दू) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,435.29	6,435.29	3,844.55	(-)2,590.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0108 बिहार विकास मिशन- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	9,000.00	9,000.00	5,856.00	(-)3,144.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-106-0003 बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1.13	1.13	0.42	(-)0.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-114-0001 सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,612.61	5,892.61	3,784.83	(-)2,107.78	प्रावधान में ₹120.00 लाख की हुई कमी, ₹20.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹140.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रावधान में ₹90.00 लाख की कमी उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय के लिए क्रय किये गए 96 आई0 टी0 प्रोडक्ट्स के कारण था। प्रावधान में ₹50.00 लाख की कमी, ₹20.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,400.00				
	पुनर्वि०	(-)120.00				
2070-00-115-0001 राज्य अतिथि गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	173.40	188.40	146.19	(-)42.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15.00				
2070-00-115-0002 बिहार भवन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,252.59	2,252.59	1,503.66	(-)748.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-115-0005 गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य राजकीय समारोह हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	165.00	315.00	255.48	(-)59.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	150.00				
2205-00-104-0102 अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	34.41	(-)45.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-104-0103 बिहार का गौरव श्रृंखला के प्रकाशनार्थ (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	3.92	(-)96.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3053-80-003-0001 प्रशिक्षण तथा शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	636.05	921.55	650.22	(-)271.33	प्रावधान में ₹90.00 लाख की वृद्धि उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय के लिए जेम पोर्टल से क्रय किये गए 96 आई0 टी0 प्रोडक्ट्स के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	195.50				
	पुनर्वि०	90.00				

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2013-00-108-0001 (1) मंत्रिगण का यात्रा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	62.00	79.50	106.94	(+)27.44	प्रावधान में ₹17.50 लाख की वृद्धि मंत्रीगण के यात्रा व्यय मद में अधिक विपक्ष प्राप्त होने के कारण था। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	17.50				
2053-00-094-0008 राजभाषा स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	74.68	78.93	87.31	(+)8.38	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8.38 लाख का अधिक व्यय, ₹45.59 लाख से अधिक है। अतः यह ₹37.21 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹37.21 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4.25				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹10,282.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹600.01 लाख) तथा मार्च 2025 (₹2,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,100.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹0.01 लाख), अंतिम बचत (₹10,282.10 लाख) से ₹10,282.09 लाख कम था।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-051-0117 बिहार राज्य अतिथि गृह, नई दिल्ली (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-051-0119 बिहार भवन, मुम्बई (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	3,100.00	685.48	(-)2,414.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	600.00				
5053-02-102-0101 हवाई अड्डे (राज्य स्कीम)	मूल	11,375.00	13,875.00	7,007.44	(-)6,867.56	प्रावधान में ₹0.01 लाख की कमी, ₹1,809.92 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,809.92 लाख की कमी तथा ₹0.01 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। प्रत्यर्पण आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹1,809.92 लाख की वृद्धि बिहटा, पटना में प्रस्तावित हवाई अड्डा तथा पूर्णिया हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव के परिचालन हेतु आधारभूत संरचना हेतु भूमि अर्जन के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,500.01				
	पुनर्वि०	(-)0.01				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

विनियोग संख्या- 5- राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*51,31,86*	*51,81,86*	*45,05,00*	*(-)6,76,86*
अनुपूरक	*50,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹676.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹50.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹676.86 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1.00 लाख से कम है। अतः यह ₹677.86 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹677.86 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

विनियोग संख्या- 5- क्रमशः

(iii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-090-0001 सचिवालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*3,215.13*	*3,215.13*	*2,589.39*	*(-)625.74*	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹625.74 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.00 लाख से कम है। ₹626.74 लाख के वास्तविक बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-103-0001 राज्यपाल की परिलब्धियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल अनु०	*426.14* *40.00*	*466.14*	*363.50*	*(-)102.64*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-103-0004 राज्यपाल का सज्जा भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*20.00*	*20.00*	*2.41*	*(-)17.59*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-103-0005 विद्युत (उर्जा उपभोग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*5.00*	*5.00*	*0.00*	*(-)5.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-103-0006 जल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1.25*	*1.25*	*0.00*	*(-)1.25*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

विनियोग संख्या- 5- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-103-0007 मौलिक निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*2.90*	*2.90*	*0.00*	*(-)2.90*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-103-0008 मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*47.10*	*47.10*	*24.17*	*(-)22.93*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-104-0001 सत्कार भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*80.00*	*90.00*	*75.07*	*(-)14.93*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	*10.00*				
2012-03-107-0001 गृह संबंधी खर्च (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*282.25*	*282.25*	*216.29*	*(-)65.96*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

(iv) अधिक व्यय (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-101-0001 राज्यपाल की परिलब्धियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*42.00*	*42.00*	*50.85*	*(+)8.85*	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-102-0001 वैवेकिक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*100.00*	*100.00*	*175.00*	*(+)75.00*	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2012-03-104-0002 दरबार व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*90.00*	*90.00*	*115.33*	*(+)25.33*	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

विनियोग संख्या- 5- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-105-0001 अन्य शुल्क- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*180.71*	*180.71*	*256.32*	*(+)75.61*	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2012	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

अनुदान संख्या- 6- निर्वाचन विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**8,48,32,52**	**10,58,67,52**	**9,62,99,15**	**(-)95,68,37**
अनुपूरक	**2,10,35,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**97,65,53**
31 मार्च 2025	97,65,53			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹9,568.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹8,785.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹12,250.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹21,035.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹9,568.37 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 346.64 लाख से कम है। अत: यह ₹9,915.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,765.53 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹9,915.01 लाख) से ₹149.48 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-103-0002 विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8.00	17.52	17.52	0.00	₹5.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15.00				
	पुनर्वि०	(-)5.48				
2015-00-105-0003 राज्य सभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8.00	0.30	0.30	0.00	₹7.70 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)7.70				
2015-00-105-0005 निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,500.00	14,258.10	14,187.14	(-)70.96	प्रावधान में ₹1,241.90 लाख की हुई कमी, ₹600.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,841.90 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। ₹600.00 लाख की वृद्धि निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत तथा प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,000.00				
	पुनर्वि०	(-)1,241.90				
2015-00-105-0006 मेनटेनेन्स आफ ईवीएम्स/वीवी पैट्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20.00	0.51	0.51	0.00	₹19.49 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)19.49				

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-106-0005 निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	405.00	407.26	407.26	0.00	₹397.74 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	400.00				
	पुनर्वि०	(-)397.74				
2015-00-106-0006 मेनटेनेन्स आफ ईवीएम्स/वीवी पैट्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	415.11	415.11	0.00	प्रावधान में ₹415.10 लाख की हुई वृद्धि, ₹430.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 14. 90 की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि रिपेयर कॉस्ट के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	415.10				
2015-00-800-0001 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के चुनाव पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.02	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)0.02				

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-102-0001 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,840.41	5,550.24	5,569.24	(+)19.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹19.00 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 17.60 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 1.40 लाख का अंतिम अधिक व्यय है। प्रावधान में ₹565.17 लाख की हुई कमी, ₹ 80.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹645.17 की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रत्यर्पण तथा ₹ 1.40 लाख की वास्तविक अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	275.00				
	पुनर्वि०	(-)565.17				

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-103-0001 विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,000.01	7,056.23	7,071.57	(+)15.34	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹15.34 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 32.20 लाख से अधिक है। अतः यह ₹16.86 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 813.78 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹130.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹ 16.86 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)943.78				
2015-00-105-0001 लोकसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	55,033.00	64,393.50	64,498.00	(+)104.50	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹104.50 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 170.87 लाख से अधिक है। अतः यह ₹66.37 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,080.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 5,059.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹ 66.37 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15,500.00				
	पुनर्वि०	(-)6,139.50				

अनुदान संख्या- 6- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-106-0001 राज्य विधानसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,503.01	1,660.02	1,786.87	(+)126.85	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹126.85 लाख से अधिक है। ₹642.99 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	800.00				
	पुनर्वि०	(-)642.99				
2015-00-108-0001 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,505.01	2,276.39	2,278.81	(+)2.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹2.42 लाख से अधिक है। प्रावधान में ₹213.62 लाख की हुई कमी, ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 313.62 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	985.00				
	पुनर्वि०	(-)213.62				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या -7- निगरानी विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**45,59,71**	**48,23,21**	**43,65,52**	**(-)4,57,69**
अनुपूरक	**2,63,50**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹457.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹48.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹106.50 लाख) तथा मार्च 2025 (₹109.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹263.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹457.69 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5.82 लाख से कम है। अतः यह ₹463.51 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹463.51 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 7- क्रमांत

(iii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0005 मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	678.72	891.72	856.32	(-)35.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	213.00				
2070-00-001-0006 तकनीकी परीक्षक कोषांग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	466.31	496.31	385.87	(-)110.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	30.00				
2070-00-001-0007 अनुसंधान ब्यूरो (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,854.73	2,857.23	2,691.24	(-)165.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2.50				
2070-00-001-0009 घूस की राशि की प्रतिपूति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	10.98	(-)29.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-001-0010 विशेष निगरानी इकाई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	519.95	537.95	415.29	(-)122.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	18.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,59,99,90**	**2,72,44,18**	**1,48,38,50**	**(-)1,24,05,68**
अनुपूरक	**12,44,28**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**8,78,93**
26 मार्च 2025	8,78,93			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**0**	**5,00,00**	**5,00,00**	**0**
अनुपूरक	**5,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹12,405.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹1,244.28 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹12,405.68 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹125.87 लाख से कम है। अत: यह ₹12,531.55 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹878.93 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹12,531.55 लाख) से ₹11,652.62 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2204-00-001-0001 युवक कल्याण निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	194.55	194.55	73.19	(-)121.36	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹121.36 लाख का अंतिम बचत, ₹3.54 लाख से कम है। ₹ 124.90 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2204-00-102-0001 राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,419.79	2,469.79	1,584.50	(-)885.29	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹885.29 लाख का अंतिम बचत, ₹3.12 लाख से कम है। ₹ 888.41 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50.00				

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2204-00-102-0002 राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,000.96	3,000.96	2,088.83	(-)912.13	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹912.13 लाख का अंतिम बचत, ₹0.36 लाख से कम है। ₹ 912.49 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2204-00-102-0003 राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,483.55	2,483.55	1,688.83	(-)794.72	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹794.72 लाख का अंतिम बचत, ₹6.69 लाख से कम है। ₹ 801.41 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-001-0001 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,145.83	2,205.83	630.65	(-)1,575.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	60.00				
2205-00-101-0002 बिहार संगीत नाटक अकादमी-स0 अ0 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2205-00-101-0004 भारतीय नृत्य कला मंदिर-स0 अ0 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-102-0101 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (राज्य स्कीम)	मूल	3,845.00	3,145.00	2,119.32	(-)1,025.68	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,025.68 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.68 लाख से कम है। ₹ 700.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹1,027.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)700.00				
2205-00-103-0001 पुरातत्व निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,692.82	1,692.82	419.61	(-)1,273.21	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,273.21 लाख का अंतिम बचत, ₹0.73 लाख से कम है। ₹ 1,273.94 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2205-00-103-0101 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	435.00	401.07	306.86	(-)94.21	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹94.21 लाख का अंतिम बचत, ₹ 84.23 लाख से कम है। ₹33.93 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹ 178.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)33.93				
2205-00-107-0001 संग्रहालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,459.39	7,459.39	4,544.27	(-)2,915.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,915.12 लाख का अंतिम बचत, ₹ 17.98 लाख से कम है। ₹2,933.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
2205-00-107-0101 संग्रहालय (राज्य स्कीम)	मूल	920.00	775.00	303.91	(-)471.09	₹145.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)145.00				

अनुदान संख्या- 8- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2205-00-190-0101 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	200.00	(-)800.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2251-00-090-0003 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,023.01	1,157.29	685.52	(-)471.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	134.28				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान का पूर्णतया उपयोग किया गया।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 9- सहकारिता विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2408 खाद्य भंडारण तथा भंडागार

2425 सहकारिता

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**11,91,85,24**	**13,42,79,75**	**10,95,70,05**	**(-)2,47,09,70**
अनुपूरक	**1,50,94,51**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,22,16,27**
13 सितम्बर 2024	1			
19 फरवरी 2025	1			
11 मार्च 2025	1,22,16,25			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	**17,51,20**	**28,17,09**	**26,42,68**	**(-)1,74,41**
अनुपूरक	**10,65,89**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹24,709.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹78.20 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 1,596.76 लाख) तथा मार्च 2025 (₹13,419.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹15,094.51 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹24,709.70 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹138.67 लाख से कम है। अत: यह ₹24,848.37 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹12,216.27 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹24,848.37 लाख) से ₹12,632.10 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-110-0104 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य बीमा निधि में अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-110-0107 पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-110-0110 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2401-00-110-0112 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	38,382.00	29,200.00	29,153.60	(-)46.40	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹9,182.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9,182.00				
2401-00-789-0151 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,718.00	5,100.00	5,100.00	0.00	₹10,618.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)10,618.00				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0173 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	0.01	660.01	660.00	(-)0.01	प्रावधान में ₹660.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	660.00				
2425-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	647.02	1,073.61	930.74	(-)142.87	प्रावधान में ₹38.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹142.87 लाख का अंतिम बचत, ₹9.99 लाख से कम है। ₹152.86 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	388.59				
	पुनर्वि०	38.00				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-001-0002 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,248.42	18,378.61	17,631.28	(-)747.33	प्रावधान में ₹131.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹226.60 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹95.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹747.33 लाख का अंतिम बचत, ₹19.58 लाख से कम है। ₹766.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	999.19				
	पुनर्वि०	131.00				
2425-00-001-0003 सहकारी अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	23.79	48.72	42.22	(-)6.50	प्रावधान में ₹10.43 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14.50				
	पुनर्वि०	10.43				
2425-00-001-0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	210.00	104.38	(-)105.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.00				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-001-0201 निबंधक सहयोग समितियों के कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	63.95	63.95	43.65	(-)20.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-001-0202 निबंधक सहयोग समितियों के कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण (साफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्पोनेन्ट) (100 प्रतिशत) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	150.00	150.00	52.41	(-)97.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-001-0301 निबंधक सहयोग समितियों के कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	12.91	12.91	0.00	(-)12.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-003-0001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	98.13	194.84	170.18	(-)24.66	प्रावधान में ₹95.01 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.70				
	पुनर्वि०	95.01				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-003-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	755.00	695.60	(-)59.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	255.00				
2425-00-003-0103 सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं निर्माण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.25	14.54	(-)85.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.25				
2425-00-101-0001 अंकेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,929.89	4,705.45	4,258.97	(-)446.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹274.44 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 446.48 लाख का अंतिम बचत, ₹ 13. 55 लाख से कम है। ₹ 460. 03 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50.00				
	पुनर्वि०	(-)274.44				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-105-0101 सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	450.00	1,416.27	647.95	(-)768.32	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹966.27 लाख की वृद्धि कान्फ्रेंस एवं सेमिनार हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹768.32 लाख का अंतिम बचत, ₹0.49 लाख से अधिक है। ₹767.83 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	966.27				
2425-00-107-0105 मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	397.00	397.00	153.00	(-)244.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-107-0106 अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	19,455.72	18,529.12	(-)926.60	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,455.72 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	4,455.72				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-107-0142 केंद्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,169.75	1,169.55	(-)0.20	प्रावधान में ₹430.25 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹400.00 लाख की कमी तथा ₹30.25 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण अन्य योजनाओं में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से समरुप राशि के उपबंध के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)430.25				
2425-00-108-0107 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-108-0114 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	11,987.30	15,487.30	14,812.04	(-)675.26	प्रावधान में ₹3,500.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 675.26 लाख का अंतिम बचत, ₹ 64.50 लाख से कम है। ₹ 739.76 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	3,500.00				
2425-00-108-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	5,250.00	5,250.00	5,067.75	(-)182.25	₹1,568.01 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,568.01				
	पुनर्वि०	(-)1,568.01				
2425-00-108-0118 पैक्सों/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-108-0201 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,763.00	2,763.00	1,465.78	(-)1,297.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-108-0301 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	642.00	1,842.00	977.19	(-)864.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,200.00				
2425-00-108-0419 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-190-0011 बिहार राज्य भंडार निगम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	864.16	864.16	383.45	(-)480.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-789-0101 अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान (राज्य स्कीम)	अनु०	2,000.00	2,000.00	795.68	(-)1,204.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-789-0102 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान (राज्य स्कीम)	अनु०	6,538.00	6,538.00	2,792.61	(-)3,745.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2425-00-789-0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	अनु०	1,560.00	1,560.00	1,220.98	(-)339.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹174.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹545.89 लाख) तथा मार्च 2025 (₹520.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,065.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4425-00-107-0113 केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा-पूंजी में अंशदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4425-00-108-0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	1,750.00	1,750.00	1,689.25	(-)60.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4425-00-789-0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	अनु०	520.00	520.00	406.99	(-)113.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 9- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6425-00-107-0101 बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
6425-00-108-0419 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.55	(-)0.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 10- ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2059 लोक निर्माण कार्य

2801 विद्युत

2810 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**98,71,12,80**	**1,62,46,29,90**	**1,62,16,12,78**	**(-)30,17,12**
अनुपूरक	**63,75,17,10**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**17,84,00**
12 मार्च 2025	17,84,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	**15,51,55,00**	**52,94,12,20**	**46,77,92,56**	**(-)6,16,19,64**
अनुपूरक	**37,42,57,20**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**4,33,33,20**
12 मार्च 2025	4,33,33,20			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹3,017.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹6,34,501.45 लाख), नवम्बर 2024 (₹3,015.55 लाख) तथा मार्च 2025 (₹0.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,37,517.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,017.12 लाख की अंतिम बचत, ₹26.93 लाख से कम है। अतः यह ₹3,044.05 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,784.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹3,044.05 लाख) से ₹1,260.05 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 10- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2045-00-103-0001 विद्युत निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	128.91	160.97	141.37	(-)19.60	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹19.60 लाख का अंतिम बचत, ₹6.17 लाख से कम है। ₹ 25.77 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	32.06				
2810-00-104-0101 अपरम्परागत उर्जा स्त्रोत (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	11,204.00	10,000.00	(-)1,204.00	₹1,784.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,988.00				
	पुनर्वि०	(-)1,784.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹61,619.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,54,000.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,65,140.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹55,117.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,74,257.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹43,333.20 लाख), अंतिम बचत (₹61,619.64 लाख) से ₹18,286.44 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4801-05-190-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0 की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	1,00,000.00	92,374.82	(-)7,625.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	70,000.00				

अनुदान संख्या- 10- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4801-05-190-0107 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	36,300.00	1,36,305.00	1,28,121.02	(-)8,183.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,00,005.00				
4801-05-190-0111 बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0 (राज्य स्कीम)	मूल	21,052.00	1,024.80	772.00	(-)252.80	₹20,027.20 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)20,027.20				
4810-00-101-0102 जल जीवन हरियाली (राज्य स्कीम)	अनु०	39,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	₹22,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)22,000.00				
6801-00-190-0015 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 (रूरल ई0 को0 से लिए गए ऋण के सूद के भुगतान हेतु) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,161.00	1,175.00	1,040.64	(-)134.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14.00				
6801-00-190-0016 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 (रूरल ई0 को0 से लिए गए ऋण के सूद के भुगतान हेतु) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,904.00	2,030.00	1,939.89	(-)90.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	126.00				

अनुदान संख्या- 10- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6801-00-201-0101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	694.00	0.00	(-)694.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता तथा ₹1,306.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,306.00				
6801-00-201-0105 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	अनु०	1,306.00	1,306.00	0.00	(-)1,306.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2045	शून्य	शून्य	शून्य
2801	शून्य	शून्य	शून्य
2810	शून्य	शून्य	शून्य
3451	शून्य	शून्य	शून्य
4801	शून्य	शून्य	शून्य
4810	शून्य	शून्य	शून्य
6801	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या -11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**16,64,89,61**	**17,84,73,52**	**15,82,84,58**	**(-)2,01,88,94**
अनुपूरक	**1,19,83,91**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**22,40,00**	**22,40,00**	**4,82**	**(-)22,35,18**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹20,188.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,200.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹10,783.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹11,983.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹20,188.94 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹974.47 लाख से कम है। अतः यह ₹21,163.41 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹21,163.41 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-001-0002 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण - निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	140.79	140.79	87.96	(-)52.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-03-001-0003 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण-क्षेत्रीय कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,214.43	3,049.70	1,358.11	(-)1,691.59	प्रावधान में ₹262.96 लाख की हुई कमी, ₹ 334.97 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 597.93 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	98.23				
	पुनर्वि०	(-)262.96				
2225-03-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,095.01	1,533.70	1,197.65	(-)336.05	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹336.05 लाख का अंतिम बचत, ₹25.99 लाख से कम है। ₹362.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	438.69				

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-277-0010 पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,941.56	6,992.11	5,750.76	(-)1,241.35	प्रावधान में ₹233.46 लाख की हुई वृद्धि वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं विद्युत प्रभार के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,241.35 लाख का अंतिम बचत, ₹ 62.99 लाख से कम है। ₹ 1,304.34 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	817.09				
	पुनर्वि०	233.46				
2225-03-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,10,604.00	1,20,129.30	1,07,634.64	(-)12,494.66	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹12,494.66 लाख का अंतिम बचत, ₹ 515.31 लाख से कम है। ₹13,009.97 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,525.30				
2225-03-277-0212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-277-0214 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-03-277-0215 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,999.99	11,999.99	9,425.00	(-)2,574.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-03-277-0312 अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-03-277-0314 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,489.00	2,489.00	0.00	(-)2,489.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-198-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	19,900.00	19,900.00	20,631.00	(+)731.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹731.00 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या -11- क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹2,235.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹2,240.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-03-277-0101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	4.82	(-)495.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4225-03-277-0202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के विकास हेतु स्कीम (ओ0 बी0 सी0 छात्र/छात्राए के लिए छात्रावास) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,170.00	1,170.00	0.00	(-)1,170.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4225-03-277-0302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के विकास हेतु स्कीम (ओ0 बी0 सी0 छात्र/छात्राए के लिए छात्रावास) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	570.00	570.00	0.00	(-)570.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 12- वित्त विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन

2058 लेखन-सामग्री तथा मुद्रण

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,20,33,82**	**4,43,73,34**	**3,54,96,37**	**(-)88,76,97**
अनुपूरक	**1,23,39,52**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**32,90,51**
31 मार्च 2025	32,90,51			

प्रभारित :

मूल	***16,45,96,09***	***16,45,96,09***	***16,45,86,00***	***(-)10,09***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

7999 आकस्मिकता निधि को विनियोजन

दत्तमत :

मूल	**7,68,20,00**	**16,68,20,01**	**16,08,26,44**	**(-)59,93,57**
अनुपूरक	**9,00,00,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**38,31,25**
28 मार्च 2025	30,21,25			
31 मार्च 2025	8,10,00			

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹8,876.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹6,993.61 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹ 4,897.72 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 448.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹12,339.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹8,876.97 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹ 54.98 लाख से कम है। अतः यह ₹8,931.95 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,290.51 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹8,931.95 लाख) से ₹5,641.44 लाख कम था।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2047-00-103-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	299.52	299.52	64.46	(-)235.06	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹235.06 लाख का अंतिम बचत, ₹0.37 लाख से कम है। ₹235.43 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0008 वित्त विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,286.06	10,456.33	7,980.92	(-)2,475.41	प्रावधान में ₹ 79.73 लाख की हुई कमी, ₹ 531.13 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 610.86 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भाड़े की गाड़ी का भुगतान, प्रशिक्षण व्यय, संविदा सेवाये तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,475.41 लाख का अंतिम बचत, ₹37.67 लाख से कम है। ₹2,513.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	250.00				
	पुनर्वि०	(-)79.73				
2052-00-090-0015 भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	226.46	226.46	159.76	(-)66.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-092-0005 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,412.49	5,857.27	5,855.66	(-)1.61	₹1,702.82 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,147.60				
	पुनर्वि०	(-)1,702.82				

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2054-00-095-0002 भविष्य निधि लेखा का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,326.76	2,326.76	2,045.83	(-)280.93	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹280.93 लाख का अंतिम बचत, ₹3.68 लाख से कम है। ₹284.61 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2054-00-097-0001 कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,585.00	8,907.00	6,800.10	(-)2,106.90	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,106.90 लाख का अंतिम बचत, ₹10.30 लाख से कम है। ₹ 2,117.20 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	322.00				
2054-00-098-0001 स्थानीय निधि अंकेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4.02	4.02	0.00	(-)4.02	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2058-00-102-0001 फार्म प्रेस, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	396.22	396.22	277.70	(-)118.52	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹118.52 लाख का अंतिम बचत, ₹0.27 लाख से अधिक है। ₹118.25 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2058-00-103-0001 राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,012.79	1,020.79	895.42	(-)125.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8.00				
2070-00-004-0002 बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	519.50	389.63	333.35	(-)56.28	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹129.87 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)129.87				

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2204-00-104-0007 बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	58.00	379.52	267.60	(-)111.92	प्रावधान में ₹ 209.60 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	111.92				
	पुनर्वि०	209.60				
2204-00-104-0008 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता हेतु बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7.00	7.00	0.00	(-)7.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2054-00-095-0103 बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन परियोजना एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	9,912.32	9,915.22	(+)2.90	प्रावधान में ₹ 1,587.68 लाख की हुई कमी, ₹850.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 850.00 लाख की कमी तथा ₹ 1,587.68 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। प्रावधान में वृद्धि CFMS हार्डवेयर हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 2.90 लाख से अधिक है। प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,500.00				
	पुनर्वि०	(-)1,587.68				

राजस्व (प्रभारित)

(v) ₹10.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,64,596.09 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2048-00-101-0002 निक्षेप निधि के प्रबंधन पर सेवा शुल्क (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*10.00*	*10.00*	*0.00*	*(-)10.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजीगत (दत्तमत)

(viii) ₹5,993.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹40,000.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 50,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹90,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ix) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,831.25 लाख), अंतिम बचत (₹5,993.57 लाख) से ₹2,162.32 लाख कम था।

(x) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4058-00-103-0101 मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	190.00	190.00	0.00	₹810.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)810.00				
5475-00-800-0101 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान - निवेश (राज्य स्कीम)	मूल	1,920.00	1,920.00	0.00	(-)1,920.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
7610-00-201-0001 सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	544.25	407.63	(-)136.62	प्रावधान में ₹ 1,455.76 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 500.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹955.76 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण ससमय प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,455.76				
7610-00-201-0002 भारतीय सेवा पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	37.50	35.26	(-)2.24	₹162.50 लाख के प्रत्यर्पण प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2024)।
	पुनर्वि०	(-)162.50				

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
7610-00-202-0001 सरकारी सेवकों को माटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.01	40.00	0.00	(-)40.00	प्रावधान में ₹ 39.99 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 500.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹460.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मोटरगााड़ी अग्रिम में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रत्यर्पण प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	39.99				
7610-00-202-0003 मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
7610-00-202-0004 विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	241.44	177.98	(-)63.46	₹758.56 लाख के प्रत्यर्पण प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)758.56				

अनुदान संख्या- 12- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
7610-00-204-0001 पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	15.58	15.58	0.00	₹84.42 लाख के प्रत्यर्पण प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)84.42				

डी०डी०ओ० के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य

विनियोग संख्या- 13- सूद भुगतान
(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2049 ब्याज अदायगियाँ

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*2,05,26,18,66*	*2,05,26,18,66*	*1,96,78,13,86*	*(-)8,48,04,80*
अनुपूरक	*0*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹84,804.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹20,52,618.66 लाख का मूल विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-01-101-0001 बिहार राज्य विकास ऋण देय ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*17,13,057.88*	*16,52,315.17*	*16,33,625.72*	*(-)18,689.45*	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹60,742.71 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत ऋण की उगाही आवश्यकता के अनुसार किये जाने के कारण था।
	पुनर्वि०	*(-)60,742.71*				
2049-01-115-0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिये जाने के कारण था।
2049-01-200-0001 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये कर्जे से ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*40,000.00*	*40,000.00*	*38,779.32*	*(-)1,220.68*	अंतिम बचत अनुमानित ऋण से कम राशि प्राप्त होने के कारण था।
2049-01-200-0002 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारागार से लिये गये ऋण पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*3,275.32*	*3,275.32*	*2,977.56*	*(-)297.76*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-01-200-0005 भारतीय सामान्य बीमा निगम से लिए गये कर्जे पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2049-01-200-0007 राष्ट्रीय बीमा निगम से लिए गये कर्जे पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2049-01-200-0013 'उदय' स्कीम के अंतर्गत बिहार स्पेशल बांड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*13,708.00*	*13,708.00*	*9,071.01*	*(-)4,636.99*	अंतिम बचत आर. बी. आई, मुम्बई द्वारा देर से भुगतान करने के कारण था।
2049-01-200-0014 राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*2,100.00*	*1,600.00*	*21.67*	*(-)1,578.33*	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत अनुमान से कम ऋण प्राप्त होने के कारण था।
	पुनर्वि०	*(-)500.00*				

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-01-200-0015 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*500.01*	*32.55*	*(-)467.46*	प्रावधान में ₹500.00 लाख की वृद्धि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लिये कर्ज का ब्याज भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत अनुमान से कम ऋण प्राप्त होने के कारण था।
	पुनर्वि०	*500.00*				
2049-01-305-0002 नवीन ऋणों से संबंधित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*800.00*	*800.00*	*729.36*	*(-)70.64*	अंतिम बचत अनुमानित ऋण उगाही से कम ऋण उगाही होने के कारण था।
2049-03-104-0001 सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*72,500.00*	*72,500.00*	*65,547.00*	*(-)6,953.00*	अंतिम बचत जी. पी. एफ. के लिए कम ब्याज भुगतान के कारण था ।
2049-03-108-0001 बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*43,000.00*	*43,000.00*	*1,775.00*	*(-)41,225.00*	अंतिम बचत बीमा और पेंशन निधि पर कम ब्याज भुगतान के कारण था ।
2049-03-117-0001 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,000.00*	*1,000.00*	*0.00*	*(-)1,000.00*	अंतिम बचत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज का दावा नहीं होने के कारण था।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-04-112-0001 वाह्य संपोषित स्कीमों पर लिए गए कर्ज पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*56,948.72*	*1,16,948.72*	*1,08,682.26*	*(-)8,266.46*	प्रावधान में ₹ 60,000.00 लाख की वृद्धि बाह्य संपोषित योजना के लिए लिये गये ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत मुद्रा विनिमय दर में अनिश्चितता के कारण था।
	पुनर्वि०	*60,000.00*				
2049-05-101-0001 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2049-05-105-0001 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2049-60-101-0001 विविध जमा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2049-60-101-0002 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-60-701-0001 अंतरिम भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*20.00*	*45.00*	*37.76*	*(-)7.24*	प्रावधान में ₹25.00 लाख की वृद्धि ई. पी. एफ. पर ब्याज भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत अनुमानित बजट से कम व्यय होने के कारण था।
	पुनर्वि०	*25.00*				
2049-60-701-0002 जमींदारों को दिये गये मुआवजा-बंध-पत्रों पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50.00*	*50.00*	*0.00*	*(-)50.00*	अंतिम बचत बिहार जमींदारी बॉण्ड मद में परिपक्वता की राशि की वापसी का दावा प्रस्तुत नहीं होने के कारण था।
2049-60-701-0003 विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,000.00*	*1,700.00*	*1,554.76*	*(-)145.24*	प्रावधान में ₹700.00 लाख की वृद्धि ब्याज के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा मांगी गयी जयघोष सूद मद में व्यय नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	*700.00*				

विनियोग संख्या- 13- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-60-701-0004 विक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50.00*	*50.00*	*0.00*	*(-)50.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता अनुमानित बजट से कम व्यय होने के कारण था।
2049-60-701-0005 विलंबित भु0 पर सभी तरह के पेंशन (पा0 पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृति उपादान के बकाये राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*100.00*	*100.00*	*2.79*	*(-)97.21*	अंतिम बचत माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा मांगी गयी जयघोष सूद मद में व्यय नहीं होने के कारण था।
2049-60-701-0008 भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50.00*	*50.00*	*0.00*	*(-)50.00*	अंतिम बचत माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा मांगी गयी जयघोष सूद मद में व्यय नहीं होने के कारण था।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
–	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

विनियोग संख्या- 14- ऋण अदायगियाँ

(सभी प्रभारित)

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*2,23,92,71,73*	*2,23,92,71,73*	*2,19,43,66,84*	*(-)4,49,04,89*
अनुपूरक	*0*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

पूँजीगत (प्रभारित)

(i) ₹44,904.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹22,39,271.73 लाख का मूल विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

विनियोग संख्या- 14- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6003-00-101-N0006 13.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2003 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*6.27*	*6.27*	*0.00*	*(-)6.27*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-101-N0033 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2009 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1.57*	*1.57*	*0.00*	*(-)1.57*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-101-N0039 11 प्रतिशत राज्य विकास ऋण, 2001 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.01*	*0.01*	*0.00*	*(-)0.01*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-101-N0042 14 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2005 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1.50*	*1.50*	*0.00*	*(-)1.50*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।

विनियोग संख्या- 14- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6003-00-101-N0044 13 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2007 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.15*	*0.15*	*0.00*	*(-)0.15*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-101-N0047 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2010 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.15*	*0.15*	*0.00*	*(-)0.15*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-101-N0048 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2011 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.57*	*0.57*	*0.00*	*(-)0.57*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-101-N0049 12.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2011 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*0.98*	*0.98*	*0.00*	*(-)0.98*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता परिपक्वता अवधि के उपरांत निवेशक द्वारा राशि हेतु दावा नहीं किये जाने के कारण था।

विनियोग संख्या- 14- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6003-00-106-0001 भूमि अधिसीमा अधिनियम अन्तर्गत क्षतिपूरक बंध पत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*10.00*	*10.00*	*0.00*	*(-)10.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-106-0002 जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1.00*	*1.00*	*0.00*	*(-)1.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता दावा नहीं किये जाने के कारण था।
6003-00-108-0001 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*10,300.75*	*10,300.75*	*9,364.32*	*(-)936.43*	अंतिम बचत सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को दिनांक 05.01.2025 को राशि भुगतान किये जाने के कारण था।
6004-08-201-0001 गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*26.50*	*26.50*	*4.00*	*(-)22.50*	अंतिम बचत आर0 बी0 आई0, नागपुर द्वारा राशि की कटौती किये जाने के कारण था।
6004-09-101-0001 1989-90 से प्राप्त ब्लाक कर्ज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,76,778.00*	*1,76,778.00*	*1,32,855.46*	*(-)43,922.54*	अंतिम बचत मुद्रा विनिमय दर में अनिश्चितता के कारण था।

विनियोग संख्या- 14- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
–	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

अनुदान संख्या- 15- पेंशन

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,17,77,04,89**	**3,17,77,04,89**	**2,61,59,52,31**	**(-)56,17,52,58**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

प्रभारित :

मूल	***19,08,06***	***19,08,06***	***10,44,48***	***(-)8,63,58***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,61,752.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹31,77,704.89 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹5,61,752.58 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹341.66 लाख से कम है। अत: यह ₹5,62,094.24 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹5,62,094.24 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-101-0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,54,271.86	1,54,271.86	1,26,090.44	(-)28,181.42	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-101-0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवा निवृत होने वाले कर्मियों को पेंशन भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,06,077.97	17,06,002.97	14,06,510.45	(-)2,99,492.52	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹75.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,99,492.52 लाख का अंतिम बचत, ₹ 89.61 लाख से कम है। ₹2,99,582.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)75.00				
2071-01-101-0009 राज्य के न्यायिक सेवा के सेवा निवृत पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों पर हुए चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	365.32	365.32	71.04	(-)294.28	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-102-0001 उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,46,776.59	1,46,776.59	93,723.20	(-)53,053.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹53,053.39 लाख का अंतिम बचत, ₹ 43.30 लाख से कम है। ₹53,096.69 लाख की वास्तविक अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-102-0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	647.75	647.75	18.20	(-)629.55	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹629.55 लाख का अंतिम बचत, ₹ 17.99 लाख से कम है। ₹ 647.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-104-0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को अन्य उपदान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	412.29	412.29	113.89	(-)298.40	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-104-0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,52,224.38	2,52,224.38	1,83,945.62	(-)68,278.76	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹68,278.76 लाख का अंतिम बचत, ₹ 181.69 लाख से कम है। ₹68,460.45 लाख की वास्तविक अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-105-0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	86,388.40	86,388.40	66,399.08	(-)19,989.32	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-105-0002 उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,65,094.47	3,65,094.47	2,74,885.15	(-)90,209.32	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹90,209.32 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.28 लाख से अधिक है। ₹90,208.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-111-0001 बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,536.32	3,536.32	2,619.67	(-)916.65	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-111-0002 बिहार विधानपरिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,350.00	1,350.00	371.53	(-)978.47	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-111-0003 विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	270.93	345.93	329.32	(-)16.61	प्रावधान में ₹75.00 लाख की वृद्धि विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत, प्राक्कलन बजट से कम व्यय होने के कारण था।
	पुनर्वि०	75.00				
2071-01-115-0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,176.42	1,176.42	563.96	(-)612.46	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-115-0002 15/11/2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,58,971.66	1,58,971.66	1,32,010.23	(-)26,961.43	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹26,961.43 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.61 लाख से कम है। ₹26,964.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-800-0002 सेवानिवृत राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30.53	30.53	0.00	(-)30.53	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-117-0001 अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,00,000.00	3,00,000.00	3,28,194.20	(+)28,194.20	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹28,194.20 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 9.26 लाख से अधिक है। ₹28,184.94 लाख की वास्तविक अंतिम अधिक व्यय, नई नियुक्ति के लिए समय पर बजट प्रावधान न करने के कारण था।

राजस्व (प्रभारित)

(v) ₹863.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,908.06 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-106-0001 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय अंशदान-प्रभृत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,475.04*	*1,475.04*	*654.29*	*(-)820.75*	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-106-0002 सेवानिवृत माननीय न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*310.43*	*310.43*	*281.48*	*(-)28.95*	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-106-0003 सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*122.59*	*122.59*	*108.71*	*(-)13.88*	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 16- पंचायती राज विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,03,89,84,20**	**1,16,07,95,31**	**91,82,02,76**	**(-)24,25,92,55**
अनुपूरक	**12,18,11,11**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,91,53,70**
26 नवम्बर 2024	1,42,03,70			
12 मार्च 2025	49,50,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**6,36,00,01**	**6,36,00,01**	**85,05,83**	**(-)5,50,94,18**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,40,00,00**
12 मार्च 2025	2,40,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹2,42,592.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹35,588.00 लाख), तथा नवम्बर 2024 (₹57,272.31 लाख) तथा मार्च 2025 (₹28,950.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,21,811.11 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹2,42,592.55 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹2,994.13 लाख से कम है। अत: यह ₹2,45,586.68 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹19,153.70 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹2,45,586.68 लाख) से ₹2,26,432.98 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-101-0001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	531.91	834.58	596.99	(-)237.59	प्रावधान में ₹302.67 लाख की हुई वृद्धि मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, संविदा सेवाएं एवं अन्य भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹237.59 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.97 लाख से कम है। ₹239.56 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	302.67				
2015-00-109-0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,700.00	3,263.84	228.96	(-)3,034.88	प्रावधान में ₹1,563.84 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,800.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 236.16 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जिला परिषद, ग्राम पंचायतों का चुनाव के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,034.88 लाख का अंतिम बचत, ₹2.29 लाख से कम है। ₹3,037.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	1,563.84				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-001-0001 मुख्यालय पंचायत स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,303.14	1,661.14	1,293.49	(-)367.65	प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की हुई वृद्धि राज्य चुनाव आयोग के लिए यात्रा व्यय और मकान किराया भत्ता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹367.65 लाख का अंतिम बचत, ₹ 9.45 लाख से कम है। ₹377.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	313.00				
	पुनर्वि०	45.00				
2515-00-001-0003 जिला पंचायत की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	44,566.53	47,317.53	37,097.88	(-)10,219.65	प्रावधान में ₹2,251.00 लाख की हुई वृद्धि यात्रा व्यय, विद्युत प्रभार एवं मकान किराया भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹10,219.65 लाख का अंतिम बचत, ₹ 241.31 लाख से कम है। ₹10,460.96 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	2,251.00				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-001-0101 मुख्यालय पंचायत स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	78.00	(-)222.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-001-0102 जिला पंचायत की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	4,454.88	32,854.88	31,349.09	(-)1,505.79	प्रावधान में ₹ 550.00 लाख की हुई कमी, ₹180.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹730.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जिला पंचायत में प्रशिक्षण व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	28,950.00				
	पुनर्वि०	(-)550.00				
2515-00-003-0001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	318.26	318.26	21.52	(-)296.74	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹296.74 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.65 लाख से अधिक है। ₹295.09 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-196-0003 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	24,684.00	24,873.58	24,717.30	(-)156.28	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹156.28 लाख का अंतिम बचत, ₹33.30 लाख से कम है। ₹189.58 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	189.58				
2515-00-196-0007 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	61,805.25	71,931.25	57,350.32	(-)14,580.93	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹14,580.93 लाख का अंतिम बचत, ₹174.34 लाख से कम है। ₹14,755.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10,126.00				
2515-00-196-0008 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	99,712.98	99,712.98	0.00	(-)99,712.98	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-196-0009 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	37,026.00	37,310.25	37,026.00	(-)284.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	284.25				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-197-0001 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	24,684.00	24,873.58	24,612.72	(-)260.86	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹260.86 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.38 लाख से अधिक है। ₹260.48 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	189.58				
2515-00-197-0004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	61,805.25	69,918.05	57,184.40	(-)12,733.65	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹12,733.65 लाख का अंतिम बचत, ₹ 8.41 लाख से कम है। ₹12,742.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8,112.80				
2515-00-197-0005 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-197-0006 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	37,026.00	37,310.25	36,919.61	(-)390.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	284.25				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-198-0001 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,15,192.00	1,16,076.70	1,15,220.68	(-)856.02	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹856.02 लाख का अंतिम बचत, ₹40.77 लाख से कम है। ₹896.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	884.70				
2515-00-198-0009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,88,424.50	3,19,813.26	2,64,446.07	(-)55,367.19	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹55,367.19 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1,304.20 लाख से कम है। ₹14,203.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹ 56,671.39 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	45,592.45				
	पुनर्वि०	(-)14,203.70				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-198-0010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,100.01	15,902.50	13,040.27	(-)2,862.23	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,197.51 लाख की कमी यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,862.23 लाख का अंतिम बचत, ₹499.96 लाख से कम है। ₹3,362.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,197.51				
2515-00-198-0015 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-198-0016 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,72,788.00	1,74,114.50	1,72,769.96	(-)1,344.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,326.50				
2515-00-198-0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,458.00	2,508.00	2,392.17	(-)115.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 115.83 लाख का अंतिम बचत, ₹14.64 लाख से कम है। ₹4,950.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹130.47 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,000.00				
	पुनर्वि०	(-)4,950.00				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-198-0115 स्वच्छ गाँव - निश्चय-2 कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	12,695.04	32,695.04	23,261.47	(-)9,433.57	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,433.57 लाख का अंतिम बचत, ₹ 128.37 लाख से कम है। ₹9,561.94 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	20,000.00				
2515-00-198-0215 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,836.00	4,836.00	0.00	(-)4,836.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-198-0315 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,209.00	1,209.00	0.00	(-)1,209.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-789-0115 स्वच्छ गाँव - निश्चय-2 कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	14,162.96	14,162.96	13,476.24	(-)686.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-789-0214 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,240.00	1,240.00	0.00	(-)1,240.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-789-0314 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	310.00	310.00	0.00	(-)310.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-796-0120 स्वच्छ गाँव - निश्चय-2 कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	742.00	742.00	422.19	(-)319.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-796-0220 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	124.00	124.00	0.00	(-)124.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-796-0320 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	31.00	31.00	0.00	(-)31.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-800-0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	331.52	(-)468.48	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹468.48 लाख का अंतिम बचत, ₹24.72 लाख से कम है। ₹493.20 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-800-0114 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0028 पंचायती राज विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	411.37	504.37	311.50	(-)192.87	प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹37.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मोटरगाड़ी- कार्यालय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	58.00				
	पुनर्वि०	35.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-196-0106 जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	7.58	(+)7.57	₹7.57 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 7.58 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-197-0103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	79.23	(+)79.22	₹79.22 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 79.23 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-198-0105 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	157.21	(+)157.20	₹157.20 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 157. 21 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-198-0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	86.08	(+)86.07	₹86.07 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 86.08 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-789-0103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	123.50	(+)123.49	₹123.49 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 123.50 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-789-0104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	32.03	(+)32.02	₹32.02 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 32.03 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2515-00-789-0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	8.89	(+)8.88	₹8.88 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 8.89 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.01 लाख के वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-789-0106 जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	1.56	(+)1.55	₹1.55 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 1.56 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.01 लाख के वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹55,094.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹63,600.01 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 55,094.18 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 5.82 लाख से कम है। अतः यह ₹55,100.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹24,000.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹55,100.00 लाख) से ₹31,100.00 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-101-0108 पंचायत सरकार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	63,600.00	39,600.00	8,505.83	(-)31,094.17	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹31,094.17 लाख का अंतिम बचत, ₹ 5.82 लाख से कम है। ₹24,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा ₹ 31,099.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)24,000.00				

अनुदान संख्या- 16- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-101-0110 पंचायत समिति सरकार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 17- वाणिज्य-कर विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	2,37,95,86	2,38,22,74	1,79,25,09	(-)58,97,65
अनुपूरक	26,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,897.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹26.88 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹5,897.65 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹4.83 लाख से कम है। अत: यह ₹5,902.48 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹5,902.48 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 17- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2043-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,599.57	8,036.07	6,356.26	(-)1,679.81	प्रावधान में ₹ 563.50 लाख की हुई कमी, ₹ 35.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹598.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भाड़े की गाड़ी का भुगतान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)563.50				
2043-00-001-0002 वाणिज्य कर अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	204.23	231.11	115.61	(-)115.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	26.88				

अनुदान संख्या- 17- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2043-00-101-0001 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,922.06	15,485.56	11,450.31	(-)4,035.25	प्रावधान में ₹ 563.50 लाख की हुई वृद्धि किराये की गाड़ी का भुगतान, विधि प्रभार, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, संविदा सेवाएं एवं गाड़ी का रख-रखाव एवं ईंधन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,035.25 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.93 लाख से कम है। ₹4,037.18 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	563.50				
2043-00-101-0002 भामाशाह सम्मान योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2043	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 **खाद्य, भंडारण तथा भंडागार**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

3456 **सिविल पूर्ति**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**11,17,19,89**	**20,23,60,72**	**17,52,87,68**	**(-)2,70,73,04**
अनुपूरक	**9,06,40,83**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**15,85,84**
12 मार्च 2025	15,85,84			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4408 **खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय**

5475 **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

6408 **खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज**

दत्तमत :

मूल	**1,33,00,02**	**1,33,00,02**	**25,64,66**	**(-)1,07,35,36**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹27,073.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹27,995.19 लाख), नवम्बर 2024 (₹52,178.55 लाख) तथा मार्च 2025 (₹10,467.09 लाख) में प्राप्त किया गया ₹90,640.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹27,073.04 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹26.48 लाख से कम है। अत: यह ₹27,099.52 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,585.84 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹27,099.52 लाख) से ₹25,513.68 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2408-01-101-0103 धान, चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2408-01-101-0104 दाल अधिप्राप्ति- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	0.04	0.04	0.00	(-)0.04	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2408-01-101-0201 एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	45,600.00	45,600.00	42,068.67	(-)3,531.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2408-01-789-0201 एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,300.00	10,460.94	6,710.82	(-)3,750.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,160.94				

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2408-01-789-0202 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	5,795.56	5,795.56	4,283.54	(-)1,512.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2408-01-796-0201 एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,100.00	1,802.10	1,278.25	(-)523.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	702.10				
2408-01-796-0202 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,103.93	1,103.93	815.91	(-)288.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	899.30	1,574.50	1,367.68	(-)206.82	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 103.00 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता तथा यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	572.20				
	पुनर्वि०	103.00				
3456-00-001-0001 मुख्यालय प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,793.10	11,990.10	8,297.72	(-)3,692.38	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹178.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,692.38 लाख का अंतिम बचत, ₹ 13.36 लाख से कम है। ₹3,705.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	375.00				
	पुनर्वि०	(-)178.00				
3456-00-001-0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,430.61	4,389.86	2,822.92	(-)1,566.94	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,566.94 लाख का अंतिम बचत, ₹ 10.35 लाख से कम है। ₹1,577.29 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	959.25				
3456-00-001-0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	285.00	285.00	151.15	(-)133.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-001-0408 स्ट्रेन्थनिंग ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग सेल (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	2.88	2.88	0.00	(-)2.88	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-102-0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,938.00	2,138.00	2,078.99	(-)59.01	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹59.01 लाख का अंतिम बचत, ₹2.77 लाख से कम है। ₹61.78 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				
3456-00-102-0015 गोदामों के अनुरक्षण तथा मरम्मती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	1,932.89	1,194.72	(-)738.17	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि गोदामों के मरम्मत तथा रख-रखाव में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,232.89				
	पुनर्वि०	200.00				
3456-00-102-0016 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन गोदामों के पहुँच पथ के अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	375.00	216.11	(-)158.89	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)125.00				

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-102-0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,281.92	5,281.92	1,597.63	(-)3,684.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-102-0106 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य सुरक्षा भत्ता) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-102-0211 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार (स्मार्ट-पीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	784.62	784.62	21.35	(-)763.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-102-0212 लक्षित जन वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) से आच्छादित लाभुकों के बीच जागरुकता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	32.00	32.00	0.00	(-)32.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-102-0307 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (राज्य संसाधन से अतिरिक्त व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,583.00	15,978.16	15,978.15	(-)0.01	₹1,585.84 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,981.00				
	पुनर्वि०	(-)1,585.84				
3456-00-102-0308 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार (स्मार्ट-पीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	523.75	523.75	14.23	(-)509.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-102-0309 लक्षित जन वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) से आच्छादित लाभुकों के बीच जागरुकता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	8.00	8.00	0.00	(-)8.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-102-0411 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	27.19	27.19	9.29	(-)17.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-103-0101 बी0 पी0 एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-191-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-192-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	0.76	(-)149.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-193-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	205.00	205.00	0.00	(-)205.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-198-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	375.00	375.00	0.00	(-)375.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3456-00-789-0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अंत: राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	9,460.95	6,710.82	(-)2,750.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,460.95				
3456-00-796-0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अंत: राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	183.00	1,802.11	1,278.25	(-)523.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,619.11				

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-796-0303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0 एफ0 एस0 ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (राज्य संसाधन से अतिरिक्त व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	1,541.54	1,412.03	(-)129.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,441.54				

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) ₹10,735.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹13,300.02 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4408-02-101-0103 खाद्यान्न भंडार गोंदामों का निर्माण (नार्बाड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	9,800.00	9,800.00	808.47	(-)8,991.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5475-00-051-0102 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5475-00-051-0104 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन गोदामों के पहुँच पथ का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	3,500.00	1,756.19	(-)1,743.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
6408-01-101-0101 खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या 19- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2406 **वानिकी तथा वन्य प्राणी**

3435 **पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**8,12,15,81**	**10,80,56,34**	**8,57,21,51**	**(-)2,23,34,83**
अनुपूरक	**2,68,40,53**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**37,94,64**
26 नवम्बर 2024	27,94,64			
12 मार्च 2025	10,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4406 **वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**40,86,98**	**42,52,53**	**32,92,04**	**(-)9,60,49**
अनुपूरक	**1,65,55**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹22,334.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹17,773.49 लाख), नवम्बर 2024 (₹4,089.58 लाख) तथा मार्च 2025 (₹4,977.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹26,840.53 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹22,334.83 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹493.85 लाख से कम है। अतः यह ₹22,828.68 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,794.64 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹22,828.68 लाख) से ₹19,034.04 लाख कम था।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,692.24	2,758.25	1,982.80	(-)775.45	प्रावधान में ₹66.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹72.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मोटरगाड़ी-कार्यालय एवं संविदा सेवायें हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹775.45 लाख का अंतिम बचत, ₹11.87 लाख से कम है। ₹787.32 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	66.00				
2406-01-003-0001 प्रशिक्षण, जन सम्पर्क एवं शोध हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	691.80	721.80	664.86	(-)56.94	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹70.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 56.94 लाख का अंतिम बचत, ₹109.97 लाख से कम है। ₹166.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	100.00				
	पुनर्वि०	(-)70.00				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-003-0006 वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,610.56	2,610.56	0.00	(-)2,610.56	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-01-070-0001 सड़क और पुल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	480.00	480.00	454.42	(-)25.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-01-070-0002 भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	480.00	480.00	411.91	(-)68.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-01-101-0001 वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,862.51	20,716.51	19,024.00	(-)1,692.51	प्रावधान में ₹4.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹26.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹22.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मोटरगाड़ी-कार्यालय एवं विधि प्रभार हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,692.51 लाख का अंतिम बचत, ₹24.97 लाख से कम है। ₹1,717.48 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,850.00				
	पुनर्वि०	4.00				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-101-0002 वर्किंग प्लान प्रमंडल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	135.34	135.35	111.76	(-)23.59	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 23.59 लाख का अंतिम बचत, ₹0.23 लाख से अधिक है। ₹23.36 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
2406-01-101-0109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	289.07	260.88	(-)28.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	289.06				
2406-01-101-0111 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	16,000.00	15,070.13	(-)929.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,000.00				
2406-01-101-0112 प्राकृतिक वनों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	14,000.00	11,221.43	(-)2,778.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,000.00				
2406-01-102-0109 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	11,056.37	11,021.64	(-)34.73	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹34.73 लाख का अंतिम बचत, ₹24.19 लाख से कम है। ₹58.92 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,056.37				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-105-0104 प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2406-01-105-0105 प्लांट टिशु कल्चर लैब (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-02-110-0003 अभ्यारण्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,454.01	1,474.01	1,369.69	(-)104.32	प्रावधान में ₹20.00 लाख की वृद्धि मोटरगाड़ी-कार्यालय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹104.32 लाख का अंतिम बचत, ₹14.50 लाख से कम है। ₹118.82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	20.00				
2406-02-110-0121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	2,000.00	1,350.00	(-)650.00	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹650.00 लाख का अंतिम बचत, ₹53.74 लाख से कम है। ₹703.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-02-110-0223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,554.70	1,554.70	0.00	(-)1,554.70	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-02-110-0227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	550.00	550.00	0.00	(-)550.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-02-110-0228 बाघ परियोजना एवं गज (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	615.50	165.93	(-)449.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	115.50				
2406-02-110-0229 बाघ परियोजना एवं गज (50-50) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	636.00	383.81	(-)252.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	36.00				
2406-02-110-0323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	250.00	929.00	0.00	(-)929.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	679.00				
2406-02-110-0327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-02-110-0328 बाघ परियोजना एवं गज (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	132.00	110.62	(-)21.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	82.00				
2406-02-110-0329 बाघ परियोजना एवं गज (50-50) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	510.00	383.81	(-)126.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	310.00				
2406-02-111-0001 अन्य उद्यान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,495.68	4,475.68	4,268.86	(-)206.82	प्रावधान में ₹20.00 लाख की हुई कमी, ₹ 120.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹140.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹206.82 लाख का अंतिम बचत, ₹42.48 लाख से कम है। ₹249.30 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)20.00				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-02-112-0101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	9,620.56	(-)379.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	350.00	350.00	0.00	(-)350.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0203 राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	49.80	49.80	0.00	(-)49.80	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0204 समेकित वन प्रबंधन (वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	817.00	817.00	142.85	(-)674.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0205 राष्ट्रीय बाँस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	37.50	37.50	0.00	(-)37.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (हरित भारत मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	233.00	233.00	0.00	(-)233.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0303 राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	33.20	33.20	0.00	(-)33.20	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-04-101-0304 समेकित वन प्रबंधन (वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	214.80	214.80	97.44	(-)117.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-101-0305 राष्ट्रीय बांस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-103-0008 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष पर देय सूद का अंतरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	4,637.10	4,637.10	0.00	(-)4,637.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-103-0101 प्रतिपूरक वनीकरण (राज्य स्कीम)	अनु०	1,807.55	1,807.55	1,708.97	(-)98.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-103-0104 वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य (राज्य स्कीम)	अनु०	4,026.11	4,026.11	3,832.42	(-)193.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2406-04-103-0105 ब्याज (राज्य स्कीम)	अनु०	2,874.40	79.76	32.34	(-)47.42	₹2,794.64 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,794.64				
2406-04-103-0106 अन्य (राज्य स्कीम)	अनु०	637.57	637.57	481.32	(-)156.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3435-03-102-0001 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	471.60	471.60	309.89	(-)161.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0006 पर्यावरण एवं वन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,061.55	1,061.55	683.41	(-)378.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) ₹960.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 में प्राप्त किया गया ₹165.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4406-01-070-0101 सड़क और पुल (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	477.34	(-)22.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4406-01-070-0102 भवन (राज्य स्कीम)	मूल	3,586.98	3,586.98	2,814.70	(-)772.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4406-01-190-0101 बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (राज्य स्कीम)	अनु०	165.55	165.55	0.00	(-)165.55	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 19- क्रमांत

(viii) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोषः

क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के आलोक में कैम्पा कोष नियम 13 अगस्त 2018 को लागू हुआ तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में एक राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं एक राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकार सृजित करने का प्रस्तावित किया गया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण उत्तरदायित्व के निवर्हन हेतु उपयोगकर्त्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के लोक लेखे में ब्याज वाले भाग के अंतर्गत् राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष (एससीएएफ) स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने 8121-129 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष (एससीएएफ) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से ₹252.10 करोड़ प्राप्त किये और राज्य सरकार ने 2406-04-904 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष से प्राप्त घटाये राशि को ₹29.59 करोड़ नामे कर 8121-129 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष में हस्तांतरित किया। 31 मार्च 2025 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष में अंतशेष ₹ 511.98 करोड़ रह गया।

अनुदान संख्या- 20- स्वास्थ्य विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,42,68,19,50**	**1,92,31,60,47**	**1,24,91,29,07**	**(-)67,40,31,40**
अनुपूरक	**49,63,40,97**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**18,69,59,60**
24 जनवरी 2025	9,81,73,00			
11 मार्च 2025	6,50,77,00			
31 मार्च 2025	2,37,09,60			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**6,63,89,84**	**35,87,88,84**	**31,56,78,36**	**(-)4,31,10,48**
अनुपूरक	**29,23,99,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,43,69,22**
31 मार्च 2025	1,43,69,22			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹ 6,74,031.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,80,459.21 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,53,472.48 लाख) तथा मार्च 2025 (₹62,409.28 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,96,340.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹ 6,74,031.40 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹ 1,490.20 लाख से कम है। अत: यह ₹6,75,521.60 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,86,959.60 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹6,75,521.60 लाख) से ₹ 4,88,562.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0029 बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,800.00	3,800.00	0.00	(-)3,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-01-001-0001 स्वास्थ्य निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,161.05	4,485.05	2,924.42	(-)1,560.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	324.00				
2210-01-001-0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,783.51	12,025.29	9,079.74	(-)2,945.55	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,945.55 लाख का अंतिम बचत, ₹9.32 लाख से कम है। ₹2,954.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	241.78				
2210-01-001-0004 अंधेपन की रोकथाम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,759.50	1,759.50	881.79	(-)877.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹877.71 लाख का अंतिम बचत, ₹0.75 लाख से कम है। ₹878.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-103-0301 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा (पीएमएसएसवाई) फेज-5 (बी) अन्तर्गत आई जी आई एम एस का उन्नयन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	3,683.80	3,683.80	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹936.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹380.20 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,316.20				
2210-01-110-0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,249.94	33,799.94	29,960.39	(-)3,839.55	प्रावधान में ₹450.00 लाख की हुई कमी, ₹ 300.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹750.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि छात्रवृत्ति तथा संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,839.55 लाख का अंतिम बचत, ₹0.90 लाख से अधिक है। ₹3,838.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	(-)450.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0002 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	19,329.36	20,479.36	17,503.30	(-)2,976.06	प्रावधान में ₹200.00 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति, व्यवसायिक/ कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,976.06 लाख का अंतिम बचत, ₹14.46 लाख से कम है। ₹2,990.52 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	950.00				
	पुनर्वि०	200.00				
2210-01-110-0004 नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,445.39	16,185.39	15,628.32	(-)557.07	प्रावधान में ₹235.00 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹557.07 लाख का अंतिम बचत, ₹4.73 लाख से कम है। ₹561.80 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,505.00				
	पुनर्वि०	235.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0006 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,337.47	12,143.47	10,939.60	(-)1,203.87	प्रावधान में ₹500.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 736.70 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹236.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यालय व्यय, दवा भंडार, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता तथां चिकित्सा भत्ता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,306.00				
	पुनर्वि०	500.00				
2210-01-110-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,906.52	21,701.47	18,531.48	(-)3,169.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,794.95				
2210-01-110-0009 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,449.98	17,076.98	14,795.64	(-)2,281.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,627.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0010 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,247.69	8,529.29	7,525.64	(-)1,003.65	प्रावधान में ₹153.40 लाख की हुई कमी, ₹ 160.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹313.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,003.65 लाख का अंतिम बचत, ₹9.09 लाख से कम है। ₹1,012.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	435.00				
	पुनर्वि०	(-)153.40				
2210-01-110-0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	255.33	295.33	239.44	(-)55.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	40.00				
2210-01-110-0012 राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	590.59	1,802.59	1,728.67	(-)73.92	प्रावधान में ₹12.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,200.00				
	पुनर्वि०	12.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,18,355.03	1,63,227.63	1,15,583.72	(-)47,643.91	प्रावधान में ₹967.40 लाख की हुई कमी, ₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,167.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यालय व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹47,643.91 लाख का अंतिम बचत, ₹114.91 लाख से कम है। ₹47,758.82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	45,840.00				
	पुनर्वि०	(-)967.40				
2210-01-110-0016 मानसिक आरोग्यशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.00	2,100.00	1,100.00	(-)1,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	600.00				
2210-01-110-0019 रोगी कल्याण समितियों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	1,800.00	1,596.24	(-)203.76	प्रावधान में ₹1,000.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	600.00				
	पुनर्वि०	1,000.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0020 राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	753.73	903.73	207.63	(-)696.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	150.00				
2210-01-110-0021 वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज अस्पताल, पावापुरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,745.59	6,445.59	5,256.65	(-)1,188.94	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	750.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2210-01-110-0025 राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,403.54	6,028.54	5,108.14	(-)920.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	625.00				
2210-01-110-0026 जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,388.70	4,743.70	4,107.92	(-)635.78	प्रावधान में ₹200.00 लाख की हुई कमी, ₹ 40.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹240.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	555.00				
	पुनर्वि०	(-)200.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0027 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, छपरा (सारण) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.23	125.11	31.61	(-)93.50	प्रावधान में ₹124.88 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत प्रभार, व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	124.88				
2210-01-110-0028 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,301.77	4,001.77	2,647.39	(-)1,354.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	700.00				
2210-01-110-0029 श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, समस्तीपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.23	2,346.47	1,254.09	(-)1,092.38	प्रावधान में ₹512.00 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, दवा भंडार, व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,834.24				
	पुनर्वि०	512.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0040 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-01-110-0127 ममता कार्यकर्त्ता (राज्य स्कीम)	मूल	1,100.00	7,150.00	4,570.91	(-)2,579.09	प्रावधान में ₹550.00 लाख की वृद्धि संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,500.00				
	पुनर्वि०	550.00				
2210-01-110-0128 स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,300.00	200.00	0.00	(-)200.00	₹1,100.00 लाख का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,100.00				
2210-01-200-0001 यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,937.59	7,937.59	5,453.94	(-)2,483.65	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,483.65 लाख का अंतिम बचत, ₹ 26.28 लाख से कम है। ₹ 2,509.93 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-200-0002 कुष्ठ निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,050.67	7,058.67	3,538.72	(-)3,519.95	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,519.95 लाख का अंतिम बचत, ₹1.33 लाख से कम है। ₹3,521.28 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8.00				
2210-01-200-0005 अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,726.54	7,350.54	5,828.81	(-)1,521.73	प्रावधान में ₹139.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संविदा सेवाएं व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,521.73 लाख का अंतिम बचत, ₹2.12 लाख से कम है। ₹1,523.85 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,485.00				
	पुनर्वि०	139.00				
2210-01-200-0006 विधायक अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	333.50	333.50	130.66	(-)202.84	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹202.84 लाख का अंतिम बचत, ₹0.02 लाख से अधिक है। ₹202.82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-200-0008 रक्त भंडार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	646.86	646.86	513.78	(-)133.08	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹133.08 लाख का अंतिम बचत, ₹16.10 लाख से कम है। ₹149.18 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-01-200-0009 राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	242.37	281.37	215.82	(-)65.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	39.00				
2210-01-200-0111 एम्बुलेंस परिचालन (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-01-200-0209 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	94,676.00	94,676.00	74,436.00	(-)20,240.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-01-200-0211 इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेन्स (आधारभूत संरचना एवं रख-रखाव)- (एनएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	13,200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)13,200.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-200-0309 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	7,400.00	6,854.63	(-)545.37	प्रावधान में ₹2,400.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	2,400.00				
2210-01-200-0312 इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेन्स (आधारभूत संरचना एवं रख-रखाव)- (एनएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				
2210-01-789-0201 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	71,800.00	20,273.00	20,273.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹51,527.00 लाख की कमी मार्च तक व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)51,527.00				
2210-01-789-0301 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,300.00	39,326.50	27,758.18	(-)11,568.32	प्रावधान में ₹750.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	35,276.50				
	पुनर्वि०	750.00				
2210-01-796-0219 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,200.00	2,052.00	1,424.00	(-)628.00	₹3,148.00 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,148.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-796-0319 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	536.00	535.40	(-)0.60	प्रावधान में ₹36.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	36.00				
2210-02-001-0101 संजीवनी कार्यक्रम (आयुष) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	150.00	104.38	(-)45.62	प्रावधान में ₹100.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	100.00				
2210-02-101-0001 देशी आयुर्वेद विज्ञान, निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,042.18	4,911.18	3,709.22	(-)1,201.96	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹231.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,201.96 लाख का अंतिम बचत, ₹5.35 लाख से कम है। ₹1,207.31 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	100.00				
	पुनर्वि०	(-)231.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-02-101-0002 आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	237.30	373.70	293.04	(-)80.66	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹80.66 लाख का अंतिम बचत, ₹12.04 लाख से कम है। ₹92.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	136.40				
2210-02-101-0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,597.16	1,597.16	1,076.92	(-)520.24	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹520.24 लाख का अंतिम बचत, ₹6.63 लाख से कम है। ₹526.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-02-103-0006 राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,267.06	1,473.05	1,090.21	(-)382.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	205.99				
2210-02-200-0103 प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	1,010.00	482.38	(-)527.62	प्रावधान में ₹860.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	860.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-02-200-0202 औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,000.00	5,450.00	0.00	(-)5,450.00	₹2,550.00 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,550.00				
2210-02-200-0302 औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,700.00	3,700.00	0.00	(-)3,700.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2210-03-101-0003 स्वास्थ्य उप केंद्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,061.93	13,826.91	5,001.20	(-)8,825.71	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,235.02 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,825.71 लाख का अंतिम बचत, ₹ 14.45 लाख से कम है। ₹ 8,840.16 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
	पुनर्वि०	(-)2,235.02				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-03-103-0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,60,383.57	2,08,195.57	1,43,713.57	(-)64,482.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹64,482.00 लाख का अंतिम बचत, ₹ 312.81 लाख से कम है। ₹64,794.81 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	47,812.00				
2210-03-103-0103 स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	10,600.00	5,412.90	5,412.90	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5,187.10 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)5,187.10				
2210-03-110-0001 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	57,175.62	85,660.62	56,011.25	(-)29,649.37	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹300.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹29,649.37 लाख का अंतिम बचत, ₹ 24.91 लाख से कम है। ₹ 29,674.28 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	28,785.00				
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-03-110-0006 अस्पतालों एवं औषधालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	4,000.00	0.00	(-)4,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-03-110-0203 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,16,800.00	77,624.00	61,404.00	(-)16,220.00	₹39,176.00 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)39,176.00				
2210-03-110-0303 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,105.02	1,79,452.59	1,58,056.67	(-)21,395.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,73,347.57				
2210-03-110-0305 एनएचएम के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	3,750.00	0.00	(-)3,750.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,250.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,250.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-03-789-0201 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40,074.00	16,942.00	5,836.00	(-)11,106.00	₹23,132.00 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)23,132.00				
2210-03-796-0202 एनआरएचएम सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,200.00	683.00	683.00	0.00	₹3,517.00 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,517.00				
2210-04-101-0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,548.21	1,676.71	1,131.33	(-)545.38	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹545.38 लाख का अंतिम बचत, ₹2.89 लाख से कम है। ₹548.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	128.50				
2210-04-102-0001 होम्योपैथी औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	459.74	810.99	469.81	(-)341.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹341.18 लाख का अंतिम बचत, ₹3.81 लाख से कम है। ₹344.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	351.25				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-04-103-0001 यूनानी औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	570.64	713.14	408.82	(-)304.32	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹304.32 लाख का अंतिम बचत, ₹5.91 लाख से कम है। ₹310.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	142.50				
2210-05-101-0001 आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,082.90	1,539.40	1,264.89	(-)274.51	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹274.51 लाख का अंतिम बचत, ₹0.86 लाख से अधिक है। ₹273.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	456.50				
2210-05-101-0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,725.14	4,876.14	3,949.34	(-)926.80	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹926.80 लाख का अंतिम बचत, ₹4.01 लाख से अधिक है। ₹922.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,151.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-101-0003 आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	334.96	334.96	231.10	(-)103.86	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹103.86 लाख का अंतिम बचत, ₹0.02 लाख से अधिक है। ₹103.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-101-0004 आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	467.68	487.20	401.22	(-)85.98	प्रावधान में ₹19.52 लाख की हुई वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	19.52				
2210-05-101-0005 आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	153.58	207.08	172.27	(-)34.81	प्रावधान में ₹53.50 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	53.50				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-102-0001 होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,547.32	2,177.72	1,646.29	(-)531.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	630.40				
2210-05-103-0001 तिब्बी कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,187.81	3,687.81	2,579.48	(-)1,108.33	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 1,108.33 लाख का अंतिम बचत, ₹0.66 लाख से अधिक है। ₹ 1,107.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
2210-05-105-0001 पटना मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,324.05	23,058.80	16,964.80	(-)6,094.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,094.00 लाख का अंतिम बचत, ₹2.08 लाख से अधिक है। ₹ 6,091.92 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,734.75				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0003 दरभंगा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,551.91	13,450.91	11,464.63	(-)1,986.28	प्रावधान में ₹300.00 लाख की वृद्धि मशीन तथा उपस्कर-अन्य में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,986.28 लाख का अंतिम बचत, ₹0.03 लाख से अधिक है। ₹ 1,986.25 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,599.00				
	पुनर्वि०	300.00				
2210-05-105-0005 नालन्दा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,813.47	11,779.97	9,980.79	(-)1,799.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,799.18 लाख का अंतिम बचत, ₹3.66 लाख से कम है। ₹1,802.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,966.50				
2210-05-105-0007 मगध मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,095.10	9,191.50	5,867.82	(-)3,323.68	प्रावधान में ₹3.40 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,093.00				
	पुनर्वि०	3.40				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,670.45	7,739.45	4,240.99	(-)3,498.46	प्रावधान में ₹20.00 लाख की वृद्धि मेडिकल स्टोर में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,049.00				
	पुनर्वि०	20.00				
2210-05-105-0009 दंत महाविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,311.66	1,429.56	1,270.23	(-)159.33	प्रावधान में ₹27.10 लाख की हुई कमी, ₹22.90 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मकान किराया भत्ता, कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण, सामग्री एवं आपूर्ति तथा व्यवसायिक /कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹159.33 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.42लाख से कम है। ₹159.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	145.00				
	पुनर्वि०	(-)27.10				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,947.91	11,270.91	7,724.59	(-)3,546.32	प्रावधान में ₹350.00 लाख की हुई कमी, ₹ 906.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,256.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि किराया महसूल एवं कर, छात्रवृति, मशीन एवं उपस्कर- कार्यालय तथा सामग्री एवं आपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,673.00				
	पुनर्वि०	(-)350.00				
2210-05-105-0011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	283.57	286.71	211.89	(-)74.82	प्रावधान में ₹3.14 लाख की हुई वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	3.14				
2210-05-105-0012 प्रशिक्षण नर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,273.31	15,748.31	9,270.38	(-)6,477.93	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,477.93 लाख का अंतिम बचत, ₹0.90 लाख से कम है। ₹6,478.83 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7,525.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0013 प्रशिक्षण फार्मेसी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	387.73	412.73	265.75	(-)146.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	25.00				
2210-05-105-0015 शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	83.00	(-)67.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0016 नामांकन पर्यवेक्षण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	50.00	(-)100.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0017 इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	53,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2210-05-105-0022 वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज, पावापुरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,346.48	5,162.48	3,728.65	(-)1,433.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	816.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0023 राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,357.99	4,823.99	2,673.38	(-)2,150.61	प्रावधान में ₹675.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, किराया महसूल एवं कर, छात्रवृत्ति तथा मशीन एवं उपस्कर- कार्यालय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,150.61 लाख का अंतिम बचत, ₹ 25.57 लाख से कम है। ₹ 2,176.18 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	791.00				
	पुनर्वि०	675.00				
2210-05-105-0026 राजकीय दंत महाविद्यालय, पैठना, रहुई, नालन्दा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,099.08	1,520.28	836.46	(-)683.82	प्रावधान में ₹100.00 लाख की हुई वृद्धि संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	321.20				
	पुनर्वि०	100.00				
2210-05-105-0028 जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,403.91	4,203.91	1,951.31	(-)2,252.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	800.00				
2210-05-105-0029 नर्सिंग कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	889.72	1,950.72	494.97	(-)1,455.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,061.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0031 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,364.49	4,973.49	3,499.90	(-)1,473.59	प्रावधान में ₹500.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, छात्रवृत्ति तथा मशीन एवं उपस्कर-कार्यालय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,109.00				
	पुनर्वि०	500.00				
2210-05-105-0032 श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.28	1,503.28	24.67	(-)1,478.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,503.00				
2210-05-105-0041 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, सीवान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	175.07	175.07	58.00	(-)117.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0042 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बांका (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	205.63	205.63	40.79	(-)164.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0044 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, रोहतास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.11	200.11	91.49	(-)108.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0046 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, नालन्दा (वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान कैम्पस) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	233.56	233.56	67.81	(-)165.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0047 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.26	0.26	0.00	(-)0.26	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0049 चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	4,000.00	35.44	(-)3,964.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0050 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, बक्सर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	142.82	142.82	10.62	(-)132.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0051 पारामेडिकल संस्थान, एसडीएच हथुआ, गोपालगंज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	136.90	136.90	35.05	(-)101.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0052 पारामेडिकल संस्थान, लेप्रोसी अस्पताल, मुंगेर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	136.90	136.90	40.22	(-)96.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0053 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, सहरसा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	154.28	154.28	45.09	(-)109.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0054 पारामेडिकल संस्थान, नूनगढ़, लखीसराय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	201.41	201.41	111.31	(-)90.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0055 पारामेडिकल संस्थान, महुली, जमुई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	180.03	180.03	5.42	(-)174.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0056 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, अरवल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	143.53	143.53	48.81	(-)94.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0057 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, छपरा, सारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	151.19	151.19	10.86	(-)140.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0058 पारामेडिकल संस्थान, ओल्ड अनुमंडलीय अस्पताल, खगड़िया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	139.91	139.91	17.39	(-)122.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0059 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, मधुबनी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	140.91	160.91	35.32	(-)125.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	20.00				
2210-05-105-0060 पारामेडिकल संस्थान, राजापाकड़, वैशाली (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	140.91	140.91	32.29	(-)108.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0061 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	129.91	129.91	47.94	(-)81.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0062 पारामेडिकल संस्थान, सुपौल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	129.91	129.91	41.52	(-)88.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0063 पारामेडिकल संस्थान, सारंगपुर, भभुआ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	146.67	176.67	84.60	(-)92.07	प्रावधान में ₹30.00 लाख की वृद्धि व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	30.00				
2210-05-105-0064 पारामेडिकल संस्थान, रेफरल अस्पताल, घोसी, जहानाबाद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	119.91	119.91	19.29	(-)100.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0065 पारामेडिकल संस्थान, मखदुमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शेखपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	144.50	144.50	32.92	(-)111.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0066 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, कटिहार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	154.47	154.47	45.95	(-)108.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0067 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पश्चिमी चम्पारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	126.91	126.91	9.36	(-)117.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0068 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पूर्णियां (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	119.91	289.91	136.12	(-)153.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	170.00				
2210-05-105-0069 पारामेडिकल संस्थान, मोतिहारा, किशनगंज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	176.21	476.21	191.97	(-)284.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	300.00				
2210-05-105-0070 पारामेडिकल संस्थान, बुधौल, नवादा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	114.91	0.00	(-)114.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0071 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, भोजपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	114.91	0.00	(-)114.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0072 पारामेडिकल संस्थान, पररिया, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	92.01	0.00	(-)92.01	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹22.90 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)22.90				
2210-05-105-0073 पारामेडिकल संस्थान, अररिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	104.91	0.00	(-)104.91	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2210-05-105-0074 पारामेडिकल संस्थान, पदरी, सीतामढ़ी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	86.19	0.00	(-)86.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹28.72 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)28.72				
2210-05-105-0075 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, औरंगाबाद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	86.19	0.00	(-)86.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹28.72 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)28.72				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0076 पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, शिवहर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	80.19	0.00	(-)80.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹34.72 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)34.72				
2210-05-105-0077 पारामेडिकल संस्थान, बेगूसराय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	114.91	80.19	0.00	(-)80.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹34.72 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)34.72				
2210-05-105-0078 पारामेडिकल संस्थान, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0079 पारामेडिकल संस्थान, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0080 पारामेडिकल संस्थान, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0081 पारामेडिकल संस्थान, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0082 पारामेडिकल संस्थान, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0083 पारामेडिकल संस्थान, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-105-0084 पारामेडिकल संस्थान, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.27	0.27	0.00	(-)0.27	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0122 होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	1,525.00	1,491.00	(-)34.00	प्रावधान में ₹990.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	990.00				
2210-05-200-0002 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	275.00	275.00	199.98	(-)75.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-200-0101 इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	3,025.00	34,050.00	32,855.00	(-)1,195.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	31,025.00				
2210-05-200-0102 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-05-200-0204 स्ट्रेंग्थेनिंग एण्ड अप-ग्रेडेशन ऑफ स्टेट गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज फॉर इनक्रीज इन पीजी सीट्स (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पीएमएसएसएन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-200-0304 स्ट्रेंथेनिंग एण्ड अप-ग्रेडेशन ऑफ स्टेट गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज फॉर इनक्रीज इन पीजी सीट्स (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पीएमएसएसएन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2210-06-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,482.87	1,682.87	1,377.46	(-)305.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				
2210-06-003-0002 जन स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,836.15	2,046.15	1,237.25	(-)808.90	प्रावधान में ₹20.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹808.90 लाख का अंतिम बचत, ₹2.80 लाख से कम है। ₹811.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	190.00				
	पुनर्वि०	20.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-06-101-0002 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,896.54	2,896.54	1,980.34	(-)916.20	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹916.20 लाख का अंतिम बचत, ₹5.18 लाख से कम है। ₹921.38 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-06-101-0003 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,425.69	5,037.69	3,641.54	(-)1,396.15	प्रावधान में ₹1,612.00 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,396.15 लाख का अंतिम बचत, ₹2.53 लाख से कम है। ₹1,398.68 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	1,612.00				
2210-06-101-0012 महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-06-101-0016 कोविड-19 उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.24	100.24	0.00	(-)100.24	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-06-101-0114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	1,100.00	22,600.00	20,100.00	(-)2,500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	21,500.00				
2210-06-102-0001 खाद्य नियंत्रक स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	699.72	779.72	437.15	(-)342.57	प्रावधान में ₹80.00 लाख की वृद्धि व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	80.00				
2210-06-104-0001 औषध नियंत्रण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,162.87	3,367.87	2,814.54	(-)553.33	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹553.33 लाख का अंतिम बचत, ₹1.46 लाख से कम है। ₹554.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	205.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-06-104-0002 प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	141.13	141.13	79.07	(-)62.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-06-104-0203 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंग्थेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2210-06-107-0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,581.57	2,585.83	411.56	(-)2,174.27	प्रावधान में ₹4.26 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 2,174.27 लाख का अंतिम बचत, ₹0.01 लाख से अधिक है। ₹2,174.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	4.26				
2210-06-113-0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	132.25	132.25	9.95	(-)122.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-06-200-0001 अन्य पद्धतियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.01	150.01	0.00	(-)150.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2210-06-200-0002 जैव-चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं रख-रखाव कार्यक्रम (बीएमएमपी) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,000.00	4,500.00	3,000.00	(-)1,500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				
2210-06-789-0201 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)70.00				
2210-06-789-0301 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2211-00-001-0204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,000.00	17,400.90	3,306.64	(-)14,094.26	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,599.10 लाख की कमी मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹14,094.26 लाख का अंतिम बचत, ₹0.41 लाख से कम है। ₹ 14,094.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,599.10				
2211-00-001-0304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,993.06	6,993.06	328.74	(-)6,664.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2211-00-003-0206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	28,000.00	9,776.80	357.34	(-)9,419.46	₹18,223.20 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)18,223.20				
2211-00-003-0306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,000.00	7,000.00	19.36	(-)6,980.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2211-00-004-0202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.89	(-)199.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2211-00-004-0302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	69.86	(-)430.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2211-00-101-0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,431.77	9,431.77	4,984.20	(-)4,447.57	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,447.57 लाख का अंतिम बचत, ₹ 17.96 लाख से कम है। ₹ 4,465.53 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2211-00-101-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,09,000.00	92,400.00	64,655.94	(-)27,744.06	₹16,600.00 लाख का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹27,744.06 लाख का अंतिम बचत, ₹ 75.90 लाख से कम है। ₹ 27,819.96 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)16,600.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2211-00-101-0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	44,500.00	53,500.00	21,703.12	(-)31,796.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,000.00				
2211-00-102-0202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	223.04	(-)776.96	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹776.96 लाख का अंतिम बचत, ₹3.22 लाख से कम है। ₹ 780.18 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2211-00-102-0302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	240.00	240.00	80.98	(-)159.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2211-00-103-0001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,275.89	1,285.89	418.72	(-)867.17	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹867.17 लाख का अंतिम बचत, ₹0.38 लाख से कम है। ₹867.55 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-102-0102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-110-0204 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-110-0304 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0012 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40,000.00	40,000.00	13,200.00	(-)26,800.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-090-0007 स्वास्थ्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,402.10	1,432.11	826.17	(-)605.94	प्रावधान में ₹30.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹37.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹7.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मोटरगाड़ी-कार्यालय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	30.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹43,110.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹99,400.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 86,100.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹1,06,899.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,92,399.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹43,110.48 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 11.85 लाख से कम है। अतः यह ₹43,122.33 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹14,369.22 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹43,122.33 लाख) से ₹28,753.11 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-051-0103 जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-01-051-0104 शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,050.00	1,050.00	1,000.00	(-)50.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-103-0201 कैंसर मधुमेह हृदय रोग नियंत्रण एवं रोक थाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-01-103-0301 कैंसर मधुमेह हृदय रोग नियंत्रण एवं रोक थाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.96	0.96	0.00	(-)0.96	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-01-110-0111 मेडिकल कॉलेज अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	4,550.00	63,941.00	58,702.25	(-)5,238.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	59,391.00				
4210-01-110-0113 जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,628.01	14,128.01	5,875.37	(-)8,252.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	12,500.00				
4210-01-110-0117 मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	7,500.01	6,830.12	(-)669.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7,500.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-110-0118 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	350.00	11.85	(-)338.15	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 338.15 लाख का अंतिम बचत, ₹11.85 लाख से कम है। ₹350.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-01-110-0119 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	12,600.00	8,000.00	4,900.00	(-)3,100.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,100.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹3,500.00 लाख का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,600.00				
4210-01-110-0219 रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गो के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) (टर्शियरी केयर योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-110-0220 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,517.32	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)5,517.32				
4210-01-110-0319 रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गो के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) (टर्शियरी केयर योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	201.90	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण व्यय की संभावना न होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)201.90				
4210-01-110-0320 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,200.00	3,200.00	542.66	(-)2,657.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-01-110-0321 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)100.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-789-0201 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,102.07	1,102.07	508.99	(-)593.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-01-796-0201 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	87.44	87.44	0.00	(-)87.44	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-02-103-0101 रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	500.01	500.01	360.19	(-)139.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-02-103-0102 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	10,500.00	10,500.00	9,287.20	(-)1,212.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-02-110-0101 आयुष कॉलेज अस्पताल एवं डिसपेंसरी (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	21,753.00	21,400.00	(-)353.00	प्रावधान में ₹900.00 लाख की वृद्धि मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	18,353.00				
	पुनर्वि०	900.00				
4210-02-110-0204 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,978.11	2,078.11	1,614.37	(-)463.74	₹3,900.00 लाख का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,900.00				
4210-02-110-0304 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,400.00	530.31	(-)869.69	₹100.00 लाख का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4210-02-789-0201 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,104.84	804.84	0.00	(-)804.84	₹300.00 लाख का प्रत्यर्पण मार्च तक व्यय होने की संभावना न्यून होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-02-796-0201 प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90.22	90.22	0.00	(-)90.22	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-03-050-0103 नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	90,755.00	88,277.67	(-)2,477.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	89,755.00				
4210-03-051-0201 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4210-03-051-0301 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,500.00	6,500.00	6,320.00	(-)180.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-03-105-0111 दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	14,025.00	14,000.00	(-)25.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14,000.00				
4210-03-105-0112 एएनएम एवं जीएनएम स्कूल (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	11,700.00	11,000.00	(-)700.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	11,000.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-03-105-0220 बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4210-03-105-0320 बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
4210-04-051-0201 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंग्थेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण व्यय होने की संभावना नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)50.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 21- शिक्षा विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2059 लोक निर्माण कार्य

2202 सामान्य शिक्षा

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**5,06,90,80,61**	**7,57,76,40,33**	**5,43,73,41,05**	**(-)2,14,02,99,28**
अनुपूरक	**2,50,85,59,72**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**19,48,22,00**	**27,88,42,00**	**23,27,23,35**	**(-)4,61,18,65**
अनुपूरक	**8,40,20,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹21,40,299.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹10,39,130.83 लाख), नवम्बर 2024 (₹13,52,603.03 लाख) तथा मार्च 2025 (₹1,16,825.86 लाख) में प्राप्त किया गया ₹25,08,559.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹21,40,299.28 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹ 33,000.72 लाख से कम है। अतः यह ₹21,73,300.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹21,73,300.00 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-60-053-0101 शिक्षा विभाग के भवनों का रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	42,600.00	44,600.00	37,980.77	(-)6,619.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
2202-01-001-0001 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,578.53	1,593.53	780.26	(-)813.27	प्रावधान में ₹ 38.50 लाख की हुई कमी ₹ 2.60 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 41.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मानदेय भुगतान में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹813.27 लाख का अंतिम बचत, ₹ 13.81 लाख से कम है। ₹827.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	53.50				
	पुनर्वि०	(-)38.50				
2202-01-001-0002 प्रोत्साहन हेतु विद्यालय में सामाजिक उत्सव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-001-0003 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	944.40	1,625.40	1,418.18	(-)207.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	681.00				
2202-01-001-0004 बिहार बाल भवन किलकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	450.00	2,793.76	1,745.66	(-)1,048.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,343.76				
2202-01-001-0101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	5,500.00	5,500.00	1,497.42	(-)4,002.58	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,002.58 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.58 लाख से अधिक है। ₹4,000.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-003-0001 बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-053-0001 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,480.00	17,180.00	10,534.01	(-)6,645.99	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,645.99 लाख का अंतिम बचत, ₹ 141.39 लाख से कम है। ₹6,787.38 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,700.00				
2202-01-101-0001 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,47,690.02	11,51,215.02	8,62,836.85	(-)2,88,378.17	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,875.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,88,378.17 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1,055.57 लाख से कम है। ₹2,89,433.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,400.00				
	पुनर्वि०	(-)1,875.00				
2202-01-101-0003 प्रारंभिक विद्यालय का अनुश्रवण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,775.00	61,393.93	43,779.22	(-)17,614.71	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,232.07 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	30,851.00				
	पुनर्वि०	(-)2,232.07				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-101-0103 प्रारंभिक विद्यालय अन्तर्गत खेलों के विकास हेतु खेल मैदान के परिसर के विकास एवं अनुरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	591.32	(-)408.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-101-0201 पी.एम.श्री योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	11,129.00	11,129.00	0.00	(-)11,129.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-101-0301 पी.एम.श्री योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	7,419.00	7,419.00	0.00	(-)7,419.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-102-0001 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,362.00	3,362.00	2,685.66	(-)676.34	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹676.34 लाख का अंतिम बचत, ₹ 5.54 लाख से कम है। ₹681.88 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-109-0004 प्रात्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	5,625.01	2,329.74	(-)3,295.27	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5,625.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	5,625.00				
2202-01-109-0103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण (राज्य स्कीम)	अनु०	4,750.00	4,750.00	0.00	(-)4,750.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-111-0201 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,05,232.00	7,04,732.00	2,94,608.54	(-)4,10,123.46	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2202-01-111-0301 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,18,566.00	2,28,986.00	1,96,519.41	(-)32,466.59	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹800.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹32,466.59 लाख का अंतिम बचत, ₹ 113.72 लाख से कम है। ₹32,580.31 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,11,220.00				
	पुनर्वि०	(-)800.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-111-0302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,65,000.00	14,62,250.00	12,38,258.76	(-)2,23,991.24	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,23,991.24 लाख का अंतिम बचत, ₹ 135.81 लाख से कम है। ₹2,24,127.05 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	11,97,250.00				
2202-01-112-0002 मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	936.40	936.40	38.00	(-)898.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹898.40 लाख का अंतिम बचत, ₹ 18.47 लाख से कम है। ₹916.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-112-0003 मध्याह्न भोजन योजना-(स्थापना) द्वारा संचालित पी एम पोषण योजना का अनुश्रवण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,670.00	3,670.00	678.14	(-)2,991.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-112-0104 मध्याह्न भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	40,000.00	39,618.14	(-)381.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10,000.00				
2202-01-112-0105 मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत किचन शेड का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	4,000.00	2,657.13	(-)1,342.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-112-0203 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,97,010.00	1,97,010.00	1,04,785.17	(-)92,224.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-191-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,202.66	9,202.66	8,543.79	(-)658.87	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹658.87 लाख का अंतिम बचत, ₹ 108.80 लाख से कम है। ₹ 767.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
2202-01-191-0002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	156.48	156.48	37.80	(-)118.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-192-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,812.70	10,812.70	7,369.98	(-)3,442.72	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,442.72 लाख का अंतिम बचत, ₹ 884.30 लाख से कम है। ₹ 4,327.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-192-0002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	240.00	240.00	61.12	(-)178.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-193-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,118.76	15,118.76	9,997.83	(-)5,120.93	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,120.93 लाख का अंतिम बचत, ₹ 353.64 लाख से कम है। ₹ 5,474.57 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-193-0002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	256.89	256.89	26.70	(-)230.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-197-0002 प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,97,067.00	3,07,067.00	2,76,064.20	(-)31,002.80	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹31,002.80 लाख का अंतिम बचत, ₹ 10,176.30 लाख से कम है। ₹41,179.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10,000.00				
2202-01-197-0003 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,203.00	8,203.00	1,678.36	(-)6,524.64	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,524.64 लाख का अंतिम बचत, ₹ 9.45 लाख से कम है। ₹ 6,534.09 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-198-0002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,057.54	5,057.54	0.00	(-)5,057.54	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-789-0203 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,84,816.00	1,84,816.00	79,596.83	(-)1,05,219.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-789-0209 मध्याहन भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	47,920.00	47,920.00	16,894.18	(-)31,025.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-789-0308 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	87,284.00	1,02,284.00	53,064.55	(-)49,219.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15,000.00				
2202-01-796-0210 मध्याहन भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,070.00	5,070.00	886.24	(-)4,183.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-01-796-0211 प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,390.00	9,390.00	4,907.24	(-)4,482.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-796-0309 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,650.00	12,150.00	3,271.49	(-)8,878.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,500.00				
2202-02-001-0001 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,543.70	3,760.75	3,221.58	(-)539.17	प्रावधान में ₹ 2,105.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा दूरभाष मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹539.17 लाख का अंतिम बचत, ₹ 6.49 लाख से कम है। ₹ 545.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	112.05				
	पुनर्वि०	2,105.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-001-0002 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	33,812.93	34,275.93	23,033.64	(-)11,242.29	प्रावधान में ₹150.00 लाख की वृद्धि डी.ई.ओ. को मानदेय के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11,242.29 लाख का अंतिम बचत, ₹29.45 लाख से कम है। ₹ 11,271.74 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	313.00				
	पुनर्वि०	150.00				
2202-02-001-0003 क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,061.02	2,976.43	1,134.16	(-)1,842.27	प्रावधान में ₹30.00 लाख की वृद्धि भाड़े की गाड़ी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,842.27 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.71 लाख से कम है। ₹ 1,842.98 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	885.41				
	पुनर्वि०	30.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-001-0008 राज्य मुख्यालय स्तर पर के बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	61.65	561.65	190.91	(-)370.74	प्रावधान में ₹500.00 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	500.00				
2202-02-001-0009 जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,197.61	15,297.61	891.85	(-)14,405.76	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	100.00				
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2202-02-001-0010 प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई (वीपीएमयू) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,441.41	3,216.41	1,757.98	(-)1,458.43	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,225.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,225.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-001-0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	6,000.00	5,186.34	(-)813.66	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹813.66 लाख का अंतिम बचत, ₹ 43.79 लाख से कम है। ₹ 857.45 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-052-0001 माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपकरण क्रय हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-052-0002 माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	60.00	4,060.00	0.00	(-)4,060.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,000.00				
2202-02-052-0103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2,181.00	2,181.00	0.00	(-)2,181.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-053-0001 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,350.00	19,032.00	8,565.12	(-)10,466.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8,692.00				
	पुनर्वि०	(-)10.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-109-0001 अन्य विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,80,782.01	7,51,950.51	6,17,185.33	(-)1,34,765.18	प्रावधान में ₹ 85,285.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹1,03,000.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹17,715.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 1,34,765.18 लाख का अंतिम बचत, ₹529.38 लाख से कम है। ₹1,35,294.56 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,85,883.50				
	पुनर्वि०	85,285.00				
2202-02-109-0005 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,270.50	25,555.50	9,672.92	(-)15,882.58	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	23,400.00				
	पुनर्वि०	(-)115.00				
2202-02-109-0110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	545.20	545.20	77.00	(-)468.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-109-0111 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत खेलों के विकास हेतु खेल मैदान के परिसर के विकास एवं अनुरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	124.75	(-)1,875.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-109-0207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	57,341.00	57,341.00	33,885.18	(-)23,455.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-109-0212 पीएमश्री योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	35,074.00	35,074.00	0.00	(-)35,074.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-109-0307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,984.00	31,810.00	22,590.12	(-)9,219.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	26,826.00				
2202-02-109-0313 पीएमश्री योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	23,383.00	23,383.00	0.00	(-)23,383.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-110-0002 सैनिक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,300.00	1,300.00	549.21	(-)750.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-110-0003 माध्यमिक, बहुद्देशीय अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,000.00	11,000.00	8,812.82	(-)2,187.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,187.18 लाख का अंतिम बचत, ₹ 96.94 लाख से कम है। ₹ 2,284.12 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-110-0007 गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	34,200.00	1,52,800.00	27,460.14	(-)1,25,339.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,18,600.00				
2202-02-110-0112 मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्य संसाधन से प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	455.00	655.00	298.02	(-)356.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-191-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,271.08	20,271.08	17,085.54	(-)3,185.54	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,185.54 लाख का अंतिम बचत, ₹ 430.72 लाख से कम है। ₹ 3,616.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-191-0004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	201.78	201.78	43.51	(-)158.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-192-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	22,163.91	18,163.91	14,712.12	(-)3,451.79	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,451.79 लाख का अंतिम बचत, ₹ 944.16 लाख से कम है। ₹ 4,395.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-192-0004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	564.96	564.96	86.10	(-)478.86	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹478.86 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.16 लाख से कम है। ₹ 481.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-193-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,878.18	13,878.18	10,866.46	(-)3,011.72	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,011.72 लाख का अंतिम बचत, ₹ 300.49 लाख से कम है। ₹ 3,312.21 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-193-0004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,293.60	1,293.60	62.43	(-)1,231.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-196-0001 जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,98,000.01	1,56,000.01	1,31,151.87	(-)24,848.14	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹42,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹24,848.14 लाख का अंतिम बचत, ₹ 7,616.53 लाख से कम है। ₹32,464.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)42,000.00				
2202-02-196-0004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,384.00	6,384.00	1,381.99	(-)5,002.01	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,002.01 लाख का अंतिम बचत, ₹ 31.03 लाख से कम है। ₹ 5,033.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-789-0207 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,639.00	9,639.00	7,095.90	(-)2,543.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-789-0307 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,817.00	7,817.00	4,730.60	(-)3,086.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,000.00				
2202-02-796-0209 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,693.00	1,693.00	478.25	(-)1,214.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-02-796-0309 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	717.00	2,717.00	318.83	(-)2,398.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	790.67	1,229.17	721.80	(-)507.37	प्रावधान में ₹238.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति विज्ञापन एवं प्रकाशन, परीक्षा व्यय, किराया, सत्कार भत्ता तथा संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹507.37 लाख का अंतिम बचत, ₹ 22.81 लाख से कम है। ₹ 530.18 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				
	पुनर्वि०	238.50				
2202-03-001-0002 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	638.00	1,075.09	899.29	(-)175.80	प्रावधान में ₹437.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति विज्ञापन एवं प्रकाशन, परीक्षा व्यय, भाड़े की वाहन का भुगतान, सत्कार भत्ता तथा संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.09				
	पुनर्वि०	437.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-001-0003 बिहार कॉलेज सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15.00	15.00	12.71	(-)2.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-001-0006 बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	681.40	681.40	151.00	(-)530.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-001-0101 निदेशन और प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-001-0102 अनुसंधान एवं परियोजना कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	49.90	(-)25.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-102-0001 पटना विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,000.00	33,083.00	31,749.03	(-)1,333.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,083.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0002 मगध विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	76,400.00	71,604.00	62,741.57	(-)8,862.43	प्रावधान में ₹ 12,900.00 लाख की हुई कमी, ₹1,000.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹13,900.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक अनुदान-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8,104.00				
	पुनर्वि०	(-)12,900.00				
2202-03-102-0003 बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	62,188.30	63,544.30	60,144.70	(-)3,399.60	प्रावधान में ₹ 1,315.00 लाख वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	41.00				
	पुनर्वि०	1,315.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30,500.00	30,846.00	27,339.32	(-)3,506.68	प्रावधान में ₹346.00 लाख की हुइ वृद्धि ₹ 2,521.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,175.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	346.00				
2202-03-102-0005 वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	41,500.00	56,140.00	41,198.34	(-)14,941.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14,640.00				
2202-03-102-0008 बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (सहायक अनुदान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	41,500.00	34,400.00	30,970.78	(-)3,429.22	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹7,100.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)7,100.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0009 भागलपुर विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	36,500.00	41,860.00	39,708.78	(-)2,151.22	प्रावधान में ₹ 4,860.00 लाख वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	4,860.00				
2202-03-102-0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	80,000.00	68,222.00	66,466.30	(-)1,755.70	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	722.00				
	पुनर्वि०	(-)12,500.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0012 कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30,500.00	28,579.00	27,183.68	(-)1,395.32	प्रावधान में ₹ 1,921.00 लाख की हुई कमी ₹600.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,521.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,921.00				
2202-03-102-0016 मौलाना मजहरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	2,854.00	1,284.56	(-)1,569.44	प्रावधान में ₹184.00 लाख वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	170.00				
	पुनर्वि०	184.00				
2202-03-102-0024 पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	55,100.00	48,900.00	40,938.97	(-)7,961.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6,200.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)6,200.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0025 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	16,100.00	18,025.00	11,735.39	(-)6,289.61	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,425.00				
	पुनर्वि०	(-)1,500.00				
2202-03-102-0027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,000.00	13,280.00	10,173.49	(-)3,106.51	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹784.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,064.00				
	पुनर्वि०	(-)784.00				
2202-03-102-0028 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,250.00	1,250.00	497.12	(-)752.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-102-0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	20,500.00	20,500.00	16,659.60	(-)3,840.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-102-0117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	2,500.00	500.00	(-)2,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-102-0127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	अनु०	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-102-0128 विश्वविद्यालय कोष (राज्य स्कीम)	मूल	25,000.00	25,000.00	0.00	(-)25,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-102-0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-103-0001 इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,457.03	8,474.03	4,918.23	(-)3,555.80	प्रावधान में ₹ 1,600.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा जीवन निर्वाह भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,555.80 लाख का अंतिम बचत, ₹ 7.34 लाख से कम है। ₹ 3,563.14 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,417.00				
	पुनर्वि०	1,600.00				
2202-03-103-0003 राजकीय महिला महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,554.11	1,567.51	1,314.61	(-)252.90	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹252.90 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.83 लाख से कम है। ₹ 255.73 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	13.40				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-104-0003 वित्त संपोषित महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	24,976.00	24,976.00	24,521.83	(-)454.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-104-0004 ग्रामीण महाविद्यालय (बरौली सोसाइटी) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	130.00	130.00	84.00	(-)46.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-104-0005 इंटर विश्वविद्यालय बोर्ड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-112-0006 उच्च शिक्षा अन्तर्गत संस्थाओं का अनुश्रवण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	650.00	650.00	204.14	(-)445.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-113-0101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	1,398.00	1,310.50	(-)87.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,148.00				
2202-03-789-0201 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	540.00	540.00	0.00	(-)540.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-789-0301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	360.00	360.00	0.00	(-)360.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-796-0201 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	140.00	140.00	0.00	(-)140.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-796-0301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	140.00	140.00	0.00	(-)140.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-04-001-0002 जन शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	281.22	330.53	234.47	(-)96.06	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹96.06 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.60 लाख से कम है। ₹ 97.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	49.31				
2202-04-200-0002 टोला सेवक (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	84,000.00	89,014.00	58,854.53	(-)30,159.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,014.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-04-200-0203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,061.00	1,832.18	1,832.18	0.00	प्रावधान में ₹500.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।
	अनु०	271.18				
	पुनर्वि०	500.00				
2202-04-200-0303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	196.00	1,175.44	1,175.44	0.00	प्रावधान में ₹800.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।
	अनु०	179.44				
	पुनर्वि०	800.00				
2202-04-789-0101 प्रौढ़ शिक्षा (राज्य स्कीम)	अनु०	89,014.00	89,014.00	22,390.94	(-)66,623.06	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹66,623.06 लाख का अंतिम बचत, ₹ 269.75 लाख से कम है। ₹66,892.81 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-04-789-0202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	120.00	397.82	231.50	(-)166.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	277.82				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-04-789-0302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	80.00	264.98	207.40	(-)57.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	184.98				
2202-04-796-0203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	36.00	74.30	6.17	(-)68.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	38.30				
2202-04-796-0302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	24.00	27.58	4.11	(-)23.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.58				
2202-05-103-0002 राजकीय संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	378.01	378.01	189.99	(-)188.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-05-103-0003 गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,000.00	61,100.00	29,838.82	(-)31,261.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹31,261.18 लाख का अंतिम बचत, ₹ 295.87 लाख से कम है। ₹31,557.05 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	41,100.00				
2202-05-200-0001 मदरसा इस्लामिया समसुल होदा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	205.29	208.29	150.99	(-)57.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 57.30 लाख का अंतिम बचत, ₹0.02 लाख से अधिक है। ₹57.28 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-05-200-0002 गैर सरकारी मदरसा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50,000.00	1,06,900.00	49,981.52	(-)56,918.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹56,918.48 लाख का अंतिम बचत, ₹ 827.72 लाख से कम है। ₹57,746.20 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	57,000.00				
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2202-05-200-0005 बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	627.01	727.01	554.58	(-)172.43	प्रावधान में ₹100.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	100.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,355.59	1,514.09	1,016.12	(-)497.97	प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 90.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹497.97 लाख का अंतिम बचत, ₹4.82 लाख से कम है। ₹502.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	78.50				
	पुनर्वि०	80.00				
2202-80-001-0002 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	273.60	273.60	9.60	(-)264.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-001-0004 प्रक्षेत्रीय अभिलेख पर्यालोचन समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32.79	43.79	30.33	(-)13.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	11.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-001-0102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,100.00	1,100.00	749.77	(-)350.23	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹350.23 लाख का अंतिम बचत, ₹2.76 लाख से कम है। ₹352.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-003-0006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,876.41	9,086.41	6,910.52	(-)2,175.89	प्रावधान में ₹210.00 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार तथा चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,175.89 लाख का अंतिम बचत, ₹ 11.88 लाख से कम है। ₹ 2,187.77 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	210.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-003-0007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	650.12	715.12	412.09	(-)303.03	प्रावधान में ₹25.00 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार तथा चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹303.03 लाख का अंतिम बचत, ₹ 9.58 लाख से कम है। ₹ 312.61 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	40.00				
	पुनर्वि०	25.00				
2202-80-003-0008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,730.20	3,870.20	3,049.67	(-)820.53	प्रावधान में ₹140.00 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार तथा चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹820.53 लाख का अंतिम बचत, ₹ 7.01 लाख से कम है। ₹827.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	140.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-003-0105 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	19,500.00	19,500.00	11,343.07	(-)8,156.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-004-0001 राष्ट्रभाषा पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	311.95	312.95	210.40	(-)102.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.00				
2202-80-004-0003 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	160.09	245.59	108.95	(-)136.64	प्रावधान में ₹9.50 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, विधि प्रभार, कार्यशाला सम्मेलन तथा सेमिनार इत्यादि में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹136.64 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.16 लाख से कम है। ₹136.80 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	76.00				
	पुनर्वि०	9.50				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-004-0004 मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	296.04	298.04	115.71	(-)182.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2.00				
2202-80-004-0005 अरबी तथा फारसी में अनुसंधान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	76.38	99.95	77.35	(-)22.60	प्रावधान में ₹7.57 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	16.00				
	पुनर्वि०	7.57				
2202-80-004-0006 प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	132.53	226.53	133.12	(-)93.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	94.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-004-0007 केपी जायसवाल शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	193.92	194.92	154.43	(-)40.49	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹40.49 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.58 लाख से अधिक है। ₹ 39.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.00				
2202-80-004-0011 ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	170.01	570.01	520.00	(-)50.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	400.00				
2202-80-004-0012 मैथिली अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30.00	30.00	15.81	(-)14.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-004-0016 बंगला अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20.40	20.40	6.47	(-)13.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-004-0017 संस्कृत अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	76.20	76.20	28.14	(-)48.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-004-0018 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	973.72	4,506.32	905.59	(-)3,600.73	प्रावधान में ₹20.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 25.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भाड़े की वाहन के भुंगतान में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,512.60				
	पुनर्वि०	20.00				
2202-80-004-0019 भोजपुरी अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	66.20	66.20	30.80	(-)35.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-004-0106 एनएनन सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	700.00	497.45	(-)202.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	400.00				
2202-80-004-0108 ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,700.00	1,065.42	(-)634.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	700.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-004-0121 बिहार राज्य भाषा अकादमी (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	75.00	25.00	(-)50.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50.00				
2205-00-105-0001 सार्वजनिक पुस्तकालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	256.81	303.81	196.97	(-)106.84	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹106.84 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.20 लाख से अधिक है। ₹ 106.64 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	47.00				
2205-00-105-0002 सिन्हा लाइब्रेरी, पटना-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	121.00	121.00	72.00	(-)49.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-105-0003 श्री कृष्ण सेवासदन, मुंगेर-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12.00	12.00	0.00	(-)12.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-105-0004 प्रमंडलीय पुस्तकालय-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	113.00	113.00	49.36	(-)63.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2205-00-105-0005 जिला केन्द्रीय पुस्तकालय-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	136.00	138.00	43.55	(-)94.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2.00				
2205-00-105-0006 अनुमंडलीय पुस्तकालय-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	54.00	54.00	22.86	(-)31.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-105-0010 श्री शारदा सदन पुस्तकालय, वैशाली सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2205-00-105-0012 राजकीय उर्दू पुस्तकालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	105.91	216.91	108.88	(-)108.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	111.00				
2251-00-090-0002 शिक्षा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,561.67	1,562.67	1,072.11	(-)490.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6.00				
	पुनर्वि०	(-)5.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-102-0102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (राज्य स्कीम)	मूल	2,300.00	13,300.00	13,812.17	(+)512.17	₹512.17 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹615.07 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 102.90 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹102.90 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	11,000.00				
2202-01-109-0101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	850.00	3,850.00	4,515.57	(+)665.57	₹665.17 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹666.28 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.71 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.71 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-109-0102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजन (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	10,000.00	10,950.14	(+)950.14	₹950.14 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,246.60 लाख से अधिक है। अतः यह ₹296.46 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹296.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8,500.00				
2202-01-109-0105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	12,000.00	12,209.30	(+)209.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 209.30 लाख से अधिक है।
	अनु०	11,000.00				
2202-01-789-0102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	223.91	(+)73.91	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 73.91 लाख से अधिक है।
2202-02-107-0105 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	12,095.00	12,313.38	(+)218.38	₹218.38 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 218.40 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8,595.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-107-0106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	12,800.00	12,878.92	(+)78.92	₹78.92 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹132.62 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 53.70 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹53.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,300.00				
2202-02-107-0107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	17,900.00	18,061.81	(+)161.81	₹161.81 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹161.83 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14,400.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-107-0108 अन्य विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	16,107.00	16,315.16	(+)208.16	₹208.16 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹208.24 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.08 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	11,107.00				
2202-02-789-0101 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	4,900.00	4,966.38	(+)66.38	₹66.38 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹66.42 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.04 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,400.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-789-0102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	5,000.00	5,067.73	(+)67.73	₹67.73 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹67.75 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,500.00				
2202-02-789-0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	5,000.00	5,300.55	(+)300.55	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 300.55 लाख से अधिक है।
	अनु०	4,000.00				
2202-03-107-0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	7,000.00	7,036.40	(+)36.40	₹36.40 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹36.41 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹0.01 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,500.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹46,118.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹47,020.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 37,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹84,020.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 46,118.65 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹17.78 लाख से कम है। अतः यह ₹46,136.43 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) वास्तविक अंतिम बचत (₹46,136.43 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0143 शिक्षा विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,520.00	402.86	(-)1,117.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	520.00				
4202-01-201-0105 प्रारम्भिक विद्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	70,001.00	75,001.00	55,425.99	(-)19,575.01	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹19,575.01 लाख का अंतिम बचत, ₹ 2.94 लाख से कम है। ₹ 19,577.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,000.00				
4202-01-201-0107 प्रारंभिक विद्यालयों में चाहरदिवारी का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	11,500.00	9,718.58	(-)1,781.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				
4202-01-202-0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	46,801.00	1,16,801.00	1,06,166.22	(-)10,634.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	70,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-01-202-0109 राजकीय उच्च विद्यालय के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	20,500.00	22,500.00	17,988.58	(-)4,511.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
4202-01-202-0113 सिमुलतल्ला आवसीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	1,740.42	(-)759.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-01-202-0114 मॉडल स्कूल (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	11,000.00	10,501.21	(-)498.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
4202-01-202-0116 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चाहरदिवारी का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	7,531.46	(-)2,468.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-01-203-0105 भूमि-केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए (राज्य स्कीम)	मूल	9,010.00	9,010.00	8,799.81	(-)210.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-01-203-0207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,100.00	2,100.00	0.00	(-)2,100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-01-600-0103 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-01-600-0104 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	1,790.30	(-)209.70	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹209.70 लाख का अंतिम बचत, ₹ 14.84 लाख से कम है। ₹224.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-01-600-0105 मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत किचन शेड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	515.97	(-)484.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-01-789-0101 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,200.00	6,200.00	4,453.34	(-)1,746.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,000.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 22- गृह विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2055 पुलिस

2056 जेल

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	1,57,76,76,41	1,62,38,45,16	1,31,89,56,63	(-)30,48,88,53
अनुपूरक	4,61,68,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	5,47,06,65	10,78,95,07	8,57,76,33	(-)2,21,18,74
अनुपूरक	5,31,88,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹3,04,888.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹36,379.51 लाख), नवम्बर 2024 (₹9,789.24 लाख) में प्राप्त किया गया ₹46,168.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹3,04,888.53 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,637.19 लाख से कम है। अतः यह ₹3,07,525.72 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹3,07,525.72 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-114-0004 अभियोजन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,310.74	19,479.20	16,983.48	(-)2,495.72	प्रावधान में ₹5,154.25 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं प्रशिक्षण व्यय, मशीन एवं उपस्कर में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,495.72 लाख का अंतिम बचत, ₹9.92 लाख से कम है। ₹2,505.64 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	14.21				
	पुनर्वि०	5,154.25				
2051-00-103-0003 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,333.34	3,333.34	2,139.58	(-)1,193.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0002 गृह (विशेष) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,685.66	2,035.66	1,843.02	(-)192.64	प्रावधान में ₹350.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹402.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹52.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रकाशन एवं मुद्रण, वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं कार्यालय वाहन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 192.64 लाख का अंतिम बचत, ₹ 58.01 लाख से कम है। ₹ 250.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	350.00				
2052-00-090-0006 गृह (आरक्षी) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,301.10	1,301.10	1,121.11	(-)179.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0049 जे०पी० सेनानी सम्मान योजना के तहत सलाहकार पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	71.26	71.26	53.67	(-)17.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-092-0001 पारपत्र संगठन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	59.79	84.79	77.35	(-)7.44	प्रावधान में ₹25.00 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सा भत्ता और परिवहन भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	25.00				
2052-00-092-0002 स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	394.61	479.12	303.43	(-)175.69	प्रावधान में ₹84.50 लाख की वृद्धि कार्यालय वाहन, वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, पुरस्कार, यात्रा व्यय तथा संविदा सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹175.69 लाख का अंतिम बचत, ₹2.63 लाख से कम है। ₹178.32 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	84.50				
2052-00-092-0016 देहरादून केडेटशीप के लिए अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4.10	4.10	0.00	(-)4.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	27,225.80	28,205.80	20,238.50	(-)7,967.30	प्रावधान में ₹625.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, परामर्श तथा प्रशिक्षण व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,967.30 लाख का अंतिम बचत, ₹47.99 लाख से कम है। ₹8,015.29 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	355.00				
	पुनर्वि०	625.00				
2055-00-001-0003 केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,700.00	24,400.00	21,253.08	(-)3,146.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	12,700.00				
2055-00-001-0007 स्वापक द्रव एवं मनः प्रभावी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-001-0008 सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,476.20	13,254.90	12,294.16	(-)960.74	प्रावधान में ₹6,582.70 लाख की वृद्धि परीक्षा संबंधी व्यय, वेतन भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	196.00				
	पुनर्वि०	6,582.70				
2055-00-001-0009 प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	59,233.40	42,992.65	5,032.57	(-)37,960.08	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹16,240.75 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹37,960.08 लाख का अंतिम बचत, ₹191.32 लाख से कम है। ₹38,151.40 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)16,240.75				
2055-00-003-0009 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,704.01	10,704.01	7,281.39	(-)3,422.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-003-0401 महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्लूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	665.00	665.00	1.99	(-)663.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-101-0005 थानों के लिए व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	33.09	(-)6.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-101-0007 आपराधिक जाँच एवं आसूचना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	36,657.35	40,240.86	30,650.12	(-)9,590.74	प्रावधान में ₹110.00 लाख की वृद्धि सामग्री एवं आपूर्ति, विधि प्रभार तथा विधुत प्रभार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,473.51				
	पुनर्वि०	110.00				
2055-00-101-0008 बिहार पुलिस संग्रहालय का आधुनिकीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-104-0006 विशेष बल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	29,065.21	29,448.52	21,299.35	(-)8,149.17	प्रावधान में ₹101.30 लाख की हुई वृद्धि, ₹184.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹82.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुरस्कार, पोशाक, कार्यालय व्यय, दुरभाष, सामग्री तथा आपूर्ति, विधुत प्रभार, कर, मशीन एवं उपस्कर तथा संविदा सेवाएँ व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	282.01				
	पुनर्वि०	101.30				
2055-00-104-0007 बिहार सैन्य पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,95,811.29	1,95,836.29	1,75,363.88	(-)20,472.41	प्रावधान में ₹25.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	25.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-109-0001 जिला कार्यकारी दल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,53,790.01	7,75,279.01	6,63,927.20	(-)1,11,351.81	प्रावधान में ₹3,580.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 3,610.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 30.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि यात्रा व्यय, पुरस्कार, कार्यालय व्यय तथा विधि प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,11,351.81 लाख का अंतिम बचत, ₹941.23 लाख से कम है। ₹ 1,12,293.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	17,909.00				
	पुनर्वि०	3,580.00				
2055-00-109-0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,341.25	9,802.25	5,187.72	(-)4,614.53	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹539.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,614.53 लाख का अंतिम बचत, ₹82.70 लाख से कम है। ₹4,697.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)539.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-109-0012 थानों के लिए व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,702.00	1,702.00	825.31	(-)876.69	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹876.69 लाख का अंतिम बचत, ₹0.15 लाख से कम है। ₹876.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-109-0013 यातायात नियंत्रण एवं व्यवस्था (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	79.95	79.95	66.54	(-)13.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-109-0014 प्रमुख नदियों तथा दियारा क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं प्राथमिक आपदा प्रबंधन हेतु नदी थाना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-109-0201 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (सुरक्षा संबंधी व्यय) (एसआरआई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	1,190.07	(-)1,309.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-109-0301 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (सुरक्षा संबंधी व्यय) (एसआरई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	400.00	400.00	165.19	(-)234.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-110-0001 चौकिदार-दफादार स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	98,034.10	98,034.10	91,813.97	(-)6,220.13	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,220.13 लाख का अंतिम बचत, ₹197.67 लाख से कम है। ₹6,417.80 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-111-0002 आर्डर पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30,490.01	30,867.01	24,480.32	(-)6,386.69	प्रावधान में ₹47.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा उपचार, विद्युत प्रभार तथा विधि प्रभार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,386.69 लाख का अंतिम बचत, ₹ 24.22 लाख से कम है। ₹6,410.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	330.00				
	पुनर्वि०	47.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-113-0001 चिकित्सालय व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,315.01	1,315.01	822.27	(-)492.74	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹492.74 लाख का अंतिम बचत, ₹1.39 लाख से कम है। ₹494.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-113-0006 अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	177.63	(-)22.37	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹22.37 लाख का अंतिम बचत, ₹37.50 लाख से कम है। ₹59.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2055-00-114-0003 तकनीकी संचार एवं डाटा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,862.02	13,112.02	10,004.09	(-)3,107.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	250.00				
2055-00-115-0102 पुलिस प्रशासन का ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	21,108.99	12,379.00	(-)8,729.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,108.99				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-115-0303 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	5,000.00	1,839.46	(-)3,160.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,500.00				
2055-00-115-0404 निर्भया (नेशनल वाईड इमरजेंन्सी रिस्पान्स सिस्टम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	1,176.18	1,176.18	334.01	(-)842.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-001-0001 जेल निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,685.36	1,695.36	1,486.83	(-)208.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹208.53 लाख का अंतिम बचत, ₹0.01 लाख से अधिक है। ₹208.52 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.00				
2056-00-003-0001 राज्य के कारा पदाधिकारीयों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-003-0002 बंदियों के प्रशिक्षण हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	10.93	(-)14.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2056-00-101-0001 केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,673.62	20,673.62	14,828.99	(-)5,844.63	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,844.63 लाख का अंतिम बचत, ₹10.18 लाख से कम है। ₹5,854.81 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-101-0002 जिला जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	31,185.62	31,185.62	26,508.70	(-)4,676.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,676.92 लाख का अंतिम बचत, ₹34.13 लाख से कम है। ₹4,711.05 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-101-0003 उप-कारा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल पुनर्वि०	7,354.50 (-)78.50	7,276.00	5,669.12	(-)1,606.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹78.50 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,606.88 लाख का अंतिम बचत, ₹4.57 लाख से कम है। ₹1,611.45 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2056-00-101-0005 पुलिस हाजत में बंदियों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-101-0006 मुक्त कारागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	267.22	267.22	172.89	(-)94.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-101-0104 जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण (केन्द्रीय/मंडलीय उप-कारा) (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	396.14	(-)103.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-102-0001 केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,500.00	3,500.00	568.38	(-)2,931.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2056-00-102-0002 जिला जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	6.02	(-)93.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-003-0004 अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.01	200.01	35.70	(-)164.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-003-0008 गृह रक्षकों को प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,799.12	5,604.24	1,744.45	(-)3,859.79	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹194.88 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)194.88				
2070-00-107-0001 ग्रामीण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,17,661.74	1,13,097.12	85,291.81	(-)27,805.31	प्रावधान में ₹4,564.62 लाख की हुई कमी, ₹ 1,148.08 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,712.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विधि प्रभार निः शुल्क अनुदान, सामग्री तथा आपूर्ति, कार्यालय वाहन, किराये से कर तथा कार्यालय व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹27,805.31 लाख का अंतिम बचत, ₹404.71 लाख से कम है। ₹28,210.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,564.62				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-107-0002 शहरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	279.73	279.73	118.73	(-)161.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹161.00 लाख का अंतिम बचत, ₹0.32 लाख से कम है। ₹161.32 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-107-0003 गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,500.00	7,300.00	5,517.45	(-)1,782.55	प्रावधान में ₹3,800.00 लाख की वृद्धि निः शुल्क अनुदान, विधि प्रभार, कार्यालय व्यय तथा किराये पर कर मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,782.55 लाख का अंतिम बचत, ₹44.50 लाख से कम है। ₹ 1,827.05 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	3,800.00				
2070-00-107-0004 होमगार्ड के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.78	(-)99.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-108-0001 अग्नि रक्षा सेवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,956.48	33,765.98	28,457.99	(-)5,307.99	प्रावधान में ₹809.50 लाख की वृद्धि किराये पर कर, सामग्री तथा आपूर्ति, विज्ञापन और प्रकाशन, लोगों की जागरूकता क्षमता में वृद्धि, कार्यालय वाहन, पोशाक तथा रखरखाव तथा मरम्मत मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,307.99 लाख का अंतिम बचत, ₹ 7.44 लाख से कम है। ₹5,315.43 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	809.50				
2070-00-108-0006 जन जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	350.00	335.82	(-)14.18	प्रावधान में ₹150.00 लाख की वृद्धि किराये पर कर, सामग्री तथा आपूर्ति, विज्ञापन और प्रकाशन, लोगों की जागरूकता क्षमता में वृद्धि मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	150.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-108-0102 अग्निशामक उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	5,702.35	(-)4,297.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-01-202-0004 आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-106-0002 परिवीक्षा सेवाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,046.53	3,125.03	2,879.83	(-)245.20	प्रावधान में ₹78.50 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत प्रभार, किराये पर कर तथा संविदा सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹245.20 लाख का अंतिम बचत, ₹ 15.89 लाख से कम है। ₹261.09 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	78.50				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-200-0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	900.00	900.00	502.50	(-)397.50	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹397.50 लाख का अंतिम बचत, ₹15.28 लाख से कम है। ₹412.78 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	193.28	(-)206.72	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹206.72 लाख का अंतिम बचत, ₹19.60 लाख से कम है। ₹226.32 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0006 द्वितीय विश्व युद्ध के विसज्जित सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	17.86	(-)22.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0009 जे.पी. सेनानी सम्मान योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.02	4,000.02	3,232.73	(-)767.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-200-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	85.87	(-)314.13	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹314.13 लाख का अंतिम बचत, ₹1.10 लाख से कम है। ₹315.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	19.89	(-)30.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0414 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	80.00	80.00	6.00	(-)74.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹22,118.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,891.01 लाख), नवम्बर 2024 (₹8,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹42,297.41 लाख) में प्राप्त किया गया ₹53,188.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹22,118.74 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹0.33 लाख से कम है। अतः यह ₹22,119.07 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) वास्तविक अंतिम बचत (₹22,119.07 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4055-00-050-0101 थाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	249.95	(-)750.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4055-00-051-0101 पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	30,003.99	79,175.99	71,675.99	(-)7,500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	49,172.00				
4055-00-051-0204 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,713.98	2,713.98	0.00	(-)2,713.98	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4055-00-051-0205 पुलिस तथा अन्य बलों के लिए आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (विशेष आधारभूत संरचना-एसआईएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	2,375.25	2,285.81	(-)89.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	375.25				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4055-00-051-0304 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	399.99	1,003.01	0.00	(-)1,003.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	603.02				
4055-00-051-0305 पुलिस तथा अन्य बलों के लिए आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (विशेष आधारभूत संरचना-एसआईएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	377.00	627.16	417.09	(-)210.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	250.16				
4055-00-051-0306 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम- राज्य का अतिरिक्त व्यय (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	288.00	245.07	(-)42.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	287.99				
4055-00-210-0402 महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्लूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	36.66	36.66	0.00	(-)36.66	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0126 अभियोजन भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,500.00	535.13	(-)964.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-050-0102 केन्द्रीय/मंडल/उप-काराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि - (गृह कारा विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.00	506.04	(-)2,493.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0101 बिहार अग्नि शमन सेवा के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	4,000.00	3,500.00	(-)500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0103 केन्द्रीय/मंडल/उप-कारा ओं का भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	716.05	(-)1,283.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0108 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	175.00	175.00	0.00	(-)175.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0115 राज्य के प्रक्षेत्रीय/जिला/अनुमंडल प्राबेशन कार्यालयों के कार्यालय भवन के निर्माण (गृह विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	271.95	(-)728.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-052-0101 कारागाओं के संयंत्रों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	7,000.00	3,396.40	(-)3,603.60	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,603.60 लाख का अंतिम बचत, ₹0.33 लाख से कम है। ₹3,603.93 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 23- उद्योग विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**13,81,98,64**	**21,56,44,05**	**17,86,03,56**	**(-)3,70,40,49**
अनुपूरक	**7,74,45,41**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**53,50**
27 नवम्बर 2024	53,50			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

6885 उद्योग और खनिज को अन्य कर्ज

दत्तमत :

मूल	**4,51,10,00**	**11,58,24,20**	**6,69,60,25**	**(-)4,88,63,95**
अनुपूरक	**7,07,14,20**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,23,00,00**
11 मार्च 2025	2,23,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹37,040.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹39,846.92 लाख), नवम्बर 2024 (₹32,767.12 लाख) तथा मार्च 2025 (₹4,831.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹77,445.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹37,040.49 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6.18 लाख से कम है। अतः यह ₹37,046.67 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹53.50 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹37,046.67 लाख) से ₹36,993.17 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-102-0001 प्रदर्शन केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,657.78	3,726.48	3,087.44	(-)639.04	प्रावधान में ₹87.53 लाख की हुई कमी, पुर्नविनियोग द्वारा ₹77.53 लाख की कमी तथा ₹10.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹639.04 लाख का अंतिम बचत, ₹0.46 लाख से अधिक है। ₹638.58 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	156.23				
	पुनर्वि०	(-)87.53				
2851-00-103-0001 हथकरघा के विकास की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	211.15	235.40	158.05	(-)77.35	₹4.00 लाख के प्रत्यर्पण के कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2024)।
	अनु०	28.25				
	पुनर्वि०	(-)4.00				
2851-00-103-0113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	610.49	550.00	(-)60.49	प्रावधान में ₹150.00 लाख की हुई वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	60.49				
	पुनर्वि०	150.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-104-0001 हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	145.40	142.40	105.38	(-)37.02	₹3.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹37.02 लाख का अंतिम बचत, ₹3.27 लाख से कम है। ₹40.29 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3.00				
2851-00-105-0101 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	5,343.65	1,500.00	(-)3,843.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,343.65				
2851-00-107-0001 रेशम का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	751.45	768.95	467.80	(-)301.15	प्रावधान में ₹2.00 लाख की हुई कमी, ₹10.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 12.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मरम्मत एवं रख-रखाव में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹301.15 लाख का अंतिम बचत, ₹4.92 लाख से कम है। ₹306.07 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	19.50				
	पुनर्वि०	(-)2.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-108-0101 विद्युत करघा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	795.00	1,480.00	795.00	(-)685.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	685.00				
2851-00-789-0110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,902.00	11,902.00	427.00	(-)11,475.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2851-00-796-0117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	981.00	981.00	56.00	(-)925.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2852-80-001-0002 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,747.89	3,751.89	3,318.86	(-)433.03	प्रावधान में ₹66.00 लाख की हुई कमी, ₹17.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹67.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 16.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विधि प्रभार तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹433.03 लाख का अंतिम बचत, ₹0.14 लाख से कम है। ₹433.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	70.00				
	पुनर्वि०	(-)66.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-80-001-0006 निवेश आयुक्त का कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	309.20	376.73	168.55	(-)208.18	प्रावधान में ₹67.53 लाख की हुई वृद्धि वेतन, जीवनयापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, कार्यालय व्यय, वाहन के लिए ईंधन तथा रखरखाव, टेलीफोन शुल्क, विद्युत प्रभार, किराया, टोल और टैक्स, वाणिज्य, कला, और तकनीकी सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	67.53				
2852-80-003-0001 शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	181.79	176.54	100.64	(-)75.90	₹5.25 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5.25				
2852-80-102-0004 औद्योगिक समूहों की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	35.69	32.44	11.47	(-)20.97	₹3.25 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3.25				
2852-80-102-0142 प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	1,019.95	286.90	(-)733.05	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹150.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	569.95				
	पुनर्वि०	(-)150.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-80-102-0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	49,753.00	77,203.00	77,202.97	(-)0.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	27,500.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2852-80-102-0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	150.00	89.34	(-)60.66	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2852-80-102-0201 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,829.00	16,970.00	8,607.00	(-)8,363.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹400.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7,541.00				
	पुनर्वि०	(-)400.00				
2852-80-102-0202 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,100.02	1,500.02	334.98	(-)1,165.04	प्रावधान में ₹400.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, सम्मेलन, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	400.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-80-102-0301 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,284.00	11,540.00	5,760.66	(-)5,779.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,256.00				
2852-80-789-0201 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,895.00	1,895.00	1,095.00	(-)800.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2852-80-789-0301 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	440.00	1,264.00	709.06	(-)554.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	824.00				
2852-80-796-0201 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	118.00	118.00	98.00	(-)20.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2852-80-796-0301 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	28.00	79.00	63.62	(-)15.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	51.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0001 उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	952.67	1,515.38	948.95	(-)566.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	562.71				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹48,863.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹5,600.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 36,613.63 लाख) तथा मार्च 2025 (₹28,500.57 लाख) में प्राप्त किया गया ₹70,714.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹22,300.00 लाख), अंतिम बचत (₹48,863.95 लाख) से ₹26,563.95 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-02-103-0102 कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग वुमन हॉस्टल (राज्य स्कीम)	अनु०	22,300.00	22,300.00	14,718.00	(-)7,582.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4851-00-101-0101 इण्डस्ट्रीयल पार्क का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	₹22,300.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	22,300.00				
	पुनर्वि०	(-)22,300.00				
4851-00-190-0102 भेनचर कैपिटल में निवेश (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	3,875.00	500.00	(-)3,375.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,375.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4885-02-050-0101 औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	20,600.00	5,000.00	(-)15,600.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15,600.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2220 सूचना तथा प्रचार

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,54,23,97**	**3,24,66,47**	**2,69,52,84**	**(-)55,13,63**
अनुपूरक	**70,42,50**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,78,15**
4 दिसम्बर 2024	21,15			
12 मार्च 2025	2,57,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,513.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 में प्राप्त किया गया ₹7,042.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹5,513.63 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹85.08 लाख से कम है। अतः यह ₹5,598.71 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹278.15 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹5,598.71 लाख) से ₹5,320.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या -24- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2220-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	872.94	925.09	753.88	(-)171.21	प्रावधान में ₹22.25 लाख की वृद्धि जीवन निर्वाह भत्ता, वेतन, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹171.21 लाख का अंतिम बचत, ₹23.05 लाख से कम है। ₹194.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	29.90				
	पुनर्वि०	22.25				
2220-60-101-0002 सरकारी विज्ञापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,000.00	10,786.03	10,021.28	(-)764.75	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹213.97 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)213.97				
2220-60-103-0002 बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7.00	7.00	0.00	(-)7.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या -24- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2220-60-106-0002 जिला ईकाईयाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,312.59	3,449.31	2,579.11	(-)870.20	प्रावधान में ₹136.72 लाख की हुई वृद्धि, ₹158.97 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹22.25 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रशिक्षण व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹870.20 लाख का अंतिम बचत, ₹ 46.82 लाख से कम है। ₹ 917.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	136.72				
2220-60-106-0101 क्षेत्रीय प्रचार-योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,113.00	14,834.85	11,875.07	(-)2,959.78	प्रावधान में ₹278.15 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹2,959.78 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 7.11 लाख से कम है। ₹ 278.15 लाख का प्रत्यर्पण तथा ₹2,966.89 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7,000.00				
	पुनर्वि०	(-)278.15				

अनुदान संख्या -24- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2220-60-789-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,616.00	1,616.00	1,302.75	(-)313.25	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹313.25 लाख का अंतिम अंतिम बचत, ₹ 5. 97 लाख से कम है। ₹319.22 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2220-60-796-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	101.00	101.00	72.60	(-)28.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-110-0103 बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	163.43	(-)36.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0115 पत्रकार पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	70.00	33.12	(-)36.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 25- सूचना प्रावैधिकी विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,28,43,63**	**2,26,92,81**	**1,54,47,23**	**(-)72,45,58**
अनुपूरक	**98,49,18**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**38,00**
26 नवम्बर 2024	38,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,50,00,00**	**1,90,00,01**	**1,17,27,18**	**(-)72,72,83**
अनुपूरक	**40,00,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**33,74,01**
24 मार्च 2024	1			
26 नवम्बर 2024	33,74,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,245.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹6,437.18 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹3,412.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,849.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹38.00 लाख), अंतिम बचत (₹7,245.58 लाख) से ₹7,207.58 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 25- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-001-0101 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,800.00	1,491.53	(-)308.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	800.00				
2852-07-202-0014 ई-शासन परियोजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,000.00	2,958.00	1,850.49	(-)1,107.51	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹42.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)42.00				
2852-07-202-0015 आउट सोर्स सेवाओं के विरूद्ध भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2852-07-202-0106 ज्ञान सिटी परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,450.00	2,690.00	1,766.44	(-)923.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	240.00				
2852-07-202-0107 सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	120.00	120.00	7.00	(-)113.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2852-07-202-0108 राज्य डाटा सेन्टर (राज्य स्कीम)	मूल	1,701.00	2,825.00	1,192.03	(-)1,632.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,124.00				
2852-07-202-0109 ई-शासन राज्य योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,003.00	2,503.00	1,386.11	(-)1,116.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				

अनुदान संख्या- 25- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0027 सूचना प्रावैधिकी विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,143.62	6,622.80	6,319.31	(-)303.49	प्रावधान में ₹4.00 लाख की वृद्धि भाड़े की गाड़ी तथा विद्युत प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,475.18				
	पुनर्वि०	4.00				
3451-00-090-0118 सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क (राज्य स्कीम)	मूल	856.00	2,566.00	866.53	(-)1,699.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,710.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹7,272.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹4,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,374.01 लाख), अंतिम बचत (₹7,272.83 लाख) से ₹3,898.82 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4859-02-004-0101 बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) (राज्य स्कीम)	मूल	9,000.00	10,526.00	9,022.00	(-)1,504.00	₹2,474.00 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,000.00				
	पुनर्वि०	(-)2,474.00				
4859-02-004-0102 बिहार वन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹900.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)900.00				

अनुदान संख्या- 25- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4859-02-051-0101	मूल	5,000.00	5,000.00	2,705.18	(-)2,294.82	₹0.01 लाख प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
स्टेट डेटा सेंटर 2.0	अनु०	0.01				
(राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)0.01				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 26- श्रम संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**9,92,40,83**	**11,44,02,01**	**9,68,29,37**	**(-)1,75,72,64**
अनुपूरक	**1,51,61,18**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,23,14**
12 मार्च 2025	64,57			
30 मार्च 2025	3,17			
31 मार्च 2025	55,40			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**2,34,01,00**	**2,43,00,00**	**2,43,00,00**	**0**
अनुपूरक	**8,99,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹17,572.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹5,093.82 लाख), नवम्बर 2024 (₹9,274.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹793.36 लाख) में प्राप्त किया गया ₹15,161.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹17,572.64 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹86.98 लाख से कम है। अत: यह ₹17,659.62 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹123.14 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹17,659.62 लाख) से ₹17,536.48 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-001-0001 श्रम आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,241.36	1,243.36	934.99	(-)308.37	प्रावधान में ₹2.00 लाख की वृद्धि परिवहन भत्ता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹308.37 लाख का अंतिम बचत, ₹16.31 लाख से कम है। ₹324.68 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	2.00				
2230-01-001-0106 दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	730.00	730.00	159.72	(-)570.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-004-0002 श्रम सांख्यिकी का आकलन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	61.61	61.61	12.60	(-)49.01	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹49.01 लाख का अंतिम बचत, ₹3.70 लाख से कम है। ₹52.71 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-101-0006 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल अनु०	2,046.45 548.10	2,594.55	1,898.62	(-)695.93	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹695.93 लाख का अंतिम बचत, ₹6.58 लाख से कम है। ₹702.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-101-0007 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल पुनर्वि०	6,161.90 4.50	6,166.40	4,834.60	(-)1,331.80	प्रावधान में ₹4.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा भत्ता एवं विधि प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,331.80 लाख का अंतिम बचत, ₹6.36 लाख से कम है। ₹1,338.16 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-101-0106 बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन (राज्य स्कीम)	मूल	366.18	366.18	66.51	(-)299.67	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹299.67 लाख का अंतिम बचत, ₹0.21 लाख से कम है। ₹299.88 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-101-0108 श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	676.67	1,608.67	1,158.87	(-)449.80	प्रावधान में ₹932.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, एवं मशीनरी एवं उपकरणों के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹449.80 लाख का अंतिम बचत, ₹0.83 लाख से कम है। ₹450.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	932.00				
2230-01-101-0109 कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	38.09	(-)111.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-101-0110 श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	3,068.00	1,400.06	(-)1,667.94	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹932.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)932.00				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-102-0001 स्टीम बॉयलर के निरीक्षक (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	69.23	72.41	37.81	(-)34.60	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.90 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹34.60 लाख का अंतिम बचत, ₹0.07 लाख से कम है। ₹34.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.08				
	पुनर्वि०	(-)6.90				
2230-01-102-0002 कारखानों के निरीक्षक (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	662.25	956.95	811.41	(-)145.54	प्रावधान में ₹0.40 लाख की वृद्धि दूरभाष व्यय के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹145.54 लाख का अंतिम बचत, ₹5.47 लाख से कम है। ₹151.01 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	294.30				
	पुनर्वि०	0.40				
2230-01-103-0001 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	364.51	364.51	274.21	(-)90.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹90.30 लाख का अंतिम बचत, ₹1.61 लाख से कम है। ₹91.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-103-0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	144.01	144.01	61.71	(-)82.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹82.30 लाख का अंतिम बचत, ₹0.65 लाख से कम है। ₹82.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-112-0101 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2.50	2.50	1.80	(-)0.70	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹0.70 लाख का अंतिम बचत, ₹1.80 लाख से कम है। ₹2.50 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-112-0201 बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-112-0301 बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	93.07	93.07	0.00	(-)93.07	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-114-0001 प्रवासी मजदूरों का कल्याण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	38.55	38.55	9.25	(-)29.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-114-0102 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	503.00	503.00	431.90	(-)71.10	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹71.10 लाख का अंतिम बचत, ₹8.13 लाख से कम है। ₹79.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-789-0101 ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	16.54	(-)8.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-789-0102 बंधुआ मजदुर कल्याण कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2.50	2.50	0.00	(-)2.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-789-0103 अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	110.50	(-)89.50	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹89.50 लाख का अंतिम बचत, ₹1.00 लाख से कम है। ₹90.50 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-789-0104 बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	24.00	24.00	13.14	(-)10.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-796-0102 बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	12.00	12.00	0.15	(-)11.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-01-796-0103 बन्धुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-02-101-0004 रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,635.11	2,981.73	2,742.81	(-)238.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 238.92 लाख का अंतिम बचत, ₹ 15.21 लाख से कम है। ₹254.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	346.62				
2230-02-101-0110 नियोजना सेवा हेतु ई प्रोसेस (राज्य स्कीम)	मूल	132.00	119.00	117.48	(-)1.52	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹13.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)13.00				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-003-0005 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,061.44	1,155.03	936.03	(-)219.00	प्रावधान में ₹133.41 लाख की हुई कमी, ₹39.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹172.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं विधि प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹219.00 लाख का अंतिम बचत, ₹2.08 लाख से कम है। ₹221.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	227.00				
	पुनर्वि०	(-)133.41				
2230-03-003-0103 प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	7.07	(-)42.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-003-0105 पूर्व में स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	175.51	(-)24.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-003-0109 मशीनों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,650.00	8,650.00	1,940.09	(-)6,709.91	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,709.91 लाख का अंतिम बचत, ₹4.50 लाख से कम है। ₹6,714.41 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-003-0126 सूचना तंत्र का प्रबंधन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	750.00	742.96	(-)7.04	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)250.00				
2230-03-003-0234 स्किल स्ट्रैथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु एन्हान्समेन्ट (एसटीआरआईवीई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.91	0.91	0.00	(-)0.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-003-0235 नेशलन एप्रेन्टिसशीप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.91	0.91	0.00	(-)0.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-003-0236 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.91	0.91	0.00	(-)0.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-003-0237 कौशल विकास मिशन (मॉडल आईटीआई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.91	0.91	0.00	(-)0.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-003-0238 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.91	0.91	0.00	(-)0.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-003-0333 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.80	932.58	864.93	(-)67.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	931.78				
2230-03-101-0001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,118.75	9,988.46	8,096.78	(-)1,891.68	प्रावधान में ₹2.41 लाख की हुई वृद्धि, ₹125.41 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 123.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, विद्युत प्रभार, परीक्षा संबंधित व्यय तथा कार्यालय व्यय मद में भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,891.68 लाख का अंतिम बचत, ₹5.53 लाख से कम है। ₹1,897.21 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	867.30				
	पुनर्वि०	2.41				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-101-0101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,803.46	3,082.11	2,762.97	(-)319.14	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹319.14 लाख का अंतिम बचत, ₹0.34 लाख से कम है। ₹319.48 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	278.65				
2230-03-101-0102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	12.21	(-)37.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2230-03-101-0103 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	10,424.98	11,627.60	10,439.39	(-)1,188.21	प्रावधान में ₹250.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	952.62				
	पुनर्वि०	250.00				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-102-0001 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	460.02	618.62	457.82	(-)160.80	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹131.00 लाख की वृद्धि वेतन, जीवनयापन भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, किराये का वाहन के भुगतान एवं संविदा सेवायें में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹160.80 लाख का अंतिम बचत, ₹4.35 लाख से कम है। ₹165.15 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	27.60				
	पुनर्वि०	131.00				
2235-01-202-0107 विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुर्नवास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2251-00-090-0008 श्रम संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	929.47	972.07	971.88	(-)0.19	₹123.13 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	165.73				
	पुनर्वि०	(-)123.13				

अनुदान संख्या- 26- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-091-0001 सचिवालय भोजशाला स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	822.30	967.90	900.50	(-)67.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	145.60				
2251-00-091-0002 विधानमंडल भोजशाला स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	272.52	272.52	230.90	(-)41.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹23,401.00 लाख का मूल प्रावधान तथा जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹899.00 लाख का अनुपूरक अनुदान का वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग किया गया।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2230	64.18	26.07	38.11
2251	0.38	0.20	0.18
कुल	**64.56**	**26.27**	**38.29**

अनुदान संख्या- 27- विधि विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	13,15,13,23	18,40,18,44	16,47,47,70	(-)1,92,70,74
अनुपूरक	5,25,05,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹19,270.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹50,386.38 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,468.83 लाख) तथा मार्च 2025 (₹650.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹52,505.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹19,270.74 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹308.43 लाख से कम है। अत: यह ₹19,579.17 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹19,579.17 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-003-0001 बिहार न्यायिक अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,508.84	2,709.84	2,206.97	(-)502.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,201.00				
2014-00-052-0101 न्यायिक भवनों में सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन एवं रख रखाव (राज्य स्कीम)	अनु०	1,300.00	1,300.00	352.01	(-)947.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2014-00-103-0201 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2014-00-103-0301 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-105-0001 सिविल एवं सत्र न्यायालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	99,710.92	1,50,367.24	1,38,745.16	(-)11,622.08	प्रावधान में ₹ 2,194.01 लाख की हुई वृद्धि, ₹4,495.60 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,301.59 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विशेष वेतन, अन्य भत्ता, आतिथ्य व्यय, दूरभाष, संविदा सेवाएं, अनुरक्षण एवं मरम्मत, मोटरगाड़ी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11,622.08 लाख का अंतिम बचत, ₹ 260.03 लाख से कम है। ₹11,882.11 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	48,462.31				
	पुनर्वि०	2,194.01				
2014-00-105-0010 न्यायालय के लिए आईटी सेवायें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,465.30	2,598.82	1,982.67	(-)616.15	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹265.12 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹616.15 लाख का अंतिम बचत, ₹2.11 लाख से कम है। ₹618.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	398.64				
	पुनर्वि०	(-)265.12				

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-110-0001 महाप्रशासन और सरकारी न्यासी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5.90	16.98	10.20	(-)6.78	प्रावधान में ₹11.08 लाख की हुई वृद्धि कार्यालय व्यय तथा संविदा सेवाएं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	11.08				
2014-00-114-0001 कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,495.52	1,590.76	1,364.03	(-)226.73	प्रावधान में ₹46.99 लाख की हुई वृद्धि, ₹83.17 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹36.18 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन, विशेष वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, परिवहन भत्ता तथा मोटरगाड़ी के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹226.73 लाख का अंतिम बचत, ₹1.22 लाख से कम है। ₹227.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	48.25				
	पुनर्वि०	46.99				

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-114-0002 निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,549.27	4,199.27	2,088.34	(-)2,110.93	प्रावधान में ₹350.00 लाख की हुई कमी ₹ 165.72 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹515.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विशेष वेतन, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, दूरभाष व्यय, विद्युत प्रभार, तथा आतिथ्य व्यय के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,110.93 लाख का अंतिम बचत, ₹11.50 लाख से कम है। ₹ 2,122.43 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)350.00				
2014-00-114-0003 सरकारी मुकदमें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,002.60	12,102.60	11,968.22	(-)134.38	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,900.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹134.38 लाख का अंतिम बचत, ₹ 26.17 लाख से कम है। ₹ 160.55 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,900.00				

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-114-0006 विधि आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	71.37	140.42	112.87	(-)27.55	प्रावधान में ₹ 63.04 लाख की वृद्धि मोटरगाड़ी, विशेष वेतन, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, विद्युत प्रभार तथा आतिथ्य व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 27.55 लाख का अंतिम बचत, ₹1.85 लाख से कम है। ₹29.40 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6.01				
	पुनर्वि०	63.04				
2014-00-117-0001 परिवार न्यायालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,726.41	3,733.41	2,909.97	(-)823.44	प्रावधान में ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, आतिथ्य व्यय तथा दूरभाष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 823.44 लाख का अंतिम बचत, ₹1.75 लाख से कम है। ₹825.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	807.00				
	पुनर्वि०	1,200.00				

अनुदान संख्या- 27- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0018 विधि विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,310.98	1,550.48	1,369.06	(-)181.42	प्रावधान में ₹22.50 लाख की हुई कमी, ₹ 61.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹83.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, यात्रा व्यय तथा मोटरगाड़ी में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	262.00				
	पुनर्वि०	(-)22.50				
2235-60-200-0013 बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	2,500.00	1,527.28	(-)972.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2250-00-102-0001 बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 का प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	66.12	108.62	107.13	(-)1.49	प्रावधान में ₹22.50 लाख की वृद्धि मकान किराया भत्ता तथा कार्यालय व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	20.00				
	पुनर्वि०	22.50				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

विनियोग संख्या- 28- उच्च न्यायालय, बिहार
(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*2,49,13,70*	*3,24,34,94*	*3,01,55,28*	*(-)22,79,66*
अनुपूरक	*75,21,24*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹2,279.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹7,521.24 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹2,279.66 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹503.29 लाख से कम है। अतः यह ₹2,782.95 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹2,782.95 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

विनियोग संख्या- 28- क्रमांत

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-102-0001 उच्च न्यायालय, पटना (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*24,531.66*	*32,044.74*	*30,118.35*	*(-)1,926.39*	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,926.39 लाख का अंतिम बचत, ₹503.29 लाख से कम है। ₹2,429.68 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	*7,513.08*				
2014-00-102-0008 न्यायालय के लिए आई0टी0 सेवायें - प्रभृत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*382.04*	*390.20*	*36.93*	*(-)353.27*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	*8.16*				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-2025 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2014	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

अनुदान संख्या- 29- खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**63,11,43**	**1,26,16,43**	**45,35,90**	**(-)80,80,53**
अनुपूरक	**63,05,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹8,080.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹6,155.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹150.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,305.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹8,080.53 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1.34 लाख से कम है। अतः यह ₹8,081.87 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹8,081.87 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 29- क्रमांत

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2853-02-001-0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,964.16	12,239.16	4,477.87	(-)7,761.29	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,761.29 लाख का अंतिम बचत, ₹1.34 लाख से कम है। ₹ 7,762.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,275.00				
2853-02-001-0102 अवैध खनन, परिवहन (राज्य स्कीम)	अनु०	30.00	30.00	10.00	(-)20.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2853-02-190-0002 बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	288.13	288.13	0.00	(-)288.13	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0004 खनन तथा भूतत्व विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	59.14	59.14	48.03	(-)11.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2053 जिला प्रशासन

2202 सामान्य शिक्षा

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,05,40,89**	**3,49,98,32**	**2,78,54,66**	**(-)71,43,66**
अनुपूरक	**44,57,43**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**22,50,00**
26 नवम्बर 2024	22,50,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

दत्तमत :

मूल	**3,43,25,00**	**4,28,25,00**	**2,85,34,16**	**(-)1,42,90,84**
अनुपूरक	**85,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,37,25,23**
19 फरवरी 2025	**1,37,25,23**			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,143.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹495.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹3,801.60 लाख) तथा मार्च 2025 (₹160.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,457.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹7,143.66 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹439.54 लाख से कम है। अत: यह ₹7,583.20 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,250.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹7,583.20 लाख) से ₹5,333.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-094-0010 अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,922.43	2,833.33	2,269.85	(-)563.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹203.75 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹563.48 लाख का अंतिम बचत, ₹0.69 लाख से कम है। ₹564.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	114.65				
	पुनर्वि०	(-)203.75				
2202-02-107-0109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,375.00	16,375.00	16,129.31	(-)245.69	प्रावधान में ₹750.00 लाख की वृद्धि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹245.69 लाख का अंतिम बचत, ₹468.42 लाख से कम है। ₹ 714.11 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,250.00				
	पुनर्वि०	750.00				

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-107-0210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	7.65	(-)92.35	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹92.35 लाख का अंतिम बचत, ₹0.46 लाख से कम है। ₹92.81 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-03-107-0106 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	437.58	(-)62.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹62.42 लाख का अंतिम बचत, ₹8.80 लाख से कम है। ₹71.22 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2202-80-004-0010 उर्दू अकाद्मी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	308.00	308.00	220.50	(-)87.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-04-277-0001 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	205.94	854.44	346.72	(-)507.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	648.50				
2225-04-277-0101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवंटन नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2225-04-277-0103 बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	597.62	(-)302.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-04-277-0105 अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	260.00	(-)40.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2250-00-101-0101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	110.00	(-)90.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2250-00-800-0002 बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	386.00	386.00	300.00	(-)86.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2250-00-800-0003 बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	262.00	262.00	216.00	(-)46.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2250-00-800-0108 वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड की रिवौलविंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में (राज्य स्कीम)	मूल	5,500.00	5,500.00	3,313.74	(-)2,186.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-090-0011 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,120.54	1,623.94	1,461.95	(-)161.99	प्रावधान में ₹203.75 लाख की हुई वृद्धि, ₹233.75 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यालय व्यय, वेतन, आवास किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता रखरखाव एवं मरम्मत तथा अन्य भत्तों में भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹161.99 लाख का अंतिम बचत ₹ 0.02 लाख से कम है। ₹ 162.01 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	299.65				
	पुनर्वि०	203.75				
2251-00-090-0012 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	553.02	553.02	191.84	(-)361.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹361.18 लाख का अंतिम बचत, ₹1.39 लाख से कम है। ₹362.57 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-090-0026 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार वक्फ न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	165.96	210.59	156.10	(-)54.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	44.63				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹14,290.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹3,000.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 5,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,725.23 लाख), अंतिम बचत (₹14,290.84 लाख) से ₹565.61 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-04-277-0101 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	296.28	(-)203.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4250-00-051-0207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,000.00	265.03	0.00	(-)265.03	₹11,734.97 लाख का प्रत्यर्पण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से योजना स्वीकृति न मिलने के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)11,734.97				

अनुदान संख्या -30- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4250-00-051-0307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,125.00	134.74	46.39	(-)88.35	₹1,990.26 लाख का प्रत्यर्पण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से योजना स्वीकृति न मिलने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,990.26				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 31- संसदीय कार्य विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 **संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल**

2052 **सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**9,87,11**	**10,55,61**	**3,00,82**	**(-)7,54,79**
अनुपूरक	**68,50**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**3,00**
11 मार्च 2025	3,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹754.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹66.50 लाख) तथा मार्च 2025 (₹2.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹68.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3.00 लाख), अंतिम बचत (₹754.79 लाख) से ₹751.79 लाख कम था।

अनुदान संख्या -31- क्रमशः

(iii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0201 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	383.00	383.00	0.00	(-)383.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2011-02-101-0301 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	89.00	89.00	0.92	(-)88.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2011-02-102-0201 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	197.00	197.00	0.00	(-)197.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2011-02-102-0301 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	46.00	46.00	0.00	(-)46.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0022 संसदीय कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	272.11	337.61	299.90	(-)37.71	₹3.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्तीय वर्ष में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	68.50				
	पुनर्वि०	(-)3.00				

अनुदान संख्या -31- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य

अनुदान संख्या- 32- विधान मंडल

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,84,30,12**	**3,19,87,62**	**2,75,64,44**	**(-)44,23,18**
अनुपूरक	**35,57,50**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,73,00**
26 मार्च 2025	1,73,00			

प्रभारित :

मूल	***1,81,20***	***1,96,20***	***2,39,49***	***(+)43,29***
अनुपूरक	***15,00***			***(₹43,29,084)***
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***25,00***
26 मार्च 2025	*25,00*			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹4,423.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,920.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,319.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹318.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,557.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹4,423.18 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹109.07 लाख से कम है। अत: यह ₹4,532.25 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹173.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹4,532.25 लाख) से ₹4,359.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0004 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,055.24	1,055.24	520.37	(-)534.87	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹534.87 लाख का अंतिम बचत, ₹33.62 लाख से कम है। ₹568.49 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2011-02-101-0005 सदस्यगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,365.60	9,838.26	7,725.78	(-)2,112.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹527.34 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,112.48 लाख का अंतिम बचत, ₹0.24 लाख से कम है। ₹2,112.72 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)527.34				
2011-02-101-0006 विरोधी दल का नेता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	133.06	136.06	98.69	(-)37.37	प्रावधान में ₹3.00 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 37.37 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.64 लाख से कम है। ₹ 38.01 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	3.00				

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-102-0005 विरोधी दल का नेता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	125.59	37.59	32.57	(-)5.02	₹88.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5.02 लाख का अंतिम बचत, ₹3.34 लाख से कम है। ₹8.36 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)88.00				
2011-02-102-0006 सदस्यगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,464.81	2,795.31	2,531.95	(-)263.36	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹13.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹263.36 लाख का अंतिम बचत, ₹62.71 लाख से कम है। ₹326.07 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	343.50				
	पुनर्वि०	(-)13.00				
2011-02-102-0007 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	512.83	427.83	339.50	(-)88.33	₹85.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹88.33 लाख का अंतिम बचत, ₹3.50 लाख से कम है। ₹91.83 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)85.00				

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-103-0001 विधान सभा सचिवालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,239.15	9,666.49	8,536.95	(-)1,129.54	प्रावधान में ₹524.34 लाख की वृद्धि नया कार खरीदने एवं विधि प्रभार हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,129.54 लाख का अंतिम बचत, ₹0.65 लाख से कम है। ₹1,130.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,903.00				
	पुनर्वि०	524.34				
2011-02-103-0002 विधान परिषद सचिवालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,515.84	7,834.84	7,754.13	(-)80.71	प्रावधान में ₹13.00 लाख की वृद्धि मोटरगाड़ी के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 80.71 लाख का अंतिम बचत, ₹2.86 लाख से कम है। ₹83.57 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,306.00				
	पुनर्वि०	13.00				

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-102-0002 सभापति द्वारा वैवेकिक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5.00	10.00	11.50	(+)1.50	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹1.50 लाख से कम है।
	अनु०	5.00				

राजस्व (प्रभारित)

(v) ₹43.29 लाख की अंतिम अधिक व्यय, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹77.41 लाख से अधिक है। अत: यह ₹34.12 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹34.12 लाख की वास्तविक अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹7.50 लाख) तथा मार्च 2025 (₹7.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹25.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹34.12 लाख) से ₹9.12 लाख कम था।

(vii) अधिक व्यय (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-102-0001 सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*87.50*	*62.50*	*134.56*	*(+)72.06*	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹72.06 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 74.00 लाख से अधिक है। ₹ 1.94 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	*(-)25.00*				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2011	14.55	14.55	0
कुल	14.55	14.55	0

अनुदान संख्या- 33- सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**10,25,11,46**	**11,16,03,90**	**8,31,18,74**	**(-)2,84,85,16**
अनुपूरक	**90,92,44**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

प्रभारित :

मूल	***7,70,07***	***7,70,07***	***6,08,34***	***(-)1,61,73***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹28,485.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,198.10 लाख), नवम्बर 2024 (₹3,315.84 लाख) तथा मार्च 2025 (₹4,578.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,092.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹28,485.16 लाख की अंतिम बचत, ₹167.86 लाख से कम है। अत: यह ₹28,653.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹28,653.02 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2051-00-103-0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,327.49	9,492.75	1,487.95	(-)8,004.80	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,004.80 लाख का अंतिम बचत, ₹3.99 लाख से कम है। ₹8,008.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	165.26				
2051-00-103-0004 बिहार तकनीकी सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,397.45	2,079.50	1,401.19	(-)678.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	682.05				
2052-00-090-0004 सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,908.77	4,428.27	4,015.57	(-)412.70	प्रावधान में ₹108.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹246.56 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹138.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, पुरस्कार, चिकित्सा उपचार, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय तथा कार्यालय वैन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹412.70 लाख का अंतिम बचत, ₹4.99 लाख से कम है। ₹417.69 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	411.00				
	पुनर्वि०	108.50				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0041 अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	328.98	328.98	134.36	(-)194.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0045 राज्य महादलित आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	299.25	299.25	80.00	(-)219.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2053-00-093-0001 जिला प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	34,291.00	34,305.50	27,144.90	(-)7,160.60	प्रावधान में ₹140.50 लाख की हुई कमी, ₹36.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹176.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि यात्रा व्यय तथा कार्यालय व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 7,160.60 लाख का अंतिम बचत, ₹ 100.05 लाख से कम है। ₹ 7,260.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	155.00				
	पुनर्वि०	(-)140.50				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-094-0001 अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,377.00	18,311.00	12,869.16	(-)5,441.84	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹66.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 5,441.84 लाख का अंतिम बचत, ₹ 46.71 लाख से कम है। ₹ 5,488.55 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)66.00				
2053-00-101-0001 मुख्य कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,020.30	3,940.30	3,300.31	(-)639.99	प्रावधान में ₹80.00 लाख की हुई कमी, ₹49.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹129.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, संविदा सेवाएँ, कार्यालय वैन, मशीन एवं उपस्कर हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹639.99 लाख का अंतिम बचत, ₹3.79 लाख से कम है। ₹643.78 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)80.00				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,802.59	3,691.62	3,168.59	(-)523.03	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹523.03 लाख का अंतिम बचत, ₹0.85 लाख से कम है। ₹523.88 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,889.03				
2070-00-003-0006 बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,700.00	12,200.00	7,699.92	(-)4,500.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,500.00				
2070-00-115-0003 सर्किट भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,107.00	2,282.00	1,780.54	(-)501.46	प्रावधान में ₹175.00 लाख की वृद्धि संविदा सेवाएँ में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹501.46 लाख का अंतिम बचत, ₹12.29 लाख से कम है। ₹513.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	175.00				

अनुदान संख्या- 33- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-092-0002 राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	902.00	902.01	716.63	(-)185.38	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹185.38 लाख का अंतिम बचत, ₹4.81 लाख से अधिक है। ₹180.57 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				

राजस्व (प्रभारित)

(iv) ₹161.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹770.07 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। हुआ। ₹ 161.73 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1.41 लाख से कम है। अत: यह ₹163.14 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) वास्तविक अंतिम बचत (₹163.14 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-104-0012 लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*770.07*	*770.07*	*608.34*	*(-)161.73*	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹161.73 लाख का अंतिम बचत, ₹1.41 लाख से कम है। ₹163.14 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

विनियोग संख्या- 34- बिहार लोक सेवा आयोग

(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	***98,91,82***	***1,61,24,82***	***1,56,16,94***	***(-)5,07,88***
अनुपूरक	***62,33,00***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹507.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹318.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹5,915.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,233.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2051-00-102-0001 राज्य लोक सेवा आयोग (प्रभारित) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*9,891.82*	*16,124.82*	*15,616.94*	*(-)507.88*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	*6,233.00*				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-2025 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2051	1,074.15	948.98	125.17
कुल	**1,074.15**	**948.98**	**125.17**

अनुदान संख्या- 35- योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2059 लोक निर्माण कार्य

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

3455 मौसम विज्ञान

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**6,01,00,22**	**7,93,66,54**	**4,43,47,17**	**(-)3,50,19,37**
अनुपूरक	**1,92,66,32**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**21,71,56**
14 अगस्त 2024	2			
28 नवम्बर 2024	10,50,00			
21 फरवरी 2025	11,21,54			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**16,15,48,13**	**16,15,48,13**	**13,86,45,87**	**(-)2,29,02,26**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹35,019.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹8,671.70 लाख), नवम्बर 2024 (₹10,013.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹581.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹19,266.32 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹35,019.37 लाख की अंतिम बचत, ₹1,111.29 लाख से कम है। अतः यह ₹36,130.66 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,171.56 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹36,130.66 लाख) से ₹33,959.10 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0010 योजना एवं विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,811.98	3,707.04	2,250.80	(-)1,456.24	प्रावधान में ₹13.90 लाख की हुई वृद्धि, ₹39.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,881.16				
	पुनर्वि०	13.90				
2052-00-090-0012 विकास आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	143.34	162.34	125.49	(-)36.85	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई2025)।
	पुनर्वि०	19.00				
2052-00-090-0103 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	2,295.00	99.34	(-)2,195.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,095.00				
2053-00-094-0007 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,563.72	16,838.36	12,873.02	(-)3,965.34	प्रावधान में ₹35.90 लाख की हुई कमी, ₹38.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹73.90 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,965.34 लाख का अंतिम बचत, ₹73.23 लाख से कम है। ₹4,038.57 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,310.54				
	पुनर्वि०	(-)35.90				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-094-0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,900.00	1,248.83	(-)651.17	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹651.17 लाख का अंतिम बचत, ₹2.10 लाख से कम है। ₹ 653.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	900.00				
2053-00-800-0104 राष्ट्रीय सम विकास योजना पिछड़ा जिला के लिए पहल (राज्य स्कीम)	अनु०	6.56	6.56	0.00	(-)6.56	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2059-01-053-0024 मेला, हाट, बाजार, कचहरी भवन का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-001-0105 बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	40.00	(-)10.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-01-202-0505 आपात कालीन कोशी बाढ़ पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	3,872.00	3,872.00	0.00	(-)3,872.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-01-789-0501 आपात कालीन कोशी बाढ़ पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	4,828.00	4,828.00	0.00	(-)4,828.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-200-0117 मुख्य मंत्री निश्चय स्वंय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल अनु०	16,710.00 2,450.00	19,160.00	12,460.08	(-)6,699.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,699.92 लाख का अंतिम बचत, ₹0.11 लाख से कम है। ₹ 6,700.03 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0120 बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण निधि योजना, 2015 (गृह विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	1,216.04	(-)1,283.96	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,283.96 लाख का अंतिम बचत, ₹915.03 लाख से कम है। ₹2,198.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-789-0106 मुख्य मंत्री निश्चय स्वंय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,040.00	3,040.00	2,064.00	(-)976.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-101-0001 बिहार राज्य योजना बोर्ड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल अनु० पुनर्वि०	622.58 19.46 3.00	645.04	551.23	(-)93.81	प्रावधान में ₹3.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹4.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 93.81 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.02 लाख से अधिक है। वृद्धि, कमी तथा ₹93.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-101-0101 बिहार राज्य योजना बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.35	(-)39.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3454-02-001-0001 योजना कार्यो का मूल्यांकन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	222.85	277.31	224.26	(-)53.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	54.46				
3454-02-111-0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,354.97	1,387.47	1,231.70	(-)155.77	प्रावधान में ₹17.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹26.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹9.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹155.77 लाख का अंतिम बचत, ₹28.86 लाख से कम है। वृद्धि, कमी तथा ₹184.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15.00				
	पुनर्वि०	17.50				
3454-02-204-0119 योजना कार्यो का मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	580.06	30.99	(-)549.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.06				
3454-02-205-0004 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी तंत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,978.66	1,961.16	1,630.46	(-)330.70	प्रावधान में ₹ 17.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2025)।
	पुनर्वि०	(-)17.50				
3454-02-205-0005 राज्य सांख्यिकी संगठन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,672.24	5,120.80	4,614.91	(-)505.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,448.56				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3454-02-205-0101 समग्र सांख्यिकी विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,881.34	6,531.34	3,182.27	(-)3,349.07	प्रावधान में ₹0.01 लाख की हुई कमी, ₹494.84 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹494.84 लाख की कमी तथा ₹0.01 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,349.07 लाख का अंतिम बचत, ₹0.21 लाख से कम है। वृद्धि, कमी तथा ₹3,349.28 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,650.01				
	पुनर्वि०	(-)0.01				
3454-02-205-0102 भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,428.54	257.00	133.52	(-)123.48	प्रावधान में ₹2,171.55 लाख की हुई कमी, ₹607.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 607.00 लाख की कमी तथा ₹ 2,171.55 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)2,171.55				
3454-02-205-0405 लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	100.00	100.00	0.03	(-)99.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3455-00-001-0001 बिहार मौसम सेवा केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,835.50	1,835.50	276.98	(-)1,558.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹22,902.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,61,548.13 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹22,902.26 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,967.50 लाख से कम है। अतः यह ₹27,869.76 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) वास्तविक अंतिम बचत (₹27,869.76 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-051-0107 मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,09,248.00	1,09,248.00	1,06,945.20	(-)2,302.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	252.12	252.12	118.61	(-)133.51	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹133.51 लाख का अंतिम बचत, ₹7.76 लाख से कम है। ₹ 141.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0210 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,430.00	5,430.00	0.00	(-)5,430.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-051-0310 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,172.00	2,172.00	0.00	(-)2,172.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4070-00-789-0302 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,448.00	1,448.00	0.00	(-)1,448.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-60-051-0104 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (गृह विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	12,500.00	9,753.72	(-)2,746.28	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,746.28 लाख का अंतिम बचत, ₹3,486.07 लाख से कम है। ₹6,232.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4515-00-102-0203 एलडब्ल्यूई जिलों के लिए एसीए (पुलिस बलों का आधुनिकीकरण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,146.00	10,146.00	709.52	(-)9,436.48	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,436.48 लाख का अंतिम बचत, ₹709.52 लाख से कम है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

(vii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-101-0105 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	471.25	(+)471.24	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹471.24 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹471.25 लाख से अधिक है। अत: यह ₹0.01 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2059 लोक निर्माण कार्य

2215 जलापूर्ति तथा सफाई

2216 आवास

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**9,45,67,19**	**12,05,67,20**	**11,47,08,93**	**(-)58,58,27**
अनुपूरक	**2,60,00,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**9,02,55,00**	**10,81,95,41**	**9,38,53,29**	**(-)1,43,42,12**
अनुपूरक	**1,79,40,41**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**67,00,01**
27 नवम्बर 2024	67,00,00			
27 फरवरी 2025	1			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,858.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹20,000.01 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹6,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹26,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,858.27 लाख की अंतिम बचत, ₹8,155.13 लाख से कम है। अत: यह ₹14,013.40 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹14,013.40 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0030 सरकारी कार्यालय का रखरखाव एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	220.88	(-)29.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹29.12 लाख का अंतिम बचत, ₹15.72 लाख से कम है। ₹44.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-01-101-0004 शहरी जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,889.02	5,889.03	4,102.79	(-)1,786.24	प्रावधान में ₹1,000.00 लाख की हुई कमी, ₹3.99 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,003.99 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुग्रह अनुदान के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,786.24 लाख का अंतिम बचत, ₹ 53.03 लाख से कम है। ₹ 1,839.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-101-0006 सरकारी भवनों में जलापूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,130.00	1,130.00	868.08	(-)261.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹261.92 लाख का अंतिम बचत, ₹6.38 लाख से कम है। ₹268.30 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-01-102-0001 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,316.53	26,446.53	22,787.11	(-)3,659.42	प्रावधान में ₹1,130.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,155.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 25.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विद्युत प्रभार, यात्रा भत्ता, अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा मोटरगाड़ी कार्यालय के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,659.42 लाख का अंतिम बचत, ₹ 77.88 लाख से कम है। ₹ 3,737.30 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10,000.00				
	पुनर्वि०	1,130.00				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-102-0002 हस्तचालित ट्यूबवेल्स, तालाब एवं कुएं उच्च प्रवाही नलकूप (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	16,139.96	16,983.26	15,717.00	(-)1,266.26	प्रावधान में ₹156.70 लाख की हुई कमी, ₹175.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹331.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुरक्षण एवं मरम्मत, यात्रा व्यय और विधि प्रभार मद के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,266.26 लाख का अंतिम बचत, ₹ 491.97 लाख से कम है। ₹ 1,758.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
	पुनर्वि०	(-)156.70				
2215-01-789-0104 मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	524.76	(-)975.24	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹975.24 लाख का अंतिम बचत, ₹373.39 लाख से कम है। ₹1,348.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-003-0102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधाकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यो हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	70.00	25.20	(-)44.80	प्रावधान में ₹60.00 लाख की हुई वृद्धि बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण-सह-शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	60.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-102-0106 मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	3,440.00	4,565.91	(+)1,125.91	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹60.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 1,125.91 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹1,256.60 लाख से अधिक है। अतः यह ₹130.69 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹130.69 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)60.00				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-102-0107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	49,500.00	64,500.00	65,556.88	(+)1,056.88	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,056.88 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹5,828.86 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 4,771.98 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹4,771.98 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15,000.00				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹14,342.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹9,940.41 लाख) मार्च 2025 (₹8,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹17,940.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹14,342.12 लाख की अंतिम बचत, ₹18,967.64 लाख से कम है। अतः यह ₹33,309.76 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,700.01 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹33,309.76 लाख) से ₹26,609.75 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0128 सरकारी कार्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,774.99	1,127.99	(-)647.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹225.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹0.01 लाख का प्रत्यर्पण श्मशान घाटों के आधुनिकीकरण तथा विकास मद में बीसीएफ के माध्यम से समरुप राशि के उपबंध हेतु प्रत्यर्पण का प्रस्ताव के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)225.01				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-105-0109 पेयजल संबंधी कार्य (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (राज्य स्कीम)	अनु०	40.40	40.40	0.00	(-)40.40	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-01-102-0101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	61.39	(-)438.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-01-102-0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	3,338.00	3,338.00	1,928.48	(-)1,409.52	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,409.52 लाख का अंतिम बचत, ₹ 562.67 लाख से कम है। ₹ 1,972.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-01-102-0124 अन्वेषण एवं सर्वेक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-01-102-0134 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण-सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	263.51	(-)236.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-01-102-0230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16,800.00	16,800.00	0.00	(-)16,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-01-789-0111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	1,662.00	1,662.00	294.22	(-)1,367.78	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,367.78 लाख का अंतिम बचत, ₹ 67.32 लाख से कम है। ₹ 1,435.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-01-789-0212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,200.00	3,200.00	0.00	(-)3,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4215-02-106-0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	250.00	191.14	(-)58.86	प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की वृद्धि शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹58.86 लाख का अंतिम बचत, ₹11.89 लाख से कम है। ₹70.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	200.00				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-02-800-0102 श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास (राज्य स्कीम)	अनु०	0.01	25.01	0.00	(-)25.01	प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि श्मशान घाट के आधुनिकीकरण तथा विकास हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	25.00				
4216-01-051-0103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	442.00	354.00	34.44	(-)319.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹88.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)88.00				

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-01-102-0125 जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	388.00	440.12	(+)52.12	प्रावधान में ₹ 88.00 लाख की वृद्धि जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्न्यन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹52.12 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 97.61 लाख से अधिक है। अतः यह ₹45.49 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹45.49 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	200.00				
	पुनर्वि०	88.00				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-01-102-0132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	33,200.00	28,200.00	40,287.19	(+)12,087.19	₹5,000.00 लाख का प्रत्यर्पण इस योजना में विमुक्ति के आलोक में बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹12,087.19 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹12,416.92 लाख से अधिक है। अतः यह ₹329.73 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹329.73 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
4215-01-102-0133 मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	8,048.00	8,048.00	10,249.31	(+)2,201.31	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 2,201.31 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹2,601.18 लाख से अधिक है। अतः यह ₹399.87 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹399.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 36- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-01-789-0114	मूल	11,800.00	10,100.00	12,420.38	(+)2,320.38	₹1,700.00 लाख का प्रत्यर्पण इस योजना में विमुक्ति के आलोक में बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 2,320.38 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹2,652.22 लाख से अधिक है। अतः यह ₹331.84 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹331.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)1,700.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 37- ग्रामीण कार्य विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2515 **अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

3054 **सड़क तथा सेतु**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**21,63,18,38**	**34,48,92,38**	**34,83,25,92**	**(+)34,33,54**
अनुपूरक	**12,85,74,00**			**(₹34,33,53,904)**
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 **अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**73,69,13,00**	**79,87,13,00**	**68,64,54,17**	**(-)11,22,58,83**
अनुपूरक	**6,18,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**50,00,00**
31 मार्च 2025	50,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,433.54 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹17,882.20 लाख से अधिक है। अतः यह ₹14,448.66 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹14,448.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹78,349.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹50,225.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,28,574.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹14,448.66 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 37- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-001-0009 अभियंत्रण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,338.90	29,345.90	26,135.72	(-)3,210.18	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,210.18 लाख का अंतिम बचत, ₹ 26.22 लाख से कम है। ₹3,236.40 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	18,007.00				
3451-00-090-0029 ग्रामीण कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	979.48	1,546.48	1,419.34	(-)127.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	567.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-04-105-0001 ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,00,000.00	3,10,000.00	3,16,713.85	(+)6,713.85	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,713.85 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹17,963.20 लाख से अधिक है। अतः यह ₹11,249.35 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 11,249.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,10,000.00				

अनुदान संख्या- 37- क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹1,12,258.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹35,300.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹ 500.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹26,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹61,800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,12,258.83 लाख की अंतिम बचत, ₹136.87 लाख से अधिक है। अतः यह ₹1,12,121.96 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5,000.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹1,12,121.96 लाख) से ₹1,07,121.96 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-103-0101 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	5,000.00	3,321.61	(-)1,678.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,678.39 लाख का अंतिम बचत, ₹10.74 लाख से कम है। ₹ 5,000.00 लाख का प्रत्यर्पण तथा ₹1,689.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
4515-00-103-0105 ग्राम विकास की परियोंजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	99,100.00	99,100.00	68,000.00	(-)31,100.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 37- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-103-0122 मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4515-00-103-0216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,47,900.00	1,50,900.00	1,04,278.00	(-)46,622.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,000.00				
4515-00-789-0104 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (राज्य स्कीम)	मूल	53,026.00	53,026.00	26,513.00	(-)26,513.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4515-00-796-0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,844.00	1,844.00	922.00	(-)922.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 38- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030 **स्टाम्प तथा पंजीकरण**

2039 **राज्य उत्पाद शुल्क**

2052 **सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	6,66,55,28	6,78,84,74	4,78,03,58	(-)2,00,81,16
अनुपूरक	12,29,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4059 **लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	8,00,00	8,00,00	2,23,84	(-)5,76,16
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹20,081.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹360.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹531. 16 लाख) तथा मार्च 2025 (₹338.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,229.46 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹20,081.16 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹140.17 लाख से कम है। अतः यह ₹ 20,221.33 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹20,221.33 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 38- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2030-02-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	79.81	79.81	29.67	(-)50.14	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹50.14 लाख का अंतिम बचत, ₹0.83 लाख से कम है। ₹50.97 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2030-03-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,263.94	1,757.85	948.33	(-)809.52	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹809.52 लाख का अंतिम बचत, ₹25.54 लाख से कम है। ₹835.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	493.91				
2030-03-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,065.01	12,120.01	7,823.58	(-)4,296.43	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,296.43 लाख का अंतिम बचत, ₹52.37 लाख से कम है। ₹4,348.80 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	55.00				

अनुदान संख्या- 38- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2039-00-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,668.25	2,106.64	1,842.62	(-)264.02	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹264.02 लाख का अंतिम बचत, ₹49.47 लाख से कम है। ₹313.49 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	438.39				
2039-00-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	48,141.50	48,229.50	33,747.05	(-)14,482.45	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹14,482.45 लाख का अंतिम बचत, ₹13.18 लाख से कम है। ₹14,495.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	88.00				
2039-00-001-0007 उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिए मुआवजा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2039-00-001-0008 मद्य निषेध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	50.79	(-)49.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-092-0007 स्टाम्प्स और उत्पाद आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	121.62	121.62	7.38	(-)114.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹576.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹800.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0131 उत्पाद विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	95.27	(-)304.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-01-051-0132 निबंधन विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	128.56	(-)271.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 39- आपदा प्रबंधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**94,42,85,21**	**95,48,31,49**	**40,85,20,04**	**(-)54,63,11,45**
अनुपूरक	**1,05,46,28**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**14,78,43,25**
19 दिसम्बर 2024	2,36,25			
23 दिसम्बर 2024	14,75,17,00			
30 दिसम्बर 2024	90,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,00,00,00**	**1,00,00,00**	**55,07,27**	**(-)44,92,73**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,46,311.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹7,377.66 लाख), नवम्बर 2024 (₹0.02 लाख) तथा मार्च 2025 (₹3,168.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹10,546.28 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹5,46,311.45 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,935.03 लाख से कम है। अत: यह ₹5,52,246.48 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,47,843.25 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹5,52,246.48 लाख) से ₹4,04,403.23 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-106-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	879.41	879.41	352.35	(-)527.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-106-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	120.34	120.34	66.83	(-)53.51	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹53.51 लाख का अंतिम बचत, ₹0.01 लाख से अधिक है। ₹53.50 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-106-0004 प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	208.69	208.69	73.27	(-)135.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹135.42 लाख का अंतिम बचत, ₹0.56 लाख से कम है। ₹135.98 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-01-200-0003 शीत लहर से बचाव हेतु उपाय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	161.76	(-)238.24	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹238.24 लाख का अंतिम बचत, ₹1.68 लाख से कम है। ₹239.92 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-01-200-0004 कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहाय्य अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	231.10	(-)768.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-01-200-0005 जनसंख्या निष्क्रमण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-200-0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	142.50	(-)57.50	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹57.50 लाख का अंतिम बचत, ₹25.50 लाख से कम है। ₹83.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-01-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल पुनर्वि०	57,801.14 (-)57,700.00	101.14	0.00	(-)101.14	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹57,200.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सूखा के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-01-101-0005 अन्य कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	1.00	0.00	(-)1.00	₹49.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सूखा के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)49.00				
2245-01-101-0006 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹9,900.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सूखा के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9,900.00				
2245-01-102-0001 ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	1.00	0.00	(-)1.00	₹99.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सूखा के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)99.00				
2245-01-105-0001 पशुओ के लिए दवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	1.00	0.00	(-)1.00	₹9.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सूखा के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-01-282-0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	2,510.00	645.36	(-)1,864.64	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,864.64 लाख का अंतिम बचत, ₹ 71.48 लाख से कम है। ₹ 1,936.12 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	510.00				
2245-02-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,00,000.00	1,00,000.00	71,213.61	(-)28,786.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,000.01	15,000.01	3,114.12	(-)11,885.89	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11,885.89 लाख का अंतिम बचत, ₹1.00 लाख से कम है। ₹11,886.89 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-101-0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,000.00	10,000.00	1,815.51	(-)8,184.49	₹5,000.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-101-0004 प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन मुफ्त वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	100.00	24.55	(-)75.45	₹9,900.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹75.45 लाख का अंतिम बचत, ₹22.50 लाख से कम है। ₹97.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9,900.00				
2245-02-101-0005 आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	5,000.00	1,437.47	(-)3,562.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,562.53 लाख का अंतिम बचत, ₹3.17 लाख से कम है। ₹ 3,565.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-101-0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	5,000.00	848.09	(-)4,151.91	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,151.91 लाख का अंतिम बचत, ₹0.05 लाख से अधिक है। ₹ 4,151.86 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-101-0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	5,000.00	1,073.96	(-)3,926.04	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,926.04 लाख का अंतिम बचत, ₹0.80 लाख से कम है। ₹3,926.84 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-101-0010 वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	100.00	1.00	(-)99.00	₹1,900.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹99.00 लाख का अंतिम बचत, ₹1.00 लाख से कम है। ₹100.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,900.00				
2245-02-101-0011 नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹500.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2245-02-101-0014 शीतलहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद दान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-101-0016 राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30,000.00	30,000.00	16,946.05	(-)13,053.95	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹13,053.95 लाख का अंतिम बचत, ₹ 60.00 लाख से कम है। ₹ 13,113.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-102-0001 पेयजल की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	150.00	0.00	(-)150.00	₹50.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2245-02-104-0001 चारे की पूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	124.05	(-)375.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-105-0001 पशुओं के लिए दवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	20.00	0.00	(-)20.00	₹30.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-107-0001 सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹25.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2245-02-108-0001 सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	25.00	4.80	(-)20.20	₹25.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2245-02-109-0001 क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मती एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	200.00	132.09	(-)67.91	₹300.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹67.91 लाख का अंतिम बचत, ₹19.95 लाख से कम है। ₹87.86 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-112-0002 जनसंख्या का निष्क्रमण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40,000.01	30,000.01	6,430.92	(-)23,569.09	₹10,000.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹23,569.09 लाख का अंतिम बचत, ₹ 27.26 लाख से कम है। ₹ 23,596.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				
2245-02-112-0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निकासन संयंत्रों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	50.00	2.87	(-)47.13	₹50.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2245-02-112-0004 संचार उपकरणों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	50.00	0.26	(-)49.74	₹50.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-113-0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	1,500.00	566.61	(-)933.39	₹1000.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2245-02-113-0003 अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुर्ननिर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	28.56	(-)171.44	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹171.44 लाख का अंतिम बचत, ₹18.00 लाख से कम है। ₹189.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-114-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,00,000.00	1,00,000.00	20,211.39	(-)79,788.61	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹79,788.61 लाख का अंतिम बचत, ₹ 60.70 लाख से कम है। ₹ 79,849.31 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-115-0001 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	10.00	0.00	(-)10.00	₹90.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)90.00				
2245-02-115-0002 मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद बालू आदि का निकासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	10.00	0.00	(-)10.00	₹90.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)90.00				
2245-02-117-0001 बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	2.68	(-)197.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-117-0002 दुधारू पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	121.14	(-)128.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-117-0003 जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	225.00	225.00	14.51	(-)210.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-118-0001 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	19.48	(-)80.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-02-800-0008 क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹900.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)900.00				
2245-05-101-0001 प्राकृतिक आपदा कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,66,660.00	3,66,660.00	1,74,800.00	(-)1,91,860.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-06-101-0001 मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-06-101-0002 निःसहायों एवं दिव्यांगों को नगद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-06-101-0003 खाद्यान की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.01	100.01	0.00	(-)100.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-06-101-0004 प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-06-113-0001 भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति-पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-07-101-0001 आपदा न्यूनीकरण हेतु व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	60,000.01	40,000.03	18,227.94	(-)21,772.09	प्रावधान में ₹20,000.00 लाख की हुई कमी, ₹180.00 लाख की वृद्धि तथा पुर्नविनियोग द्वारा ₹180.00 लाख की कमी तथा ₹20,000.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि विज्ञापन एवं प्रकाशन तथा व्यवसायिक/ कला/तकनीकी सेवाएं के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। ₹20,000.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में मिटिगेशन के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹21,772.09 लाख का अंतिम बचत, ₹1,572.42 लाख से कम है। ₹23,344.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.02				
	पुनर्वि०	(-)20,000.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-80-001-0001 आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,165.01	2,015.01	1,098.39	(-)916.62	प्रावधान में ₹500.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 503.00 लाख की वृद्धि तथा पुर्नविनियोग द्वारा ₹ 3.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा व्यय, भाड़े की वाहन तथा चिकित्सा व्यय के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹916.62 लाख का अंतिम बचत, ₹0.42 लाख से कम है। ₹ 917.04 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	350.00				
	पुनर्वि०	500.00				
2245-80-001-0002 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,977.01	1,977.01	368.14	(-)1,608.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-80-001-0003 राज्य आपदा रिसपॉन्स फोर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,376.25	7,650.00	7,102.75	(-)547.25	प्रावधान में ₹236.25 लाख की हुई कमी, ₹ 195.00 लाख की वृद्धि तथा पुर्नविनियोग द्वारा ₹ 195.00 लाख की कमी तथा ₹ 236.25 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि मशीन एवं उपस्कर तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स के पत्रांक 1249 दिनांक 08-10-2024 एवं 1348 दिनांक 04-11-2024 के आलोक में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न विषय शीर्ष के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	510.00				
	पुनर्वि०	(-)236.25				
2245-80-001-0204 राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	128.00	38.00	14.78	(-)23.22	₹90.00 लाख का प्रत्यर्पण विभाग के पत्रांक 4314 दिनांक 16.12.2024 के आलोक में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)90.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-80-102-0005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,500.00	7,150.00	2,699.91	(-)4,450.09	₹1,350.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जागरुकता एवं क्षमता निर्माण के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,350.00				
2245-80-102-0006 प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2245-80-800-0003 बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2251-00-090-0017 आपदा प्रबंधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	924.02	1,164.62	713.57	(-)451.05	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹451.05 लाख का अंतिम बचत, ₹0.94 लाख से कम है। ₹451.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	240.60				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-106-0001 क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	500.00	1,651.30	(+)1,151.30	₹9,500.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,151.30 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,651.30 लाख से अधिक है। अतः यह ₹500.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 500.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)9,500.00				
2245-02-122-0001 क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,000.00	500.00	2,546.36	(+)2,046.36	₹19,500.00 लाख का प्रत्यर्पण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़, अग्निकांड तथा चक्रवात के अंतर्गत संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,046.36 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹2,372.47 लाख से अधिक है। अतः यह ₹326.11 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹326.11 लाख का वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)19,500.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-08-797-0001 राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	60,000.01	60,000.01	64,510.00	(+)4,509.99	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹4,492.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹4,492.73 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹196.68 लाख से कम है। अतः यह ₹4,689.41 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) वास्तविक अंतिम बचत (₹4,689.41 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(vii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4250-00-101-0003 जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केंद्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	10,000.00	5,507.27	(-)4,492.73	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,492.73 लाख का अंतिम बचत, ₹ 196.68 लाख से कम है। ₹ 4,689.41 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

(viii) राज्य आपदा रिस्पौंस निधि (एसडीआरएफ)

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है । फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रुप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रुप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रुप में दर्शाया जाता है। इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय ₹1,88,800.00 लाख राज्य आपदा रिस्पौंस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद प्राप्त निवल राशि के लिए अनुदान लिया गया था।

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम.-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पौंस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46(I) एवं 48(I) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रही। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पौंस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि में अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पौंस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 01.04.2010 से समाप्त हो गया।

एसडीआरएफ योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जायः-

(क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,

(ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा रिस्पौंस निधि के लिए निधि का प्रावधान किया तथा एसडीआरएफ में राज्यों को 10 प्रतिशत अंशदान एवं शेष 90 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा दिये जाने का अनुशंसा किया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को इस संशोधन के साथ अंगीभूत किया कि राज्यों का हिस्सा पूर्ववत जारी रहेगा। राज्य आपदा रिस्पौंस निधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगीः-

अनुदान संख्या- 39- क्रमांत

Share	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	जोड़
	(₹ करोड़ में)						
केन्द्र का हिस्सा (75%)	427.50	1,416.00	1,132.80	1,189.60	1,248.80	1,311.20	6,725.90
राज्य का हिस्सा (25%)	142.50	472.00	377.60	396.80	416.00	436.80	2,241.70
जोड़	**570.00**	**1,888.00**	**1,510.40**	**1,586.40**	**1,664.80**	**1,748.00**	**8,967.60**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में एसडीआरएफ में आरंभिक शेष ₹2,800.04 करोड़ तथा एसडीएमएफ में ₹759.80 करोड़ था।

भारत सरकार ने 2024-25 के दौरान बिहार सरकार को एनडीआरएफ से कोई राशि जारी नहीं की। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली और दूसरी किस्त क्रमशः 05 जुलाई 2024 और 21 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार से जारी ₹655.60 करोड़ और ₹655.60 करोड़ तथा राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश-2171 दिनांक 05 जुलाई 2024 द्वारा ₹218.40 करोड़ (पहली किस्त) तथा स्वीकृत्यादेश-3597 दिनांक 21 अक्टूबर 2024 द्वारा ₹218.40 करोड़ (दूसरी किस्त) के साथ 25% हिस्सेदारी दी। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य को आरबीआई/राज्य सरकार द्वारा निवेशित ब्याज के रूप में ₹82.51 करोड़ प्राप्त हुए।

राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के अंतर्गत ₹651.946 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹483.90 करोड़, पिछले वर्ष 2023-24 का ₹156.10 करोड़ सहित एवं राज्य का हिस्सा ₹161.20 करोड़, पिछले वर्ष 2023-24 का ₹52.00 करोड़ सहित) हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य को आरबीआई/राज्य सरकार द्वारा निवेशित ब्याज के रूप में ₹6.84 करोड़ प्राप्त हुए।

दूसरी ओर राज्य सरकार से ₹202.48 करोड़, ₹673.73 करोड़, ₹159.58 करोड़ तथा ₹21.98 करोड़ के डेबिट नोट प्राप्त हुए। तदनुसार राशि ₹202.48 करोड़, ₹673.73 करोड़, ₹159.58 करोड तथा ₹21.98 करोड़ एसडीआरएफ और एसडीएमएफ को नामे किया गया, जिससे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अंतशेष क्रमशः ₹3,754.34 करोड़ तथा ₹1,230.18 करोड़ रह गया।

अनुदान संख्या- 40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2029 भू-राजस्व

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2075 विविध सामान्य सेवाएं

2506 भूमि सुधार

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्त्ति तथा समनुदेशन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**18,50,48,29**	**27,41,47,62**	**18,32,70,78**	**(-)9,08,76,84**
अनुपूरक	**8,90,99,33**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**51,23,01**
27 फरवरी 2025	48,00,00			
19 मार्च 2025	3,23,00			
31 मार्च 2025	1			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**21,00,02**	**21,00,02**	**0**	**(-)21,00,02**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹90,876.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹41,533.22 लाख), नवम्बर 2024 (₹44,928.12 लाख) तथा मार्च 2025 (₹2,637.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹89,099.33 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹90,876.84 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹212.30 लाख से कम है। अतः यह ₹91,089.14 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5,123.01 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹91,089.14 लाख) से ₹85,966.13 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-106-0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	390.00	390.00	336.12	(-)53.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2029-00-001-0001 जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,835.80	5,254.80	3,802.67	(-)1,452.13	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,452.13 लाख का अंतिम बचत, ₹ 3.86 लाख से कम है। ₹ 1,455.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,419.00				
2029-00-001-0004 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	751.90	1,144.54	595.41	(-)549.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	392.64				
2029-00-001-0102 जोतों की चकबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	2,200.00	1,613.47	(-)586.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹586.53 लाख का अंतिम बचत, ₹1.56 लाख से कम है। ₹588.09 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)0.01				
2029-00-003-0101 क्षमता वर्धन (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	23.55	(-)176.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2029-00-102-0101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	35,473.97	74,936.85	46,868.52	(-)28,068.33	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹28,068.33 लाख का अंतिम बचत, ₹ 28.13 लाख से कम है। ₹ 28,096.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	39,462.88				
2029-00-103-0001 भू-अभिलेख स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,569.82	1,569.82	1,062.46	(-)507.36	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹507.36 लाख का अंतिम बचत, ₹6.47 लाख से कम है। ₹513.83 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2029-00-103-0106 सीमा स्तम्भों का परिचालन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	1.16	(-)98.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2029-00-103-0306 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	743.90	(-)256.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2029-00-104-0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,32,008.04	1,27,410.05	77,994.62	(-)49,415.43	प्रावधान में ₹5,069.00 लाख की हुई कमी, ₹616.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹885.00 लाख की कमी तथा ₹ 4,800.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। ₹4,800.00 लाख का प्रत्यर्पण संविदा के आधार पर नियोजन प्रकिया में विलम्ब होने के कारण था। प्रावधान में ₹116.00 लाख की वृद्धि दीदारगंज अंचल कार्यालय का जीर्णोद्धार तथा पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय का निर्माण के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹14.00 लाख की कमी राजस्व पर्षद, पटना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹49,415.43 लाख का अंतिम बचत, ₹68.16 लाख से कम है। ₹500.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹871.00 लाख की कमी तथा ₹49,483.59 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)
	अनु०	471.01				
	पुनर्वि०	(-)5,069.00				
2029-00-104-0002 हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का संरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.00	2,000.00	1,591.69	(-)408.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
2029-00-104-0007 लोक भूमि पर अतिक्रमण से मुक्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5.00	80.00	28.73	(-)51.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	75.00				

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2029-00-800-0001 बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26.00	26.00	17.07	(-)8.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,203.90	3,768.90	2,247.85	(-)1,521.05	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹65.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	65.00				
2052-00-092-0004 भू अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	181.66	182.66	137.00	(-)45.66	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹45.66 लाख का अंतिम बचत, ₹1.25 लाख से कम है। ₹46.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1.00				
2052-00-099-0006 राजस्व न्यायालयों एवं नीलामी पत्र वाद न्यायालयों का अनुश्रवण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,544.45	1,544.45	0.00	(-)1,544.45	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2070-00-800-0002 गजेटियर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	166.85	166.85	102.06	(-)64.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2506-00-102-0001 जोतों की चकबन्दी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,012.13	689.13	531.61	(-)157.52	₹323.00 लाख का प्रत्यर्पण कई कर्मियों/पदाधिकारियों के सेवानिवृति/स्थानांतरण के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹157.52 लाख का अंतिम बचत, ₹1.92 लाख से कम है। ₹159.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)323.00				
3454-01-101-0403 जनगणना, 2021 (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	2.58	2.58	1.26	(-)1.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3604-00-200-0001 भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों का सेस का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	663.88	663.88	0.00	(-)663.88	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) ₹2,100.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मूल प्रावधान वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4047-00-050-0104 सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4047-00-050-0107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनांतर्गत रैयती भूमि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4047-00-789-0106 गृह विहीन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4047-00-796-0101 गृह विहीनों के लिए वास भूमि (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4059-80-051-0102 जल निकाय एवं सरकारी भूमि की घेराबंदी तथा सीमांकन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 41- पथ निर्माण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3054 **सड़क तथा सेतु**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**19,08,74,56**	**24,08,74,56**	**23,56,73,00**	**(-)52,01,56**
अनुपूरक	**5,00,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5054 **सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**37,94,06,00**	**73,25,28,57**	**72,79,73,28**	**(-)45,55,29**
अनुपूरक	**35,31,22,57**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,14,26,90**
31 मार्च 2025	2,14,26,90			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,201.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 (₹25,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹25,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹50,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹5,201.56 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹25,902.90 लाख से कम है। अतः यह ₹31,104.46 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹31,104.46 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-03-103-0001 कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.36	(-)49.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3054-80-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,329.55	9,416.55	7,927.17	(-)1,489.38	प्रावधान में ₹87.00 लाख की वृद्धि विधि प्रभार, मोटरगाड़ी-कार्यालय, वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, एवं अन्य भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,489.38 लाख का अंतिम बचत, ₹5.59 लाख से अधिक है। ₹1,483.79 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	87.00				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-80-001-0002 पर्यवेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	37,613.03	37,395.88	26,238.99	(-)11,156.89	प्रावधान में ₹217.15 लाख की हुई कमी, ₹ 50.00 लाख की वृद्धि तथा पुर्नविनियोग द्वारा ₹267.15 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अन्य भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11,156.89 लाख का अंतिम बचत, ₹ 18.10 लाख से कम है। ₹ 11,174.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)217.15				
3054-80-001-0006 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,000.00	3,000.00	239.96	(-)2,760.04	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,760.04 लाख का अंतिम बचत, ₹ 119.96 लाख से कम है। ₹ 2,880.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-80-001-0010 बिहार लोक कार्य संबिदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	160.34	160.34	88.51	(-)71.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹71.83 लाख का अंतिम बचत, ₹5.44 लाख से कम है। ₹77.27 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3054-80-003-0101 प्रशिक्षण एवं शोध (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3054-80-797-0101 केन्द्रीय सड़क निधि राशि का अन्तरण (राज्य स्कीम)	मूल	40,000.00	40,000.00	25,517.00	(-)14,483.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0014 पथ निर्माण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल पुनर्वि०	411.64 130.15	541.79	490.05	(-)51.74	प्रावधान में ₹ 130.15 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-03-103-0002	मूल	1,00,000.00	1,50,000.00	1,75,415.63	(+)25,415.63	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹25,415.63 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹25,710.98 लाख से अधिक है। अतः यह ₹295.35 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 295.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
अन्य अनुरक्षण व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	50,000.00				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹4,555.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,09,800.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 1,06,322.57 लाख) तथा मार्च 2025 (₹37,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,53,122.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹4,555.29 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹50,148.56 लाख से कम है। अतः यह ₹54,703.85 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹21,426.90 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹54,703.85 लाख) से ₹33,276.95 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-101-0101	मूल	10,000.00	78,513.41	69,331.71	(-)9,181.70	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,181.70 लाख का अंतिम बचत, ₹ 853.19 लाख से कम है। ₹10,034.89 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
पुल (राज्य स्कीम)	अनु०	68,513.41				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-101-0104 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	3.89	(-)56.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5054-03-337-0123 सात निश्चय-2- सुलभ सम्पर्कता (राज्य स्कीम)	मूल	10,090.00	10,090.00	6,754.50	(-)3,335.50	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,335.50 लाख का अंतिम बचत, ₹ 535.20 लाख से कम है। ₹ 3,870.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5054-03-337-0211 विशेष सहायता (बीआरजी-पथ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	29,527.00	25,454.85	0.00	(-)25,454.85	₹4,072.15 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,072.15				
5054-03-789-0102 सात निश्चय -2 - सुलभ सम्पर्कता (राज्य स्कीम)	मूल	5,500.00	5,500.00	3,837.69	(-)1,662.31	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,662.31 लाख का अंतिम बचत, ₹ 40.46 लाख से कम है। ₹ 1,702.77 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-796-0104 सात निश्चय -2 - सुलभ सम्पर्कता (राज्य स्कीम)	मूल	4,410.00	4,410.00	2,960.36	(-)1,449.64	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,449.64 लाख का अंतिम बचत, ₹ 97.64 लाख से कम है। ₹ 1,547.28 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5054-04-337-0201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	1,466.25	1,466.25	0.00	₹4,533.75 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,533.75				

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-101-0103 पुल (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,000.00	1,04,481.44	1,20,888.86	(+)16,407.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹16,407.72 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹19,203.72 लाख से अधिक है। अतः यह ₹2,796.30 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹2,796.30 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,481.44				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-337-0102 वृहद्-सड़कें (राज्य स्कीम)	मूल	40,000.00	2,38,500.00	2,40,792.48	(+)2,292.48	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,292.48 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹15,547.17 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 13,254.69 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹13,254.69 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,98,500.00				
5054-03-337-0206 केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40,000.00	40,000.00	41,863.49	(+)1,863.49	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,863.49 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹6,375.70 लाख से अधिक है। अतः यह ₹4,512.21 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹4,512.21 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-789-0101 वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम)	मूल	17,036.98	77,364.70	78,867.27	(+)1,502.57	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,502.57 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹7,086.82 लाख से अधिक है। अतः यह ₹5,584.25 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹5,584.25 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	60,327.72				
5054-04-337-0301 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	18,882.00	6,061.00	6,469.66	(+)408.66	₹12,821.00 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹408.66 लाख से अधिक है।
	पुनर्वि०	(-)12,821.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(ix) उचंत लेन-देन : (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹4,973.30 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं,यथा- (i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत । प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

(i) स्टॉक :- इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य हटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

(ii) क्रय :- जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट ''कार्य'' शीर्ष मे या ''स्टॉक'' उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का ''क्रय'' शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को ''8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा'' में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम :- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) कार्यशाला उचंत :- (क) लोक निर्माण विभाग के विभागी कार्यशालाओं मे निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2024-25 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2025 को अंतशेष
			(₹ लाख में)		
(i) 3054 - सड़क तथा सेतु					
क्रय	(-)4,049.14	0.00	0.00	0.00	(-)4,049.14
स्टॉक	(-)690.43	0.00	0.00	0.00	(-),690.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	28,592.10	0.00	520.59	520.59	29,112.69
जोड़	**23,852.53**	**0.00**	**520.59**	**520.59**	**24,373.12**

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2025 को अंतशेष
			(₹ लाख में)		
(ii) 5054 - सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय					
क्रय	(-)4.43	0.00	0.00	0.00	(-)4.43
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण	4,33,977.18	0.00	4,452.71	4,452.71	4,38,429.89
जोड़	**4,33,972.75**	**0.00**	**4,452.71**	**4,452.71**	**4,38,425.46**

(x) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :- लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2022-23 से 2024-25 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
			(₹ लाख में)		
2022-23	6,60,191.91	33,958.75	5.14	353.51	0.05
2023-24	6,93,187.79	34,900.78	5.03	344.27	0.05
2024-25	7,06,404.68	34,494.64	4.88	275.91	0.04

(xi) केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान

भारत सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्क की आय में से किया जाता है। इस निधि में अंतरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत राशि केंद्र सरकार के खातों में मुख्य शीर्ष ''3054- सड़क तथा सेतु'' में प्रतिपक्ष नामे डालकर मुख्य शीर्ष ''8224-केन्द्रीय सड़क निधियाँ'' को जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों आदि को आबंटित की जाती है।

इस निधि से प्राप्त राशि एवं उससे होने वाले व्यय को राज्य सरकार के खाते में निम्न प्रकार से लेखांकन प्रक्रिया हैं:-

अनुदान संख्या- 41- क्रमांत

केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 06-केन्द्र प्रायोजित स्कीम -104-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान या 08-राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान -108-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान जैसा भी मामला हो, में जमा की जाती है। तत्पश्चात, इतनी ही राशि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को से अंतरण में प्रतिपक्ष जमा करके मुख्यशीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में जमा की जाती है।

इन योजनाओं में हुई वास्तविक व्यय को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 3054/5054 के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है एवं अंततः इस मुख्य शीर्ष में किया गया व्यय को मुख्य राशि 8449-अन्य जमा अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के शेष से पूरा किया जाता है । इन राशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के नामे डालकर प्रतिपक्ष नामे मुख्य शीर्ष 3054/5054-902-जमा शीर्ष से प्रतिपूर्ति किया जाता है ।

भारत सरकार से वर्ष 2024-25 में ₹25,517.00 लाख प्राप्त हुई एवं मुख्य शीर्ष 1601-08-108 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अंतर्गत जमा की गई ।

वर्ष 2024-25 के दौरान पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 3602 (एस) दिनांक- 30 सितम्बर 2024, 5236 (एस) दिनांक 24 अक्टूबर 2024, 551 (एस) दिनांक 24 जनवरी 2025 एवं 2810 (एस) दिनांक 31 मार्च 2025 के आलोक में अंतरण प्रविष्टि के द्वारा ₹25,517.00 लाख को मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतर्गत नामें किया गया तथा मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को जमा किया गया। पुनः पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 3602 (एस) दिनांक- 30 सितम्बर 2024, 5236 (एस) दिनांक 24 अक्टूबर 2024, 551 (एस) दिनांक 24 जनवरी 2025 एवं 2810 (एस) दिनांक 31 मार्च 2025 के आलोक में मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण प्रविष्टि द्वारा ₹25,517.00 लाख नामे किया गया तथा मुख्य शीर्ष-5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राजमार्ग, लघु शीर्ष-902-घटाये-अन्य जमा सड़क निधि अनुदान से पूरी की गयी राशि के अंतर्गत घटाकर नामे किया गया।

अनुदान संख्या- 42- ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2215 जलापूर्ति तथा सफाई

2216 आवास

2220 सूचना तथा प्रचार

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2505 ग्राम रोजगार

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,42,46,71,15**	**1,84,08,59,76**	**1,13,41,59,65**	**(-)70,67,00,11**
अनुपूरक	**41,61,88,61**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**4,04,60,00**
26 नवम्बर 2024	3,23,60,00			
13 जनवरी 2025	60,00,00			
11 मार्च 2025	21,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**50,00,00**	**50,00,00**	**20,46,73**	**(-)29,53,27**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**30,00,00**
13 जनवरी 2025	30,00,00			

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,06,700.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹54,398.61 लाख), नवम्बर 2024 (₹ 67,950.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹2,93,840.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,16,188.61 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹7,06,700.11 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹3,505.98 लाख से कम है। अतः यह ₹7,10,206.09 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹40,460.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹7,10,206.09 लाख) से ₹6,69,746.09 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-105-0104 लोहिया स्वच्छता योजना -2 - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				
2215-02-105-0202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	70,495.00	94,710.00	9,224.83	(-)85,485.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	24,215.00				
2215-02-105-0302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	23,400.00	23,400.00	8,693.93	(-)14,706.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-02-789-0204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	18,075.00	24,284.00	7,065.88	(-)17,218.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,209.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-789-0304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	6,000.00	4,753.00	(-)1,247.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-02-796-0206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,808.00	2,429.00	359.84	(-)2,069.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	621.00				
2215-02-796-0306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	600.00	239.90	(-)360.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2216-03-102-0101 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2216-03-105-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,39,460.00	2,34,649.00	2,30,736.35	(-)3,912.65	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,912.65 लाख का अंतिम बचत, ₹2,776.32 लाख से कम है। ₹6,688.97 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	95,189.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-03-789-0104 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)40.00				
2216-03-789-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,20,200.00	2,20,200.00	0.00	(-)2,20,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2216-03-789-0302 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	13,000.00	10,400.00	0.00	(-)10,400.00	₹2,600.00 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,600.00				
2216-03-796-0103 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)10.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-03-796-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,340.00	7,340.00	355.00	(-)6,985.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,985.00 लाख का अंतिम बचत, ₹355.00 लाख से कम है। अतः यह ₹7,340.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2216-03-796-0302 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,300.00	1,200.00	0.00	(-)1,200.00	₹100.00 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2220-60-101-0101 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	79.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)79.00				
2235-02-103-0132 महिला सशक्तीकरण (राज्य स्कीम)	अनु०	25,500.00	25,500.00	23,600.00	(-)1,900.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-01-001-0104 बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	400.00	276.60	(-)123.40	₹100.00 लाख के प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	300.00				
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2501-06-001-0101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	329.00	186.30	(-)142.70	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹142.70 लाख का अंतिम बचत, ₹30.71 लाख से कम है। ₹271.00 लाख का प्रत्यर्पण तथा ₹173.41 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	100.00				
	पुनर्वि०	(-)271.00				
2501-06-101-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,24,634.00	1,57,218.05	1,40,600.18	(-)16,617.87	प्रावधान में ₹32,584.05 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 16,617.87 लाख का अंतिम बचत, ₹55.08 लाख से कम है। ₹16,672.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	32,584.05				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-101-0205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,080.00	1,080.00	350.00	(-)730.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2501-06-101-0206 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,880.00	4,880.00	0.00	(-)4,880.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2501-06-101-0207 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	98.00	455.84	0.00	(-)455.84	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	357.84				
2501-06-101-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	64,087.00	1,22,897.00	1,14,397.94	(-)8,499.06	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,499.06 लाख का अंतिम बचत, ₹8.20 लाख से कम है। ₹8,507.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	58,810.00				
2501-06-101-0305 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	120.00	466.67	233.32	(-)233.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	346.67				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-101-0306 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	814.00	814.00	0.00	(-)814.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2501-06-101-0307 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	66.00	308.00	0.00	(-)308.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	242.00				
2501-06-102-0202 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,500.00	3,717.00	2,341.71	(-)1,375.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,217.00				
2501-06-789-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	25,918.00	32,693.95	29,227.05	(-)3,466.90	प्रावधान में ₹6,775.95 लाख की वृद्धि आंतरिक समांजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	6,775.95				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-789-0205 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,016.00	1,016.00	0.00	(-)1,016.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2501-06-789-0206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20.00	95.00	0.00	(-)95.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	75.00				
2501-06-789-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	13,327.00	23,008.00	21,169.64	(-)1,838.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,681.00				
2501-06-789-0305 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	170.00	170.00	0.00	(-)170.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2501-06-789-0306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12.00	56.00	0.00	(-)56.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	44.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-796-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,448.00	3,088.00	2,760.51	(-)327.49	प्रावधान में ₹640.00 लाख की वृद्धि आंतरिक समांजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	640.00				
2501-06-796-0205 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	104.00	104.00	0.00	(-)104.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2501-06-796-0206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2.00	9.00	0.00	(-)9.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7.00				
2501-06-796-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,259.00	2,028.00	1,840.35	(-)187.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	769.00				
2501-06-796-0305 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16.00	16.00	0.00	(-)16.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-796-0306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2.00	9.33	0.00	(-)9.33	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7.33				
2505-02-101-0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,71,241.00	3,31,241.00	1,73,842.98	(-)1,57,398.02	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹40,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)40,000.00				
2505-02-101-0202 सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, बिहार (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	350.00	(-)1,650.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2505-02-101-0203 प्रशासनिक पद (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	64,200.00	64,200.00	17,353.94	(-)46,846.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2505-02-101-0204 कलस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी) (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,702.00	1,702.00	384.95	(-)1,317.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2505-02-101-0205 प्रोजेक्ट उन्नति (यूएनएनएटीआई) (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	57.00	57.00	0.00	(-)57.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2505-02-101-0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगाा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	70,000.00	80,000.00	39,633.60	(-)40,366.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10,000.00				
2515-00-001-0010 प्रखंड स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	54,615.01	57,406.62	45,804.70	(-)11,601.92	प्रावधान में ₹30.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹84.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹54.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा मोटरगाड़ी कार्यालय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11,601.92 लाख का अंतिम बचत, ₹1.00 लाख से कम है। ₹11,602.92 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,761.61				
	पुनर्वि०	30.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-001-0110 जल-जीवन-हरियाली मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	989.04	(-)10.96	₹2,000.00 लाख के प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				
3451-00-090-0010 ग्रामीण विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,750.14	2,010.14	1,904.26	(-)105.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹105.88 लाख का अंतिम बचत, ₹7.06 लाख से कम है। ₹112.94 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	290.00				
	पुनर्वि०	(-)30.00				
3454-02-206-0102 विशिष्ट पहचान योजना (यूआईडी) (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-003-0101 बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	3,625.00	6,425.00	6,489.03	(+)64.03	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 64.03 लाख से अधिक है।
	अनु०	2,800.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹2,953.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹5,000.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹2,953.27 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 46.73 लाख से कम है। अतः यह ₹3,000.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 43- विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 **तकनीकी शिक्षा**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**7,22,30,98**	**7,81,91,84**	**6,57,17,89**	**(-)1,24,73,95**
अनुपूरक	**59,60,86**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 **शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**3,50,00,00**	**3,87,29,00**	**3,41,79,79**	**(-)45,49,21**
अनुपूरक	**37,29,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹12,473.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹4,454.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹307.60 लाख) तथा मार्च 2025 (₹1,199.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,960.86 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹12,473.95 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधिते ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹1.88 लाख से कम है। अत: यह ₹12,475.83 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹12,475.83 लाख)के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-001-0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	636.55	827.55	772.43	(-)55.12	प्रावधान में ₹187.00 लाख की वृद्धि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और बेलट्रॉन के कार्यरत डीईओ के मांनदेय भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 55.12 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.71 लाख से कम है। ₹55.83 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4.00				
	पुनर्वि०	187.00				
2203-00-001-0002 राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	414.69	668.92	663.11	(-)5.81	प्रावधान में ₹254.23 लाख की वृद्धि प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के पत्रांक 3001 दिनांक 01.08.2024 के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा बेलट्रॉन के कार्यरत डीईओ के मांनदेय भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5.81 लाख का अंतिम बचत, ₹0.01 लाख से कम है। ₹5.82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	254.23				

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-001-0107 अभियंत्रण विश्वविद्यालय-सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-003-0101 शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	333.24	(-)466.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-004-0001 अनुदान तथा अनुसंधान शोधवृत्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-004-0101 बिहार काउन्सिल ऑफ़ सांइस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लेनेटोरियम, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	2,600.00	2,600.00	1,032.50	(-)1,567.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-102-0001 पटना विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.01	417.01	416.85	(-)0.16	प्रावधान में ₹83.00 लाख की हुई कमी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए कार्यालय व्यय एवं विद्युत-प्रभार के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)83.00				

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-102-0002 बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,804.00	1,353.00	1,190.00	(-)163.00	प्रावधान में ₹396.00 लाख की हुई कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सामग्री एवं आपूर्ति, लघु कार्य एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के कारण था। प्रावधान में ₹ 55.00 लाख की हुई कमी नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी (नालंदा) में नियोजित व्याख्याता एवं लैब तकनीशियन के मानदेय भुगतान हेतु अतिरिक्त मांग के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)451.00				
2203-00-103-0001 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	107.34	106.93	69.53	(-)37.40	प्रावधान में ₹0.41 लाख की हुई कमी दो कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)0.41				

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-105-0001 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26,182.77	26,847.45	23,105.52	(-)3,741.93	प्रावधान में ₹38.18 लाख की हुई वृद्धि, ₹479.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 440.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹228.82 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹36.50 लाख की कमी बेलट्रॉन के कार्यरत डीईओ के मांनदेय भुगतान के कारण था। ₹175.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	626.50				
	पुनर्वि०	38.18				
2203-00-105-0003 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	364.09	(-)35.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-105-0106 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,680.00	1,680.00	1,234.28	(-)445.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-105-0107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थाओं में सेंटर ऑफ ऐक्सेलेंस- सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	552.99	(-)947.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-112-0001 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,557.66	33,814.42	31,118.60	(-)2,695.82	प्रावधान में ₹55.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹95.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी (नालंदा) में नियोजित व्याख्याता एवं लैब तकनीशियन के मानदेय भुगतान के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,695.82 लाख का अंतिम बचत, ₹0.35 लाख से कम है। ₹2,696.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,201.76				
	पुनर्वि०	55.00				

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-112-0004 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	450.00	450.00	381.31	(-)68.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2203-00-112-0101 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,665.00	2,965.60	1,373.34	(-)1,592.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,300.60				
2203-00-112-0105 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	15.23	(-)84.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0003 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	332.95	419.95	353.87	(-)66.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	87.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹4,549.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,266.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹ 2,463.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,729.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹4,549.21 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹50.70 लाख से कम है। अतः यह ₹4,599.91 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) वास्तविक अंतिम बचत (₹4,599.91 लाख)के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 43- क्रमांत

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-104-0109 पोलिटेकनिक (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	13,000.00	13,000.00	12,198.13	(-)801.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4202-02-105-0106 अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	13,000.00	14,266.00	13,186.68	(-)1,079.32	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,079.32 लाख का अंतिम बचत, ₹ 50.70 लाख से कम है। ₹ 1,130.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,266.00				
4202-02-105-0107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थाओं में सेंटर ऑफ ऐक्सेलेंस- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	7,000.00	7,000.00	4,332.00	(-)2,668.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या -44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2202 सामान्य शिक्षा

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**18,01,72,84**	**19,67,22,94**	**16,02,26,83**	**(-)3,64,96,11**
अनुपूरक	**1,65,50,10**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**8,72,64**
26 नवम्बर 2024	3,00,00			
27 जनवरी 2025	1			
10 मार्च 2025	5,72,63			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,00,00**	**9,00,00**	**1,00,00**	**(-)8,00,00**
अनुपूरक	**8,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹36,496.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹4,030.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹10,202.29 लाख) तथा मार्च 2025 (₹2,317.81 लाख) में प्राप्त किया गया ₹16,550.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹36,496.11 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण, ₹ 1,265.27 लाख से कम है। अतः यह ₹37,761.38 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹872.64 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹37,761.38 लाख) से ₹36,888.74 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0106 अम्बेदकर फाउण्डेशन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,545.09	9,239.84	8,348.10	(-)891.74	प्रावधान में ₹10.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹891.74 लाख का अंतिम बचत, ₹33.20 लाख से कम है। ₹924.94 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	684.75				
	पुनर्वि०	10.00				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-001-0003 राज्य अनुसूचित जाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	353.64	286.96	185.82	(-)101.14	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹101.14 लाख का अंतिम बचत, ₹ 35.82 लाख से कम है। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 66.88 लाख की कमी तथा ₹136.96 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)66.68				
2225-01-001-0004 वैधिक सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-001-0101 निदेशन और प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	81.29	(-)18.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹18.71 लाख का अंतिम बचत, ₹2.58 लाख से कम है। ₹21.29 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-102-0101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	7.37	0.00	(-)7.37	₹ 42.63 लाख का प्रत्यर्पण विभाग के पत्र संख्या 1008 दिनांक 05/02/2025 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)
	पुनर्वि०	(-)42.63				
2225-01-102-0115 महादलित विकास हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	49,200.00	54,200.00	49,200.00	(-)5,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,000.00				
2225-01-102-0216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी एम ए जी वाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-197-0002 छात्रवृति/वजीफा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-197-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	7,105.00	7,105.00	6,000.00	(-)1,105.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-198-0001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-198-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	17,427.00	17,427.00	8,517.94	(-)8,909.06	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,909.06 लाख का अंतिम बचत, ₹ 817.94 लाख से कम है। ₹9,727.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,638.18	1,666.88	1,297.44	(-)369.44	प्रावधान में ₹28.70 लाख की वृद्धि किराया महसूल एवं कर हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 369.44 लाख का अंतिम बचत, ₹0.26 लाख से कम है। ₹369.70 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	28.70				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0003 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,916.45	20,705.46	19,619.70	(-)1,085.76	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,085.76 लाख का अंतिम बचत, ₹ 51.87 लाख से कम है। ₹1,137.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,789.01				
2225-01-277-0007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-277-0008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	10.00	7.77	(-)2.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	736.29	684.59	415.61	(-)268.98	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹51.70 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 268.98 लाख का अंतिम बचत, ₹0.03 लाख से अधिक है। ₹ 268.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)51.70				
2225-01-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	2,450.00	3,950.00	3,414.03	(-)535.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				
2225-01-277-0107 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	31,768.00	31,468.00	29,467.82	(-)2,000.18	₹300.00 लाख का प्रत्यर्पण विभाग के पत्र संख्या 8398 दिनांक 22/10/2024 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,000.18 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.18 लाख से अधिक है। ₹2,000.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-277-0221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	4,633.55	(-)366.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-277-0321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल अनु०	2,000.00 3,000.00	5,000.00	4,633.55	(-)366.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0324 अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	878.44	(-)121.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-01-789-0201 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,000.00	7,000.00	872.37	(-)6,127.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-001-0001 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	260.57	260.57	76.19	(-)184.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-102-0201 अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास - संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,100.00	2,094.00	524.00	(-)1,570.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.00 लाख की कमी आंतरिक सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)6.00				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-102-0202 अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	970.00	0.00	(-)970.00	₹530.00 लाख का प्रत्यर्पण विभाग के पत्र संख्या 667 दिनांक 24/01/2025 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)530.00				
2225-02-102-0203 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-197-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	678.00	678.00	400.00	(-)278.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-198-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	2,073.00	2,073.00	900.00	(-)1,173.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-277-0001 छात्रवृत्तियां और वृत्तियां (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	39.00	39.00	32.82	(-)6.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-277-0003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	237.77	216.15	107.34	(-)108.81	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹21.62 लाख का कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)21.62				
2225-02-277-0004 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,349.17	4,152.08	3,845.61	(-)306.47	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹306.47 लाख का अंतिम बचत, ₹0.02 लाख से अधिक है। ₹306.45 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	802.91				
2225-02-277-0016 बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	109.25	135.55	65.87	(-)69.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	26.30				
2225-02-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	5,468.00	7,468.00	6,598.07	(-)869.93	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹869.33 लाख का अंतिम बचत, ₹15.61 लाख से कम है। ₹885.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-277-0106 आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	1,345.91	(-)154.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-277-0214 अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10.00	9.99	0.00	(-)9.99	₹0.01 लाख का प्रत्यर्पण अनुसूचित जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)0.01				
2225-02-277-0216 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	443.31	(-)556.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-277-0217 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	905.00	905.00	0.00	(-)905.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-277-0315 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-277-0316 अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	147.77	(-)52.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-282-0001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	218.38	218.38	184.67	(-)33.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹33.71 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.19 लाख से कम है। ₹ 33.90 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2225-02-102-0204 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	30.00	36.00	35.91	(-)0.09	प्रावधान में ₹6.00 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	6.00				
2225-02-796-0228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूहों के विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0222 अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1.00	1.00	456.10	(+)455.10	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹455.10 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 456.10 लाख से अधिक है। अत: यह ₹1.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹800.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2024 में प्राप्त किया गया ₹800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतया अनुपयोगित रहा।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4425-00-108-0164 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	900.00	100.00	(-)800.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	800.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 45- गन्ना उद्योग विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,23,79,95**	**1,47,74,84**	**94,71,63**	**(-)53,03,21**
अनुपूरक	**23,94,89**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,303.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹135.64 लाख), नवम्बर 2024 (₹63.75 लाख) तथा मार्च 2025 (₹2,194.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,394.89 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹5,303.21 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹67.99 लाख से कम है। अत: यह ₹5,371.20 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹5,371.20 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 45- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-108-0002 ईख की खेती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,425.92	1,457.97	1,023.14	(-)434.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹434.83 लाख का अंतिम बचत, ₹17.77 लाख से कम है। ₹452.60 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	32.05				
2401-00-108-0109 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,109.52	4,109.52	2,288.46	(-)1,821.06	प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,821.06 लाख का अंतिम बचत, ₹21.04 लाख से कम है। ₹1,842.10 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	1,000.00				

अनुदान संख्या- 45- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0108 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	601.60	801.60	28.89	(-)772.71	प्रावधान में ₹200.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹772.71 लाख का अंतिम बचत, ₹27.15 लाख से कम है। ₹799.86 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	200.00				
2401-00-796-0129 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	48.88	61.38	23.61	(-)37.77	प्रावधान में ₹12.50 लाख की वृद्धि सब्सिडी में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 37.77 लाख का अंतिम बचत, ₹1.87 लाख से कम है। ₹39.64 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	12.50				

अनुदान संख्या- 45- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-08-201-0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय-मुख्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	359.82	523.02	381.90	(-)141.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	163.20				
2852-08-201-0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय-जिला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	347.45	383.59	275.38	(-)108.21	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹108.21 लाख का अंतिम बचत, ₹0.17 लाख से कम है। ₹108.38 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	36.14				
2852-08-201-0103 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	4,135.00	5,223.50	5,149.83	(-)73.67	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,088.50				
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2852-08-201-0104 गुड़ विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,025.48	1,025.48	29.32	(-)996.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 45- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-08-789-0101 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	600.00	0.00	(-)600.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹200.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2852-08-789-0102 गुड़ विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	198.40	198.40	0.00	(-)198.40	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2852-08-796-0102 आर्थिक सहायता (गन्ना उद्योग विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	52.50	0.00	(-)52.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12.50 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)12.50				
2852-08-796-0103 गुड़ विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	16.12	16.12	0.00	(-)16.12	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0002 गन्ना उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	246.76	321.76	271.10	(-)50.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	75.00				

अनुदान संख्या- 45- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2401	1,345.82	363.66	982.16
2852	3,429.74	2,788.54	641.20
कुल	**4,775.56**	**3,152.20**	**1,623.36**

अनुदान संख्या- 46- पर्यटन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,00,43,52**	**2,27,10,62**	**1,43,22,93**	**(-)83,87,69**
अनुपूरक	**26,67,10**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**2,62,00,00**	**8,02,00,00**	**6,73,10,66**	**(-)1,28,89,34**
अनुपूरक	**5,40,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**75,00,00**
27 नवम्बर 2024	75,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹8,387.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,663.13 लाख), नवम्बर 2024 (₹379.97 लाख) तथा मार्च 2025 (₹624.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,667.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹8,387.69 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹30.57 लाख से कम है। अतः यह ₹8,418.26 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹8,418.26 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 46- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0015 पर्यटन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	532.42	592.39	556.91	(-)35.48	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹35.48 लाख का अंतिम बचत, ₹2.74 लाख से कम है। ₹38.22 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	59.97				
3452-01-101-0001 पर्यटक केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	258.32	302.28	243.89	(-)58.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	43.96				
3452-80-001-0001 निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,452.78	4,415.95	3,833.88	(-)582.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	963.17				
3452-80-003-0101 बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	150.00	5.04	(-)144.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	100.00				
3452-80-104-0103 पर्यटकीय विकास (राज्य स्कीम)	मूल	14,850.00	16,350.00	8,785.63	(-)7,564.37	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,564.37 लाख का अंतिम बचत, ₹27.83 लाख से कम है। ₹7,592.20 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				

अनुदान संख्या- 46- क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹12,889.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,400.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹46,600.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹5,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹54,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹12,889.34 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹363.72 लाख से कम है। अतः यह ₹13,253.06 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,500.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹13,253.06 लाख) से ₹5,753.06 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5452-01-101-0104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	16,200.00	72,700.00	67,310.66	(-)5,389.34	प्रावधान में ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि पर्यटन अवसंरचना के निर्माण हेतू अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,389.34 लाख का अंतिम बचत, ₹363.72 लाख से कम है। ₹ 5,753.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	54,000.00				
	पुनर्वि०	2,500.00				
5452-01-101-0105 पर्यटकीय अवसंरचना विकास (सिडबी) (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में ₹ 10,000.00 लाख की कमी पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,500.00 लाख की कमी तथा ₹7,500.00 लाख का प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी तथा प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				

अनुदान संख्या- 46- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या -47- परिवहन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहन कर

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3055 सड़क परिवहन

3075 अन्य परिवहन सेवाएं

3435 पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**4,38,96,06**	**6,09,09,28**	**2,37,19,26**	**(-)3,71,90,02**
अनुपूरक	**1,70,13,22**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**47,00,00**
24 जूलाई 2024	47,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**12,50,00**	**34,50,00**	**6,28,22**	**(-)28,21,78**
अनुपूरक	**22,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹37,190.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹16,982.60 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹30.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹17,013.22 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹37,190.02 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹35.61 लाख से कम है। अत: यह ₹37,225.63 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,700.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹37,225.63 लाख) से ₹32,525.63 लाख कम था।

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2041-00-001-0001 राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	671.74	748.64	614.30	(-)134.34	प्रावधान में ₹39.20 लाख की हुई वृद्धि, ₹40.65 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.45 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, दूरभाष एवं माननीय न्यायालय के आलोक में विधि प्रभार के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	37.70				
	पुनर्वि०	39.20				
2041-00-101-0001 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	447.99	460.99	314.36	(-)146.63	प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा जीवन निर्वाह भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹146.63 लाख का अंतिम बचत, ₹ 0.90 लाख से कम है। ₹147.53 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	13.00				

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2041-00-101-0002 मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,167.33	12,900.12	9,806.68	(-)3,093.44	प्रावधान में ₹270.32 लाख की हुई कमी, ₹125.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹395.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 3,093.44 लाख का अंतिम बचत, ₹ 1.69 लाख से कम है। ₹ 3,095.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3.11				
	पुनर्वि०	(-)270.32				
2041-00-101-0003 बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,108.00	1,808.00	914.46	(-)893.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	700.00				
2041-00-101-0005 सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,692.00	6,042.00	241.47	(-)5,800.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,800.53 लाख का अंतिम बचत, ₹37.41 लाख से कम है। ₹5,837.94 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,350.00				

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2041-00-102-0001 वाहनों का निरीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,195.12	1,353.39	899.12	(-)454.27	प्रावधान में ₹ 158.27 लाख की वृद्धि वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं यात्रा भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	158.27				
2041-00-102-0103 स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2052-00-090-0035 परिवहन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	348.32	418.17	315.36	(-)102.81	प्रावधान में ₹ 59.85 लाख की वृद्धि मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, कार्यालय व्यय तथा किराये के वाहन का भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.00				
	पुनर्वि०	59.85				
2235-60-200-0121 बिहार वाहन दुर्घटना सहायता (राज्य स्कीम)	अनु०	100.00	100.00	20.00	(-)80.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3055-00-190-0102 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) (राज्य स्कीम)	मूल	11,600.00	9,100.00	0.00	(-)9,100.00	₹2,500.00 लाख की प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3055-00-190-0104 बिहार स्वच्छ ईंधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3055-00-190-0201 पी एम ई बस सेवा (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	3,600.00	3,600.00	1,383.33	(-)2,216.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3055-00-190-0301 पी एम ई बस सेवा (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,400.00	2,400.00	0.00	(-)2,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3055-00-199-0102 मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	3,800.00	685.00	(-)3,115.00	₹2,200.00 लाख की प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,200.00				
3055-00-199-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	1,300.00	1,300.00	443.45	(-)856.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3055-00-789-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	187.17	(-)1,812.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,812.83 लाख का अंतिम बचत, ₹5.37 लाख से अधिक है। ₹1,807.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3055-00-796-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	12.20	(-)187.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3075-60-001-0001 गंगा प्रशिक्षण कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	80.56	91.97	80.36	(-)11.61	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11.61 लाख का अंतिम बचत, ₹0.02 लाख से अधिक है। ₹ 11.59 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	11.41				
3435-04-103-0002 बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्रीन टैक्स में हिस्सा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	92.50	92.50	0.00	(-)92.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3435-04-103-0003 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्रीन टैक्स में हिस्सा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	92.50	92.50	0.00	(-)92.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹2,821.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹2,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹2,821.78 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹28.67 लाख से कम है। अतः यह ₹2,850.45 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(v) वास्तविक अंतिम बचत (₹2,850.45 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या -47- क्रमांत

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5055-00-051-0103 वे - ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5055-00-051-0104 बस स्टॉप का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	132.96	(-)367.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5055-00-051-0105 ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	700.00	195.25	(-)504.75	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹504.75 लाख का अंतिम बचत, ₹28.67 लाख से कम है। ₹ 533.42 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5055-00-051-0107 सड़क सुरक्षा (राज्य स्कीम)	अनु०	2,200.00	2,200.00	300.00	(-)1,900.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 48- नगर विकास एवं आवास विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

2215 जलापूर्ति तथा सफाई

2217 शहरी विकास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,11,84,22,44**	**1,51,08,86,79**	**93,85,81,71**	**(-)57,23,05,08**
अनुपूरक	**39,24,64,35**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**28,00,43,50**

8 मई 2024	5
16 दिसम्बर 2024	16,01,65,33
13 जनवरी 2025	1
13 मार्च 2025	11,98,78,11

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	**1,14,50,00**	**8,64,50,00**	**6,18,62,00**	**(-)2,45,88,00**
अनुपूरक	**7,50,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,01,38,00**

16 दिसम्बर 2024	2,01,38,00

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,72,305.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,41,018.24 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,88,608.74 लाख) तथा मार्च 2025 (₹62,837.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,92,464.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹5,72,305.08 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,773.47 लाख से कम है। अत: यह ₹5,76,078.55 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,80,043.50 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹5,76,078.55 लाख) से ₹2,96,035.05 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-109-0001 नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	1,000.00	764.88	(-)235.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹235.12 लाख का अंतिम बचत, ₹12.05 लाख से कम है। ₹247.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
2215-01-051-0101 पेय जलापूर्ति योजना (एनएचबी पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2215-01-191-0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
2215-01-191-0106 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	900.00	664.72	(-)235.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	600.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-192-0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	3,000.00	0.00	(-)3,000.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2215-01-192-0103 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	1,200.00	538.67	(-)661.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	900.00				
2215-01-193-0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-01-193-0102 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	1,300.00	96.00	(-)1,204.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,000.00				
2215-02-105-0101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	320.00	(-)680.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-107-0101 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
2215-02-107-0104 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज (एनएचबी पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-)20,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-02-107-0401 नेशनल एक्शन फॉर मेकेनाईज्ड सैनिटेशन (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार द्वारा बैंक खाते में राशि हस्तांतरण के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2215-02-789-0101 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	13,000.00	12,507.62	(-)492.38	प्रावधान में ₹ 8,500.00 लाख की वृद्धि आंतरिक समायोजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹492.38 लाख का अंतिम बचत, ₹ 20.50 लाख से कम है। ₹ 512.88 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,500.00				
	पुनर्वि०	8,500.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-789-0103 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम-सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	11,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
2215-02-789-0104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2215-02-796-0106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-051-0101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन-सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹510.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 1,990.00 लाख का प्रत्यर्पण को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
2217-01-051-0103 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	1,700.00	0.00	(-)1,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-01-051-0201 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (पटना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	12,450.00	12,250.00	(-)200.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,450.00				
2217-01-051-0301 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (पटना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	14,725.00	14,500.00	(-)225.00	प्रावधान में ₹ 1,973.00 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,752.00				
	पुनर्वि०	1,973.00				
2217-01-053-0001 बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-191-0106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	25.14	35.14	25.14	(-)10.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.00				
2217-01-191-0109 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	3,400.00	2,209.33	(-)1,190.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,900.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-01-191-0115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायकता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	442.56	(-)557.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-191-0116 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाऐं (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	4,400.00	649.57	(-)3,750.43	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,750.43 लाख का अंतिम बचत, ₹ 59.57 लाख से कम है। ₹3,810.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,900.00				
2217-01-191-0122 आवारा कुत्तो के जनसंख्या नियंत्रण हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	148.58	(-)351.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,000.00	15,000.00	0.00	(-)15,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-01-789-0305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-796-0201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-01-796-0301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-03-001-0001 शहरी क्षेत्र आयोजन प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	901.75	901.75	0.00	(-)901.75	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-03-051-0102 मोक्ष धाम का निर्माण- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	4,999.99	4,999.99	4,416.83	(-)583.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0103 शहरी क्षेत्र आयोजन क्षेत्र प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	3,700.00	0.00	(-)3,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,500.00				
2217-03-051-0104 मोक्षधाम निर्माण-(एनएचबी पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2217-03-051-0203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,13,861.99	53,861.99	12,243.42	(-)41,618.57	₹60,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)60,000.00				
2217-03-051-0204 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	6,521.00	6,520.76	(-)0.24	₹5,929.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,450.00				
	पुनर्वि०	(-)5,929.00				
2217-03-051-0206 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹267.98 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 9,732.02 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0207 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (बिहार शरीफ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	22,525.00	17,043.75	(-)5,481.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	12,525.00				
2217-03-051-0208 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,04,800.00	1,077.20	0.00	(-)1,077.20	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹324.99 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹1,03,397.81 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,03,722.80				
2217-03-051-0209 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत 2.0) (प्रशासनिक एवं अन्य व्यय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,400.00	132.50	32.50	(-)100.00	₹3,267.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,267.50				
2217-03-051-0210 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत 2.0) (प्रोत्साहन सुधार) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0211 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत 2.0) (आईईसी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,000.00	71.55	40.54	(-)31.01	₹3,928.45 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,928.45				
2217-03-051-0212 स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 (शौचालय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,516.00	31.75	15.75	(-)16.00	₹1,484.25 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,484.25				
2217-03-051-0213 स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	13,644.00	7,000.00	5,997.75	(-)1,002.25	₹6,644.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)6,644.00				
2217-03-051-0214 स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 (उपयोग किये गये जल का प्रबंधन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	26,660.00	16,426.50	16,376.50	(-)50.00	₹10,233.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10,233.50				
2217-03-051-0215 स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 (आईईसी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,246.00	2,750.00	2,650.00	(-)100.00	₹1,496.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,496.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0216 स्वच्छ भारत मिशन-2.0 (क्षमतावर्धन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,132.00	1,121.50	1,047.90	(-)73.60	₹1,010.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,010.50				
2217-03-051-0303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,500.00	17,522.00	4,355.94	(-)13,166.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,022.00				
2217-03-051-0304 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	8,576.00	8,575.00	(-)1.00	₹3,874.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,450.00				
	पुनर्वि०	(-)3,874.00				
2217-03-051-0306 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹666.64 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 433.36 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,100.00				
2217-03-051-0307 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (बिहारशरीफ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	22,525.00	17,043.75	(-)5,481.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	16,525.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0308 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	21,000.00	2,154.40	0.00	(-)2,154.40	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,311.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 16,534.60 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)18,845.60				
2217-03-051-0309 स्वच्छ भारत मिशन-2.0 (शौचालय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	47.25	47.25	0.00	₹1,452.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,452.75				
2217-03-051-0310 स्वच्छ भारत मिशन-2.0 (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,000.00	7,000.00	5,997.75	(-)1,002.25	₹2,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				
2217-03-051-0313 स्वच्छ भारत मिशन-2.0 (क्षमतावर्धन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	747.67	697.67	(-)50.00	₹252.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)252.33				
2217-03-191-0101 नगर निगमों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-191-0113 भू अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	40,500.00	24,117.52	(-)16,382.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	40,000.00				
2217-03-192-0016 नगर निकायों में कार्यरत राज्यकर्मी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,390.39	2,659.34	1,614.17	(-)1,045.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	268.95				
2217-03-192-0101 नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण-जीर्णोधर हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	500.01	186.85	(-)313.16	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹313.16 लाख का अंतिम बचत, ₹109.50 लाख से कम है। ₹422.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
2217-03-192-0102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	648.90	688.90	654.60	(-)34.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹34.30 लाख का अंतिम बचत, ₹4.07 लाख से कम है। ₹38.37 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	40.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-192-0105 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	5,040.00	2,035.15	(-)3,004.85	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,004.85 लाख का अंतिम बचत, ₹ 10.00 लाख से कम है। ₹3,014.85 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,540.00				
2217-03-192-0114 विशेष स्वच्छता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	440.00	550.00	255.00	(-)295.00	प्रावधान में ₹ 110.00 लाख की वृद्धि आंतरिक समायोजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	110.00				
2217-03-193-0015 नगर निकायों में कार्यरत राज्यकर्मी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,033.73	3,840.59	1,776.80	(-)2,063.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	806.86				
2217-03-193-0101 नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	1,500.01	137.28	(-)1,362.73	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,362.73 लाख का अंतिम बचत, ₹ 114.48 लाख से कम है। ₹1,477.21 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-193-0103 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	9,500.00	9,500.00	2,083.44	(-)7,416.56	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,416.56 लाख का अंतिम बचत, ₹ 153.03 लाख से कम है। ₹7,569.59 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-03-193-0104 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	1,660.00	976.20	(-)683.80	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹683.80 लाख का अंतिम बचत, ₹210.05 लाख से कम है। ₹893.85 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,160.00				
2217-03-193-0113 विशेष स्वच्छता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	616.00	616.00	530.00	(-)86.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	1,119.71	(-)380.29	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹380.29 लाख का अंतिम बचत, ₹36.37 लाख से कम है। ₹416.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-03-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	64,180.02	34,180.02	4,548.04	(-)29,631.98	₹30,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)30,000.00				
2217-03-789-0305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,178.97	11,394.97	1,516.01	(-)9,878.96	प्रावधान में ₹ 338.00 लाख की वृद्धि आंतरिक समायोजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,878.00				
	पुनर्वि०	338.00				
2217-03-796-0203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,485.99	2,485.99	554.98	(-)1,931.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-796-0303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पीएमएवाई-शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	829.00	193.66	(-)635.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	629.00				
2217-05-001-0008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,256.86	14,960.97	4,288.26	(-)10,672.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,704.11				
2217-05-001-0101 ई - गवर्नेंस / नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	450.00	50.00	(-)400.00	प्रावधान में ₹400.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान गैर वेनत में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	400.00				
2217-05-001-0102 योजनाओं का अनुश्रवण / मूल्यांकण / पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्रू कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	0.00	0.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-05-001-0103 क्षमता वर्धन कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	108.86	108.86	11.90	(-)96.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-05-001-0104 निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	550.00	157.50	(-)392.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	500.00				
2217-80-001-0002 नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	210.61	235.61	204.78	(-)30.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹30.83 लाख का अंतिम बचत, ₹0.02 लाख से अधिक है। ₹30.81 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	25.00				
2217-80-001-0004 नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	145.79	304.23	169.09	(-)135.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	158.44				
2217-80-001-0006 नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	232.15	320.71	177.17	(-)143.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	88.56				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-001-0008 नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	43.98	64.77	13.10	(-)51.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	20.79				
2217-80-191-0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	94,743.42	1,45,072.64	1,32,784.63	(-)12,288.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50,329.22				
2217-80-191-0013 राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,20,724.86	1,73,175.26	1,73,175.26	0.00	₹948.60 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	53,399.00				
	पुनर्वि०	(-)948.60				
2217-80-191-0015 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	126.00	181.00	118.50	(-)62.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	55.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-191-0017 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,055.32	10,055.32	0.00	(-)10,055.32	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-80-192-0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदो को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	71,657.40	1,05,160.08	99,899.50	(-)5,260.58	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,260.58 लाख का अंतिम बचत, ₹ 84.91 लाख से कम है। ₹5,345.49 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	33,502.68				
2217-80-192-0008 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	204.00	358.00	207.81	(-)150.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	154.00				
2217-80-192-0011 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,247.78	9,247.78	0.00	(-)9,247.78	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-192-0012 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में छावनी परिषदों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	43.00	43.00	0.00	(-)43.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2217-80-193-0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतो को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	45,163.98	66,324.26	34,764.21	(-)31,560.05	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹31,560.05 लाख का अंतिम बचत, ₹ 23.39 लाख से कम है। ₹31,583.44 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	21,160.28				
2217-80-193-0007 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	42.00	185.00	20.40	(-)164.60	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹164.60 लाख का अंतिम बचत, ₹2.40 लाख से कम है। ₹167.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	143.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-193-0009 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतो को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,860.90	5,860.90	0.00	(-)5,860.90	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-104-0112 मुख्यमंत्री वृधजन आश्रय स्थल योजना-सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2251-00-090-0005 नगर विकास एवं आवास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,555.41	2,181.40	1,844.85	(-)336.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	625.99				
3475-00-108-0203 दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	325.00	325.00	0.00	प्रावधान में ₹ 324.99 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन की स्वीकृति के कारण था।
	पुनर्वि०	324.99				
3475-00-108-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	488.00	488.00	0.00	प्रावधान में ₹ 487.99 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन की स्वीकृति के कारण था।
	पुनर्वि०	487.99				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3475-00-789-0202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	225.00	225.00	0.00	प्रावधान में ₹ 224.99 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन की स्वीकृति के कारण था।
	पुनर्वि०	224.99				
3475-00-789-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	150.00	150.00	0.00	प्रावधान में ₹ 149.99 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन की स्वीकृति के कारण था।
	पुनर्वि०	149.99				
3475-00-796-0202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	43.00	43.00	0.00	प्रावधान में ₹42.99 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन की स्वीकृति के कारण था।
	पुनर्वि०	42.99				
3475-00-796-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	28.67	28.67	0.00	प्रावधान में ₹28.66 लाख की वृद्धि आंतरिक सामंजन की स्वीकृति के कारण था।
	पुनर्वि०	28.66				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

2217-80-192-0005 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदो को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	80,271.04	80,271.04	81,803.21	(+)1,532.17	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹1,532.17 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-192-0009 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,406.48	3,406.48	3,436.96	(+)30.48	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 30.48 लाख से अधिक है।
2217-80-193-0005 राज्य विन आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतो को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50,869.10	60,541.09	61,296.54	(+)755.45	₹234.33 लाख का प्रत्यर्पण बिजली कंपनी को एकमुश्त भुगतान के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹755.45 लाख का अंतिम बचत, ₹758.20 लाख से अधिक है। ₹2.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,906.82				
	पुनर्वि०	(-)234.83				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹24,588.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹35,000.000 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹40,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹75,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹20,138.00 लाख), अंतिम बचत (₹24,588.00 लाख) से ₹4,450.00 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-03-102-0102 मोईनुलहक स्टेडियम, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण अन्य विभाग द्वारा मोइनुल हक स्टेडियम के निर्माण कार्य के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-05-337-0101 बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय के बीच भूमिगत मार्ग (राज्य स्कीम)	मूल	2,450.00	7,450.00	4,000.00	(-)3,450.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,000.00				
5075-60-050-0101 पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
5075-60-190-0101 पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	13,862.00	13,862.00	0.00	₹19,138.00 लाख का प्रत्यर्पण पटना मेट्रो रेल योजना के निवेश के कारण था।
	अनु०	28,000.00				
	पुनर्वि०	(-)19,138.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 49- जल संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2700 मुख्य सिंचाई

2701 मध्यम सिंचाई

2705 कमान क्षेत्र विकास

2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**12,19,11,79**	**14,17,27,71**	**13,46,79,11**	**(-)70,48,60**
अनुपूरक	**1,98,15,92**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**49,92,00**
27 नवम्बर 2024	30,00,00			
12 मार्च 2025	19,92,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**31,79,40,00**	**42,00,30,98**	**41,18,63,73**	**(-)81,67,25**
अनुपूरक	**10,20,90,98**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,00,00,00**
27 नवम्बर 2024	1,00,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,048.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,678.85 लाख), नवम्बर 2024 (₹12,960.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹4,177.07 लाख) में प्राप्त किया गया ₹19,815.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹7,048.60 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,038.21 लाख से कम है। अतः यह ₹14,086.81 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,992.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹14,086.81 लाख) से ₹9,094.81 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2700-04-101-0001 अन्य रख-रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,197.00	15,089.00	13,719.23	(-)1,369.77	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,369.77 लाख का अंतिम बचत, ₹1,355.47 लाख से कम है। ₹2,725.24 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	892.00				
2700-04-101-0002 बाण सागर जलाशय के रख-रखाव व्यय में बिहार राज्य की हिस्सेदारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,250.00	500.00	0.00	(-)500.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹312.50 लाख की कमी तथा ₹437.50 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)750.00				
2700-04-101-0003 गंगाजल आपूर्ति योजना का रख-रखाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,100.00	3,100.00	2,634.57	(-)465.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2700-04-101-0004 बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,945.00	575.50	31.21	(-)544.29	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹915.00 लाख की कमी तथा ₹3,454.50 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,369.50				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2700-80-001-0006 स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	45,000.00	55,475.42	54,515.36	(-)960.06	प्रावधान में ₹896.85 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,303.50 लाख की वृद्धि, पुर्नविनियोग द्वारा ₹106.65 लाख की कमी तथा ₹300.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि वाणिज्यिक/कला/तकनीकी सेवाओं विधि प्रभार, कॉफ्रेंस, वर्कशॉप तथा सेमिनार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी तथा प्रर्त्यपण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹960.06 लाख का अंतिम बचत ₹3.60 लाख से कम है। ₹963.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,578.57				
	पुनर्वि०	896.85				
2700-80-001-0501 बिहार एकीकृत जल संसाधन परियोजना (बी आई डब्ल्यू आर एम पी) (विश्व बैंक) (राज्य स्कीम)	अनु०	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2700-80-190-0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,101.79	1,101.79	604.92	(-)496.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2705-00-001-0204 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई गणना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2705-00-001-0304 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई गणना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,823.00	2,823.00	1,823.00	(-)1,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2711-01-001-0003 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26,000.00	28,671.55	27,923.18	(-)748.37	प्रावधान में ₹868.95 लाख की हुई कमी, ₹40.00 लाख की वृद्धि, पुर्नविनियोग द्वारा ₹108.95 लाख की कमी तथा ₹ 800.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि संविदा सेवाओं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी तथा प्रर्त्यपण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 748.37 लाख का अंतिम बचत ₹ 40.36 लाख से कम है। ₹788.73 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,540.50				
	पुनर्वि०	(-)868.95				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0009 जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,900.00	3,559.60	3,490.36	(-)69.24	प्रावधान में ₹99.60 लाख की हुई वृद्धि, ₹172.60 लाख की वृद्धि, पुर्नविनियोग द्वारा ₹ 73.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि क्षतिपूर्ति, कार्यालय वाहन, विधि प्रभार एवं संविदा सेवाओं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 69.24 लाख का अंतिम बचत ₹ 13.23 लाख से कम है।₹82.47 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	560.00				
	पुनर्वि०	99.60				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

2711-01-103-0002 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,095.00	25,139.85	29,919.83	(+)4,779.98	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,779.98 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 5,607.10 लाख से अधिक है। अतः यह ₹827.12 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 827.12 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	5,044.85				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

(v) ₹8,167.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹65,425.00 लाख) तथा नवम्बर 2024 (₹36,665.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,02,090.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹8,167.25 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,03,699.59 लाख से कम है। अतः यह ₹1,11,866.84 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,000.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹1,11,866.84 लाख) से ₹1,01,866.84 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-005-0101 सर्वेक्षण और खोज (स्थापना) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	2,200.00	994.46	(-)1,205.54	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,205.54 लाख का अंतिम बचत, ₹216.33 लाख से कम है। ₹1,421.87 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	2,000.00				
4700-80-051-0102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4700-80-051-0208 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (उत्तर कोयल जलाशय परियोजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	14,981.98	14,981.98	4,981.97	(-)10,000.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-051-0310 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नाबार्ड एल टी आई एफ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,068.00	12,068.00	5,052.87	(-)7,015.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4700-80-789-0103 हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	5,800.00	5,632.39	(-)167.61	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹167.61 लाख का अंतिम बचत, ₹317.14 लाख से कम है। ₹484.75 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,800.00				
4700-80-796-0101 हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	352.45	(-)147.55	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹147.55 लाख का अंतिम बचत, ₹4.08 लाख से कम है। ₹151.63 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4711-01-051-0102 जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4711-01-051-0111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	8,149.00	7,209.61	(-)939.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹939.39 लाख का अंतिम बचत, ₹1,141.27 लाख से कम है। ₹2,080.66 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,149.00				
4711-01-051-0209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	88,100.00	88,100.00	67,015.18	(-)21,084.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹21,084.82 लाख का अंतिम बचत, ₹22,501.41 लाख से कम है। ₹43,586.23 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4711-01-051-0212 सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,000.00	20,000.00	10,809.09	(-)9,190.91	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,190.91 लाख का अंतिम बचत, ₹5,234.65 लाख से कम है। ₹14,425.56 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4711-01-051-0309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,600.00	12,600.00	7,713.37	(-)4,886.63	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,886.63 लाख का अंतिम बचत, ₹1,132.32 लाख से कम है। ₹6,018.95 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

4700-80-051-0104 सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	8,000.00	54,160.00	59,329.36	(+)5,169.36	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,169.36 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 12,673.94 लाख से अधिक है। अतः यह ₹7,504.58 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹7,504.58 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	46,160.00				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-051-0105 सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	68,000.00	92,800.00	1,20,317.44	(+)27,517.44	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹27,517.44 लाख का अंतिम अधिक व्यय ₹ 30,232.50 लाख से अधिक है। अतः यह ₹2,715.06 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹2,715.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	27,800.00				
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
4700-80-051-0106 हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	15,500.00	18,700.00	19,615.52	(+)915.52	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 915.52 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹1,701.78 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 786.26 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 786.26 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,200.00				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-051-0207 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,842.00	1,842.00	3,238.61	(+)1,396.61	₹10,000.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,396.61 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 3,227.60 लाख से अधिक है। अतः यह ₹1,830.99 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹1,830.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	-)10,000.00				
4700-80-051-0309 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	1,870.59	(+)1,370.59	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,370.59 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,846.97 लाख से अधिक है। अतः यह ₹476.38 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 476.38 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-789-0102 सिंचाई सृजन परियोजनायें (राज्य स्कीम)	मूल	36,530.00	32,530.00	38,699.73	(+)6,169.73	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,000.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,169.73 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 6,722.81 लाख से अधिक है। अतः यह ₹553.08 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 553.08 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				
4711-01-051-0110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)(राज्य स्कीम)	मूल	10,650.00	13,650.00	19,869.25	(+)6,219.25	प्रावधान में ₹ 3,000.00 लाख की वृद्धि मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹6,219.25 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 6,800.68 लाख से अधिक है। अतः यह ₹581.43 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 581.43 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	3,000.00				

अनुदान संख्या- 49- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4711-01-789-0104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	23,350.00	27,350.00	35,283.66	(+)7,933.66	प्रावधान में ₹4,000.00 लाख की वृद्धि मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,933.66 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 8,778.68 लाख से अधिक है। अत: यह ₹845.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹845.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	4,000.00				
4711-01-796-0101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	3,800.00	3,800.00	5,327.73	(+)1,527.73	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,527.73 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,642.06 लाख से अधिक है। अत: यह ₹ 114.33 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 114.33 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 50- लघु जल संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2702 लघु सिंचाई

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,45,95,48**	**3,41,63,13**	**3,05,53,98**	**(-)36,09,15**
अनुपूरक	**95,67,65**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,31,00**
11 मार्च 2025	1,31,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**7,85,00,00**	**10,34,60,00**	**8,77,52,02**	**(-)1,57,07,98**
अनुपूरक	**2,49,60,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,31,69,47**
26 नवम्बर 2024	18,11			
11 मार्च 2025	1,31,51,36			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹3,609.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹1,330.65 लाख), नवम्बर 2024 (₹26.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹8,211.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,567.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,609.15 लाख की अंतिम बचत, ₹1,191.07 लाख से कम है। अतः यह ₹4,800.22 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹131.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹4,800.22 लाख) से ₹4,669.22 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2702-02-005-0001 सर्वेक्षण और जॉच (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,056.76	19,545.41	16,398.16	(-)3,147.25	प्रावधान में ₹ 140.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक/तकनीकी सेवायें हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,147.25 लाख का अंतिम बचत, ₹147.20 लाख से कम है। ₹3,294.45 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,348.65				
	पुनर्वि०	140.00				
2702-02-005-0002 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	161.17	(-)38.83	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹38.83 लाख का अंतिम बचत, ₹0.03 लाख से कम है। ₹38.80 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2702-02-005-0105 बिहार भू-जल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	12.60	12.60	7.07	(-)5.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2702-03-101-0001 कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15.10	15.10	6.31	(-)8.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2702-03-101-0002 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2702-03-102-0005 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2702-03-103-0002 राजकीय नलकूप (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	10.85	(-)189.15	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹189.15 लाख का अंतिम बचत, ₹10.85 लाख से कम है। अतः यह ₹200.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2702-03-103-0007 अन्य रख रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	400.00	92.91	(-)307.09	₹100.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹307.09 लाख का अंतिम बचत, ₹0.47 लाख से कम है। ₹307.56 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2702-03-789-0101 निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	मूल	187.30	187.30	125.31	(-)61.99	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹61.99 लाख का अंतिम बचत, ₹34.42 लाख से कम है। ₹96.41 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
3451-00-090-0030 लघु जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,286.62	1,334.62	1,156.61	(-)178.01	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹140.00 लाख की कमी तथा ₹31.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	219.00				
	पुनर्वि०	(-)171.00				

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2702-02-005-0101 सर्वेक्षण और जाँच (राज्य स्कीम)	मूल	1.70	1.70	11.82	(+)10.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹10.12 लाख का अंतिम अधिक व्यय ₹11.82 लाख से अधिक है। अतः यह ₹1.70 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2702-03-103-0104 निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	मूल	982.70	982.70	1,576.26	(+)593.56	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹593.56 लाख का अंतिम अधिक व्यय ₹981.02 लाख से अधिक है। अतः यह ₹387.46 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 387.46 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹15,707.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹20,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 4,960.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹24,960.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹15,707.98 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹11,982.82 लाख से कम है। अतः यह ₹ 27,690.80 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,169.47 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹27,690.80 लाख) से ₹14,521.33 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-101-0205 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (हर खेत को पानी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,400.00	8,400.00	479.25	(-)7,920.75	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,920.75 लाख का अंतिम बचत, ₹479.25 लाख से कम है। अतः यह ₹8,400.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4702-00-101-0305 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (हर खेत को पानी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,100.00	2,100.00	54.54	(-)2,045.46	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,045.46 लाख का अंतिम बचत, ₹49.45 लाख से कम है। ₹2,094.91 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4702-00-789-0101 लघु सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	320.00	320.00	234.99	(-)85.01	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹85.01 लाख का अंतिम बचत, ₹37.53 लाख से कम है। ₹122.54 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-789-0106 हर खेत तक सिंचाई का पानी - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	5,440.00	6,720.00	6,434.95	(-)285.05	₹1,920.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹285.05 लाख का अंतिम बचत, ₹265.71 लाख से कम है। ₹550.76 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,200.00				
	पुनर्वि०	(-)1,920.00				
4702-00-789-0205 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (हर खेत को पानी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,600.00	1,600.00	1.18	(-)1,598.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,598.82 लाख का अंतिम बचत, ₹1.18 लाख से कम है। अतः यह ₹ 1,600.00 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4702-00-789-0305 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (हर खेत को पानी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	400.00	400.00	12.47	(-)387.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹387.53 लाख का अंतिम बचत, ₹11.50 लाख से कम है। ₹399.03 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-101-0106 हर खेत तक सिंचाई का पानी - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	28,560.00	35,280.00	36,655.33	(+)1,375.33	₹10,080.00 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,375.33 लाख का अंतिम अधिक व्यय ₹1,608.64 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 233.31 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 233.31 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	16,800.00				
	पुनर्वि०	-)10,080.00				
4702-00-102-0102 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	840.00	33.60	1,879.27	(+)1,845.67	₹806.40 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,845.67 लाख का अधिक व्यय ₹1,846.17 लाख से अधिक है। अतः यह ₹0.50 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 0.50 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)806.40				

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-102-0107 जल-जीवन-हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	24,360.00	28,526.40	33,995.22	(+)5,468.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹5,468.82 लाख का अंतिम अधिक व्यय,₹ 6,117.01 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 648.19 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 648.19 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,166.40				
4702-00-789-0104 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	160.00	6.40	142.45	(+)136.05	₹153.60 लाख का प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 136.05 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 136.25 लाख से अधिक है। अतः यह ₹ 0.20 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 0.20 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)153.60				

अनुदान संख्या- 50- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-789-0105	मूल	4,640.00	5,433.60	6,072.52	(+)638.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 638.92 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹1,092.65 लाख से अधिक है। अत: यह ₹ 453.73 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 453.73 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
जल-जीवन-हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	अनु०	793.60				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 51- समाज कल्याण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236 पोषण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**80,30,66,77**	**1,35,75,54,98**	**1,17,83,24,09**	**(-)17,92,30,89**
अनुपूरक	**55,44,88,21**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,05,93,70**
24 जूलाई 2024	53,10			
2 दिसम्बर 2024	1,67,04,25			
31 मार्च 2025	38,36,35			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**2,07,89,73**	**3,11,67,09**	**98,65,73**	**(-)2,13,01,36**
अनुपूरक	**1,03,77,36**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,33,24,00**
24 जूलाई 2024	5,87,98			
2 दिसम्बर 2024	1,27,36,02			

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,79,230.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,33,215.42 लाख), नवम्बर 2024 (₹3,01,635.90 लाख) तथा मार्च 2025 (₹19,636.89 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,54,488.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹1,79,230.89 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,990.38 लाख से कम है। अतः यह ₹1,82,221.27 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹20,593.70 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹1,82,221.27 लाख) से ₹1,61,627.57 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-101-0001 नेत्रहीन विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	149.34	194.23	149.65	(-)44.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	44.89				
2235-02-101-0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कार्यशाला का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	259.44	322.81	216.58	(-)106.23	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹106.23 लाख का अंतिम बचत, ₹0.82 लाख से कम है। ₹ 107.05 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	63.37				
2235-02-101-0022 दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	982.13	1,216.87	783.60	(-)433.27	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹433.27 लाख का अंतिम बचत, ₹0.24 लाख से कम है। ₹ 433.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	234.74				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-101-0106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	330.00	330.00	300.00	(-)30.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-101-0111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	18.00	18.00	3.77	(-)14.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-101-0223 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	1,800.00	0.00	(-)1,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-101-0323 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	95.00	95.00	0.00	(-)95.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-102-0002 विशेष पौष्टिक आहार की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल अनु०	98.53 2,921.69	3,020.22	1,617.49	(-)1,402.73	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,402.73 लाख का अंतिम बचत, ₹5.62 लाख से कम है। ₹1,408.35 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0105 समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेशन सिस्टम हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,412.31	2,587.31	2,529.27	(-)58.04	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹58.04 लाख का अंतिम बचत, ₹16.78 लाख से कम है। ₹ 74. 82 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	175.00				
2235-02-102-0117 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	24,086.93	15,642.68	(-)8,444.25	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,444.25 लाख का अंतिम बचत, ₹153.81 लाख से कम है। ₹8,508.06 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	24,086.92				
2235-02-102-0123 आंगनबाड़ी सेवायें (आईसीडीएस) (राज्य स्कीम)	मूल	58,237.15	97,180.71	86,670.98	(-)10,509.73	₹1,666.97 लाख के प्रत्यर्पण वेतन/मानदेय में आंतरिक समायोजन से प्राप्त अतिरिक्त उद्व्यय के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹10,509.73 लाख का अंतिम बचत, ₹48.92 लाख से कम है। ₹10,558.65 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	40,610.53				
	पुनर्वि०	(-)1,666.97				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0222 आंगनबाड़ी सेवायें (सामान्य) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	77,856.69	85,522.46	76,408.55	(-)9,113.91	₹1,493.39 लाख के प्रत्यर्पण वेतन/मानदेय में आंतरिक समायोजन से प्राप्त अतिरित्त उद्व्यय के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,113.91 लाख का अंतिम बचत, ₹180.56 लाख से कम है। ₹9,294.47 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	9,159.16				
	पुनर्वि०	(-)1,493.39				
2235-02-102-0223 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण सेवायें) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,461.89	5,461.89	3,823.42	(-)1,638.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-102-0224 किशोरियों के लिए योजना (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,149.16	2,845.41	2,222.72	(-)622.69	₹303.75 लाख के प्रत्यर्पण आंतरिक समायोजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹622.69 लाख का अंतिम बचत, ₹ 104.74 लाख से कम है। ₹ 727.43 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)303.75				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0225 पोषण अभियान (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	19,893.63	26,374.33	12,003.21	(-)14,371.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹14,371.12 लाख का अंतिम बचत, ₹1.39 लाख से कम है। ₹14,372.51 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	6,480.70				
2235-02-102-0226 राष्टीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	14.63	90.31	53.10	(-)37.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	75.68				
2235-02-102-0227 चाईल्ड हेल्पलाईन (मिशन वात्सल्य स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,468.10	1,468.10	541.94	(-)926.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-102-0228 गैर संस्थागत देखभाल के प्रायोजन/पालन पोषण देख-रेख/पश्चातवर्ती देख-रेख (मिशन वात्सल्य योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,153.00	2,880.00	1,269.28	(-)1,610.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,727.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0229 स्वच्छता कार्य योजना (मिशन वात्सल्य योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	17.00	17.00	7.80	(-)9.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-102-0231 आंगनबाड़ी सेवाएं (प्रशिक्षण) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	1,245.39	0.00	(-)1,245.39	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,245.38				
2235-02-102-0233 सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 (बीमा कवरेज) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	629.33	629.33	0.00	(-)629.33	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-102-0235 मिशन वात्सल्य के अंतर्गत पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 एवं 6 के तहत पीड़ितों को सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	380.00	380.00	0.00	(-)380.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0322 आंगनबाड़ी सेवाएं (सामान्य) (सक्षम अंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,742.02	59,231.49	55,829.55	(-)3,401.94	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3,401.94 लाख का अंतिम बचत, ₹135.53 लाख से कम है। ₹3,537.47 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	43,489.47				
2235-02-102-0324 किशोरियों के लिए योजना (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	787.30	2,134.06	1,598.68	(-)535.38	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹535.38 लाख का अंतिम बचत, ₹10.61 लाख से कम है। ₹545.99 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,346.76				
2235-02-102-0325 पोषण अभियान (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,370.97	17,582.88	8,010.07	(-)9,572.81	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,572.81 लाख का अंतिम बचत, ₹2.86 लाख से कम है। ₹9,575.67 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	15,211.91				
2235-02-102-0326 राष्टीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9.76	60.21	35.68	(-)24.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	50.45				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0328 गैर संस्थागत देखभाल के प्रायोजन/पालन पोषण देख-रेख/पश्चातवर्ती देख-रेख (मिशन वात्सल्य योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	768.19	1,919.19	1,152.19	(-)767.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,151.00				
2235-02-102-0329 स्वच्छता कार्य योजना (मिशन वात्सल्य योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11.20	11.20	5.20	(-)6.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-102-0331 आंगनबाड़ी सेवाएं (प्रशिक्षण) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	830.25	0.00	(-)830.25	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	830.24				
2235-02-102-0333 मिशन वात्सल्य पर राज्य सरकार का अतिरिक्त व्यय (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	285.86	849.99	285.86	(-)564.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	564.13				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0334 सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 (बीमा कवरेज) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	419.55	0.00	(-)419.55	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	419.54				
2235-02-103-0109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,750.00	4,038.65	2,910.79	(-)1,127.86	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,127.86 लाख का अंतिम बचत, ₹90.51 लाख से कम है। ₹2,711.35 लाख का प्रत्यर्पण तथा ₹1,218.37 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)2,711.35				
2235-02-103-0111 कन्या सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,080.20	10,000.00	(-)80.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	80.20				
2235-02-103-0230 मिशन शक्ति (संबल) - वन स्टॉप सेंटर (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,440.55	1,440.55	0.00	(-)1,440.55	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-103-0231 मिशन शक्ति (संबल) - बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,290.01	2,257.51	322.50	(-)1,935.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	967.50				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-103-0232 मिशन शक्ति (संबल) - महिला हेल्पलाईन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	162.57	201.03	37.80	(-)163.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	38.46				
2235-02-103-0233 मिशन शक्ति (संबल) - नारी अदालत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.02	158.06	0.00	(-)158.06	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	158.04				
2235-02-103-0236 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - स्टेट हब्स फॉर इम्पांवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्ल्यू) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	198.90	209.69	0.00	(-)209.69	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	10.79				
2235-02-103-0237 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पांवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्ल्यू) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	759.24	916.04	312.54	(-)603.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	156.80				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-103-0332 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - स्टेट हब्स फॉर इम्पांवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्ल्यू) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	132.60	139.66	0.00	(-)139.66	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7.06				
2235-02-103-0333 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पांवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्ल्यू) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	506.16	610.18	208.36	(-)401.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	104.02				
2235-02-104-0001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	186.24	186.24	138.24	(-)48.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-104-0109 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	60,500.00	2,02,608.48	1,98,694.49	(-)3,913.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,42,108.48				
2235-02-104-0110 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	4,250.00	(-)750.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-104-0201 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,100.00	1,380.66	352.50	(-)1,028.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	280.66				
2235-02-106-0001 प्रतिप्रेक्षण गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	535.95	760.97	555.55	(-)205.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹205.42 लाख का अंतिम बचत, ₹1.98 लाख से कम है। ₹ 207.40 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	225.02				
2235-02-106-0008 बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	174.23	174.23	150.74	(-)23.49	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹23.49 लाख का अंतिम बचत, ₹0.68 लाख से कम है। ₹ 24.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-106-0106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,650.28	1,650.28	1,484.06	(-)166.22	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹166.22 लाख का अंतिम बचत, ₹25.91 लाख से कम है। ₹192.13 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-106-0107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	391.72	391.72	290.00	(-)101.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-200-0106 प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	15.00	1.13	(-)13.87	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹13.87 लाख का अंतिम बचत, ₹1.13 लाख से कम है। ₹ 15.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-200-0108 बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	39.91	(-)10.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-200-0201 मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	590.30	207.42	(-)382.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	290.30				
2235-02-789-0103 आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	8,029.09	5,287.35	(-)2,741.74	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,741.74 लाख का अंतिम बचत, ₹79.71 लाख से कम है। ₹2,821.45 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	8,029.08				
2235-02-789-0107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,000.00	527.27	(-)472.73	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹472.73 लाख का अंतिम बचत, ₹8.07 लाख से कम है। ₹1,000.00 लाख का प्रत्यर्पण तथा ₹ 480.80 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-789-0111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	1,400.00	1,054.87	(-)345.13	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹ 345.13 लाख का अंतिम बचत, ₹2.99 लाख से कम है। ₹348.12 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-02-789-0312 किशोरियों के लिए योजना (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	262.43	711.35	540.78	(-)170.57	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹170.57 लाख का अंतिम बचत, ₹11.28 लाख से कम है। ₹181.85 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	448.92				
2235-02-796-0123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	125.00	97.45	(-)27.55	₹125.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)125.00				
2235-02-800-0002 अन्तर्जातीय विवाह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	852.75	(-)147.25	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹147.25 लाख का अंतिम बचत, ₹2.75 लाख से कम है। ₹ 150.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-03-101-0102 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (2019-20)/राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.26	(-)39.74	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹39.74 लाख का अंतिम बचत, ₹0.26 लाख से कम है। ₹ 40.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-101-0103 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2019-20)/राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	70.00	48.73	(-)21.27	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹21.27 लाख का अंतिम बचत, ₹48.73 लाख से कम है। ₹ 70.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-101-0201 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	83,573.00	91,173.00	89,565.90	(-)1,607.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	7,600.00				
2235-03-101-0202 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,771.00	4,020.00	3,119.73	(-)900.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	249.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-03-102-0203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,400.00	7,400.00	2,721.77	(-)4,678.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-789-0102 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	7.86	(-)22.14	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹22.14 लाख का अंतिम बचत, ₹ 7.86 लाख से कम है। ₹ 30.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-789-0103 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	10.00	0.58	(-)9.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9.42 लाख का अंतिम बचत, ₹0.58 लाख से कम है। ₹10.00 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-789-0201 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	27,873.00	27,873.00	18,131.24	(-)9,741.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-03-789-0202 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,663.00	6,663.00	4,060.74	(-)2,602.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-789-0203 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	943.00	943.00	779.94	(-)163.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-03-796-0203 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,124.00	4,124.00	861.95	(-)3,262.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-001-0001 वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,471.81	3,471.81	1,772.30	(-)1,699.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2235-60-102-0104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन याजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,900.00	37,722.41	35,720.86	(-)2,001.55	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹2,001.55 लाख का अंतिम बचत, ₹13.74 लाख से कम है। ₹2,015.29 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	23,822.41				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-102-0105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,600.00	33,516.84	31,768.16	(-)1,748.68	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,748.68 लाख का अंतिम बचत, ₹29.61 लाख से कम है। ₹1,778.29 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	21,916.84				
2236-02-101-0103 पूरक पोषाहार (राज्य स्कीम)	मूल	24,350.50	48,700.74	39,040.05	(-)9,660.69	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹9,660.69 लाख का अंतिम बचत, ₹14.84 लाख से कम है। ₹9,675.53 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	24,350.24				
2236-02-101-0203 पूरक पोषक कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	63,763.15	1,01,686.39	91,452.81	(-)10,233.58	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹10,233.58 लाख का अंतिम बचत, ₹647.59 लाख से कम है। ₹10,881.17 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	37,923.24				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2236-02-789-0204 पूरक पोषक कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	63,881.56	63,881.56	38,816.65	(-)25,064.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2251-00-090-0015 समाज कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	692.42	855.42	809.71	(-)45.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹45.71 लाख का अंतिम बचत, ₹34.57 लाख से कम है। ₹ 80.28 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	163.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-03-101-0101 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (2019-20)/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	13,228.00	13,377.39	(+)149.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 149.39 लाख से अधिक है।
	अनु०	9,228.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2236-02-101-0303 पूरक पोषक कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2. 0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	80,925.67	81,050.50	(+)124.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 124.83 लाख से अधिक है।
	अनु०	80,925.66				
2236-02-789-0304 पूरक पोषक कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2. 0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30,165.99	30,165.99	30,369.33	(+)203.34	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 203.34 लाख से अधिक है।
2236-02-796-0305 पूरक पोषक कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2. 0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,834.00	9,834.00	9,891.93	(+)57.93	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 57.93 लाख से अधिक है।
2235-02-103-0225 मातृत्व लाभ योजना (सामर्थ्य) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	18,531.80	7,559.47	7,562.97	(+)3.50	₹10,972.33 लाख का प्रत्यर्पण आंतरिक समायोजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹3.50 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 3.50 लाख से अधिक है। अतः यह ₹0.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 0.02 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10,972.33				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-103-0325 मातृत्व लाभ योजना (सामर्थ्य) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,588.65	5,039.66	5,040.43	(+)0.77	₹2,320.91 लाख का प्रत्यर्पण आंतरिक समायोजन के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹0.77 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 2.27 लाख से अधिक है। अतः यह ₹1.50 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है। ₹ 1.50 लाख की वास्तविक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	4,771.92				
	पुनर्वि०	(-)2,320.91				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹21,301.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹3,971.96 लाख), नवम्बर 2024 (₹1,256.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹5,149.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹10,377.36 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹21,301.36 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹40.88 लाख से अधिक है। अतः यह ₹21,260.48 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,324.00 लाख), वास्तविक अंतिम बचत (₹21,260.48 लाख) से ₹7,936.48 लाख कम था।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-02-102-0103 समेकित बाल विकास योजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	अनु०	1,000.00	1,000.00	78.00	(-)922.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
4235-02-102-0106 पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-02-102-0110 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (सिडबी) (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				
4235-02-102-0208 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/उन्नयन (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	2,946.00	231.23	(-)2,714.77	₹3,054.00 लाख का प्रत्यर्पण आंतरिक समायोजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि०	(-)3,054.00				
4235-02-102-0209 किशोर न्याय पर्षद (जेजेबीएस) और बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसीएस) सहित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) के भवन का निर्माण (मिशन वात्सल्य योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	202.01	80.96	(-)121.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	202.00				
4235-02-102-0210 सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 (आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण/उन्नयन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,400.00	5,219.64	5,219.63	(-)0.01	₹270.000 लाख का प्रत्यर्पण आंतरिक समायोजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,089.64				
	पुनर्वि०	(-)270.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-02-102-0308 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/उन्नयन (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	1,964.00	154.16	(-)1,809.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,963.99				
4235-02-102-0310 सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 (आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण/उन्नयन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	3,479.76	3,459.76	(-)20.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	3,479.75				
4235-02-103-0201 मिशन शक्ति (संबल) - वन स्टॉप सेंटर (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,589.65	1,589.65	0.00	(-)1,589.65	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 52-खेल विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,83,19,92**	**2,12,80,00**	**1,47,29,25**	**(-)65,50,75**
अनुपूरक	**29,60,08**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹6,550.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2024 (₹2,725.00 लाख), नवम्बर 2024 (₹40.38 लाख) तथा मार्च 2025 (₹194.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2.960.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹6,550.75 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4.27 लाख से कम है। अत: यह ₹6,555.02 लाख का वास्तविक अंतिम बचत है।

(ii) वास्तविक अंतिम बचत (₹6,555.02 लाख) के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 52-क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0033 बिहार खेल विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	338.07	338.07	172.00	(-)166.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2204-00-101-0002 शारीरिक शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,061.51	1,136.51	400.99	(-)735.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	75.00				
2204-00-104-0011 खेल-कूद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,180.19	1,219.19	838.06	(-)381.13	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹59.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	98.00				
	पुनर्वि०	(-)59.00				
2204-00-104-0012 बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	300.00	216.17	(-)83.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2204-00-104-0013 राज्य खेल अकादमी, राजगीर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	96.70	96.70	0.00	(-)96.70	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
2204-00-104-0109 खेल-कूद (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	16,500.00	12,577.01	(-)3,922.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,500.00				

अनुदान संख्या- 52-क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-090-0031 खेल विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	440.15	1,689.53	520.76	(-)1,168.77	प्रावधान में ₹59.00 लाख की हुई वृद्धि मोटर कार खरीदने में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।
	अनु०	1,190.38				
	पुनर्वि०	59.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2024-25 के दौरान हस्तांतरित राशि	2024-25 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए व्यय का अनुदानवार विवरण, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी

(पृष्ठ संख्या (xv) पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

शून्य

परिशिष्ट-II

वर्ष 2024-25 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण

(पृष्ठ (xvi) पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
1 कृषि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,48,46,69	(+)2,48,46,69
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9,06,61	(+)9,06,61
3 भवन निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,19	(+)2,19
पूँजी	0	9,16,53	(+)9,16,53
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	57	(+)57
6 निर्वाचन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,36,76,79	(+)1,36,76,79
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	13,30	(+)13,30
9 सहकारिता विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	19,40,16	(+)19,40,16
पूँजी	0	10,22,53	(+)10,22,53
10 ऊर्जा विभाग			
दत्तमत			
पूँजी	0	5,62,14,49	(+)5,62,14,49

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9,93,99	(+)9,93,99
12 वित्त विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,98	(+)4,98
13 सूद भुगतान			
प्रभारित			
राजस्व	*1,00*	*0*	*(-)1,00*
15 पेंशन			
दत्तमत			
राजस्व	0	30,35,74	(+)30,35,74
16 पंचायती राज विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	61,51	(+)61,51
17 वाणिज्य-कर विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,51	(+)1,51
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	32,59	(+)32,59
19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,66	(+)3,66
20 स्वास्थ्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,59,54,64	(+)1,59,54,64
पूँजी	0	51,29	(+)51,29

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	8,97,83,20	(+)8,97,83,20
पूँजी	0	7,07,16,38	(+)7,07,16,38
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	18,56,75	(+)18,56,75
पूँजी	0	24,06,73	(+)24,06,73
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,86,11	(+)6,86,11
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	33	(+)33
25 सूचना प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,61,79	(+)4,61,79
26 श्रम संसाधान विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	42,16	(+)42,16
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	41,40	(+)41,40
28 उच्च न्यायालय			
प्रभारित			
राजस्व	*0*	*40,33*	*(+)40,33*

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	42,02,91	(+)42,02,91
31 संसदीय कार्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	44,80	(+)44,80
32 विधानमंडल			
दत्तमत			
राजस्व	0	11,96	(+)11,96
33 सामान्य प्रशासन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	*0*	10,68	*(+)10,68*
34 बिहार लोक सेवा आयोग			
प्रभारित			
राजस्व	*0*	*76*	*(+)76*
35 योजना एवं विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9,12,28	(+)9,12,28
पूँजी	0	24,93,39	(+)24,93,39
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,34	(+)4,34
पूँजी	0	76,38	(+)76,38
37 ग्रामीण कार्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,06,64,18	(+)2,06,64,18
पूँजी	0	2,26,38	(+)2,26,38

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
38 ˙ मद्य निषेध, उत्पाद एव निबंधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	13,46	(+)13,46
39 आपदा प्रबंधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व*	0	1,87,95	(+)1,87,95
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,02,93,26	(+)1,02,93,26
41 पथ निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	11,09	(+)11,09
पूँजी	0	51,59	(+)51,59
42 ग्रामीण विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	15,30,70	(+)15,30,70
43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	23,95	(+)23,95
पूँजी	0	0	0
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	27,76,86	(+)27,76,86
45 गन्ना उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,59,72	(+)2,59,72

*राज्य आपदा मोचन निधि से ₹8,76,21,00 के समायोजन और आरक्षित निधि और जमा खातों में ₹1,81,56,00 के हस्तांतरण के कारण व्यय को बाहर रखा गया।

परिशिष्ट-II क्रमांत

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
46 पर्यटन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,76	(+)5,76
47 परिवहन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	19,51	(+)19,51
48 नगर विकास एवं आवास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,75,47,56	(+)2,75,47,56
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	27,83	(+)27,83
पूँजी	0	7,56,96	(+)7,56,96
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	50,38	(+)50,38
पूँजी	0	16	(+)16
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,13,76,84	(+)3,13,76,84
पूँजी	0	3,69,25	(+)3,69,25
योग			
दत्तमत			
राजस्व		**25,43,22,69**	**25,43,22,69**
पूँजी		**13,53,02,06**	**(+)13,53,02,06**
प्रभारित			
राजस्व	***1,00***	***41,09***	***40,09***
पूँजी	***0***	***0***	***0***
कुल योग	**1,00**	**38,96,65,84**	**38,96,64,84**

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/baihar/hi

